प्रहरी

शासनादेश संग्रह

भाग-8

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड

SIEMAT

वतेवु जागृहि

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखंड
ननूरखेड़ा, देहरादून
Email: uksiemat@gmail.com
Website: siemat.uk.gov.in

संरक्षक

ज्योति यादव (IAS)
सचिव,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

आकांक्षा कोंडे (IAS)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

निर्देशन

वंदना गर्ब्याल
निदेशक,
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।

सम्पादन

नागेन्द्र बर्त्वाल
अपर निदेशक,
सीमैट, उत्तराखण्ड।

सम्पादन सहयोग

1. डा० एम.एस. बिष्ट, प्रोफेशनल (नीति, नियोजन एवं प्रबन्ध)।
2. डा० एम.एम. उनियाल, प्रोफेशनल (शोध एवं मूल्यांकन)।
3. डा० जे.एस. बिष्ट, जूनियर प्रोफेशनल (शोध एवं मूल्यांकन)।
4. डा० विनोद ध्यानी, जूनियर प्रोफेशनल (नीति, नियोजन एवं प्रबन्ध)।

संकलन एवं सहयोग

1. विनीत त्रिपाठी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सीमैट।
2. चतर सिंह नेगी, पुस्तकालयाध्यक्ष, सीमैट।
3. राजेन्द्र प्रसाद बडोला, लेखाकार, सीमैट।
4. राजेन्द्र प्रसाद मैन्दोली, हॉस्टल सुप्रिन्टेन्डेन्ट, सीमैट।
5. सुनील पुरोहित, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सीमैट।

टिप्पणी—प्रस्तुत शासनादेशों के संग्रह / मुद्रण में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गई है तथापि मानवीय त्रुटि सम्भव है। कृपया इन शासनादेशों का सन्दर्भ लेते समय मूल शासनादेशों का सन्दर्भ ले लिया जाय।

वर्ष 2026—27

निदेशक की कलम से...

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट), उत्तराखण्ड द्वारा शासनादेश संग्रह 'प्रहरी' का 8वां संस्करण प्रकाशित करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस प्रकाशन में विद्यालयी शिक्षा एवं विभिन्न सेवाओं से संबंधित प्रदेश सरकार द्वारा अद्यतन जारी शासनादेशों को समाहित किया गया है।

किसी भी संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योजना, संगठन, ढांचागत विकास एवं नियुक्ति, उपयुक्त दिशा–निर्देशन, समन्वय, अद्यतनीकृत अभिलेख एवं उपयुक्त बजट की आवश्यकता तो होती ही है इसी के साथ किसी भी प्रणाली के उपयुक्त संचालन हेतु विभागीय निर्देश एवं शासनादेशों की भी नितांत आवश्यकता होती है। यही निर्देश व शासनादेश संस्थाओं के गतिशील एवं उपयुक्त रूपान्तरण हेतु उक्त सभी आयामों पर समय–समय पर दिशा निर्देशन देते हैं।

शासनादेशों एवं विभागीय आदेशों को समय एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तित एवं परिवर्धित किया जाता रहता है। विगत में प्रकाशित 7 शासनादेश संग्रह विद्यालयों, कार्यालयों एवं संस्थाध्यक्षों हेतु उनके दैनिक, प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों को सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में सहायक सिद्ध हुए हैं तथा कार्यालयाध्यक्षों एवं संस्थाध्यक्षों द्वारा इस तरह की सामग्री की मांग लगातार की जा रही है।

उक्त समस्त तथ्यों को संज्ञान में रखते हुए विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारी, कार्मिक एवं शिक्षकों से संबंधित निर्देशों एवं शासनादेशों का संकलन कर प्रकाशित किया जा रहा है जो उनको अपने कार्यक्षेत्र में उपयुक्त निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करेगा।

'प्रहरी' के 8वें अंक को इस स्वरूप में लाने हेतु अपना योगदान देने वाली सीमैट की टीम एवं संकलनकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। पूर्व की भांति पाठकों के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

वंदना गर्ब्याल
निदेशक
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सम्पादकीय

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार स्तम्भ होती है। उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नीतिगत निर्णयों तथा शासनादेशों का समयानुकूल संकलन अत्यन्त आवश्यक है। इन दस्तावेजों के माध्यम से ही शिक्षा व्यवस्था को दिशा एवं गति मिलती है।

किसी भी संस्था अथवा संगठन का सुचारु एवं प्रभावी संचालन तभी संभव है जब उसके समक्ष अधिनियम, नियम, शासनादेश एवं आदेश स्पष्ट एवं अद्यतन रूप में उपलब्ध हों। सही जानकारी के अभाव में न तो निर्णय लेने की प्रक्रिया सुदृढ़ रहती है और न ही निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो पाती है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) द्वारा विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न शासनादेशों का क्रमबद्ध संकलन "प्रहरी" के नाम से भाग 1 से 7 तक प्रकाशित किया जा चुका है। इन प्रकाशनों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं अभिकर्मी इन्हें उपयोगी एवं मार्गदर्शक मानते हैं।

इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नवीन शासनादेशों का संकलन "प्रहरी" भाग–८ के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस भाग में उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विद्यालयी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण शासनादेशों को समाहित किया गया है, जिससे सम्बन्धित अधिकारी एक ही स्थान पर आवश्यक निर्देशों को सहजता से प्राप्त कर सकें।

वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में निरन्तर परिवर्तन एवं सुधारों की आवश्यकता को देखते हुए ऐसे संकलनों का महत्व और भी बढ़ गया है। ये शासनादेश न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करते हैं, अपितु विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। अतः इनका समयानुकूल संकलन एवं प्रसार अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

यद्यपि इस संकलन को पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता के साथ तैयार किया गया है, तथापि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मूल शासनादेशों का संदर्भ अवश्य लेना चाहिए। भविष्य में इस श्रृंखला को और अधिक उपयोगी एवं परिष्कृत बनाने हेतु आपके बहुमूल्य सुझावों की सदैव प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं सहित।

नागेंद्र बर्त्वाल
अपर निदेशक
राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान
उत्तराखंड, देहरादून

अनुक्रमणिका

1. तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों, तदर्थ अवधि में वेतन वृद्धि दिए जाने, विनियमितीकरण किए जाने एवं वेतन पुनर्निधारण किए जाने के सम्बन्ध मे। 01
2. प्रदेश के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बस्ता रहित दिवसों के संचालन के सम्बन्ध में। 02
3. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय हाईस्कूल के मध्य उत्कृट विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में 05
4. राज्य अध्यापक पुरस्कार (शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार) के चयन में विभिन्न चयन समितियों के सम्बन्ध में। 08
5. मृतक आश्रित प्रकरणों में दिशा–निर्देश दिए जाने के सम्बन्ध में। 10
6. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) नियमावली 2024 के सम्बन्ध में। 11
7. राज्य स्तरीय पुस्तकालय ढांचे के सम्बन्ध में। 16
8. न्यूनतम वेतन अधिनियम–अधिसूचना 18
9. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली 2024 के सम्बन्ध में। 21
10. आहरण–वितरण अधिकारी के सम्बन्ध में। 24
11. उतराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली 2024 के सम्बन्ध में। 26
12. सहायक अध्यापक एल०टी० शिक्षकों के मण्डल/संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में। 27
13. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु परीक्षा प्रावधान के सम्बन्ध में। 32
14. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 में प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति पर पदस्थापना काउंसलिंग के सम्बन्ध में। 33
15. जनपदवार विभिन्न चिन्हित क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र(एस0ई0जेड0) घोषित किए जाने के सम्बन्ध में। 35
16. 1–1–2016 में पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के सम्बन्ध में। 69
17. राज्य में विद्या समीक्षा केन्द्र के संचालन हेतु पी0आई0यू0 के गठन के सम्बन्ध में। 71
18. विद्यालयी शिक्षा विभाग में कक्षावार बस्ते का बोझ कम करने के सम्बन्ध में। 75
19. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 संशोधन विषयक। 77
20. मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में राज्य के विकासखण्डवार हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के टॉपर –5, 5 छात्र–छात्राओं के शैक्षिक भ्रमण के सम्बन्ध में। 79
21. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली, 2024। 81

22. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में पदों के सृजन के मानक निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में। 83

23. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 के मण्डल/संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन के सम्बन्ध में। 85

24. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 में अग्रेतर परिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में। 89

25. अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवानिवृतिक देयकों के त्वरित निस्तारण तथा विदाई सम्मान समारोह आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में। 90

26. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम, 2025। 91

27. विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों का नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में। 94

28. प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में। 96

29. उतराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के सम्बन्ध में। 100

30. उत्तराखण्ड राज्य में ई0 प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त विभागों हेतु सामग्री, निर्माणकार्य तथा परामर्शी सेवाओं के लिए मानक निविदा प्रपत्र को लागू किए जाने के सम्बन्ध में। 103

31. द्विवर्षीय डी० एल० एड० प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में। 105

32. उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025। 112

33. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के संशोधन के सम्बन्ध में। 118

34. उतराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 अधिसूचना। 120

35. केन्द्र तथा राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के दोहरे लाभ विषयक। 123

36. मौलिक नियुक्ति एवं मौलिक पदोन्नति के मध्य तदर्थ रूप से की गई निरंतर सेवाओं को समयमान वेतनमान हेतु गणना के सम्बन्ध में। 124

37. कक्षा–1 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं के लिए एन0सी0ई0आर0टी0/एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा संचालित/विकसित (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) पाठ्य पुस्तकें मुद्रण हेतु समिति का गठन। 126

38. उत्तराखण्ड राज्य में ई0 प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त विभागों हेतु रु0 10 करोड़ तक के कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए मानक निविदा प्रपत्र सम्बन्धित दिशा–निर्देश। 128

39. शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु पाठ्य पुस्तकें मुद्रित कराए जाने विषयक। 131

40. शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु नोटबुक समिति गठित किए जाने के सम्बन्ध में। 133

41. शैलेश मटियानी पुरुस्कार प्राप्त शिक्षकों की धनराशि बढ़ाने के सम्बन्ध में। 135

42. गेम चेंजर योजनान्तर्गत राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। 137

43. उत्तराखण्ड राज्य में ई० प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न लागत के निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में। 139

44. माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में। 143

45. राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का राजकीय इण्टर कालेजों में उच्चीकरण किए जाने के सम्बन्ध में। 148

46. उतराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली 2026। 150

47. उतराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में। 153

48. विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम के कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के सम्बन्ध में। 155

49. शैक्षिक सत्र 2026–27 में कक्षा 3 से 12 तक की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तकें द्विभाषीय (हिन्दी, अंग्रेजी) में उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में। 159

50. विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को सम्बन्धित पद के न्यूनतम वेतन भुगतान के सम्बन्ध में। 161

51. शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने एवं अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) लागू किये जाने के सम्बन्ध में। 163

52. शैक्षिक सत्र 2025–26 में गेम चेन्जर योजनान्तर्गत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में। 168

53. वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक की वितीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में। 169

54. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली 2026 के सम्बन्ध में। 183

55. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विधालयों में शिक्षको की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में। 185

56. विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान के सम्बन्ध में। 187

57. जेम पोर्टल पर वेरीफाइंग अर्थोरिटी नामित किए जाने के सम्बन्ध में। 189

58. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किए जाने के सम्बन्ध में। 191

संख्या–18/648/XXIV-B-1/23-99(02)2022

प्रेषक,

अनिल कुमार पाण्डे
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक// जनवरी, 2024

विषय– तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों तदर्थ अवधि में वेतन वृद्धि दिये जाने, विनियमितीकरण किये जाने पर वेतन का पुनर्निर्धारण किये जाने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–अर्थ 5(क)/326/02/अ0अनु0तदर्थ नि0/2021–22, दिनांक 06.04.2022 एवं पत्रांक–अर्थ 5(क)/18501/13/तदर्थ नि0/2023–24, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागीय स्तर पर कतिपय विसंगतियां उत्पन्न होने एवं प्रकरणों का निस्तारण किये जाने में कठिनाई उत्पन्न होने के दृष्टिगत तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को तदर्थ अवधि में वेतन वृद्धि दिये जाने व विनियमितीकरण किये जाने पर वेतन पुनर्निर्धारित किये जाने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना हेतु किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

02– उक्त के क्रम में अवगत कराया जाना है कि वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–210/दस–83–सं0–व्य0(सा0)–82 दिनांक 04 फरवरी, 1983 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में निम्न व्यवस्था है :–

"नियमित सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा की गयी हो। अल्प अवधि के लिए अवकाश अवधि के लिए अथवा तदर्थ रूप नियुक्ति पर किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा को 'नियमित सेवा' नहीं माना जायेगा और 'नियमित सेवा' की अवधि का आगणन उस तिथि/वर्ष से किया जायेगा, जिसके आधार पर किसी कर्मचारी को अपने संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित की गयी हो... ...।

शिक्षा अनुभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–1558 दिनांक 18 अक्टूबर, 1997 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि **पेंशन के पात्र वही शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी होंगे जो नियमित रूप से चयनित हों तथा नियमित एवं पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हों। तदर्थ सेवायें पेंशन हेतु नहीं जोड़ी जायेंगी।**

उक्त के अतिरिक्त "उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018" के नियम–1(2) (ख) तथा नियम–4 में पेंशन की अर्हता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

कृपया तदनुसार संगत नियमों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

Signed by Anil Kumar Pandey
Date: 11-01-2024 16:47:21
(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव

प्रेषक,

रंजना राजगुरू,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–01 देहरादूनः दिनांकः 11 जनवरी, 2024

विषयः प्रदेश के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बस्ता रहित दिवसों के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के पत्रांक SCERT/NEP/Bagless day/6118–19/2023–24, दिनांक 09.10.2023 द्वारा प्रदेश के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बस्ता रहित दिवसों के संचालन के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अध्याय–4 'स्कूलों में पाठ्यकम और शिक्षणशास्त्र' के अनुच्छेद 4.26 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कियान्वयन दस्तावेज सार्थक के टास्क संख्या–92 में की गई अनुशंसा के कम में प्रदेश के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष 10 बस्ता रहित दिवसों के संचालन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित दिशा–निर्देश पारित करते हैं:–

1. बस्ता रहित दिवसों के उद्देश्य–
   - बस्ते के बोझ को कम करना।
   - गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में निहित प्रतिभाओं का समुचित विकास करना।
   - छात्रों में स्थानीय व्यवसायों तथा हस्तशिल्प का कौशल विकसित करना।
   - छात्रों में श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना।
2. कक्षा 06 से 12 के सभी छात्र 10 बस्ता रहित दिवसों में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे कृषक, बुनकर, कुम्हार, स्थानीय कलाकार आदि से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार सभी छात्रों को अवकाश दिवसों में विभिन्न व्यावसायिक विषयों को सीखने के अवसर उपलब्ध करावाये जा सकते हैं।

3. सम्पूर्ण वर्ष में ऐसे बस्ता रहित दिवसों में विभिन्न प्रकार की संवर्द्धन गतिविधियों जैसे कला, प्रश्नोत्तरी, खेल और व्यावसायिक हस्तशिल्प आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा। विद्यालय से बाहर की गतिविधियों से परिचित कराने के लिए छात्रों को समय-समय पर अपने गांव/तहसील/जिला/राज्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटक महत्व के स्थान/स्मारकों का भ्रमण, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से साक्षात्कार तथा उच्च शिक्षण संस्थानों का भ्रमण करवाया जायेगा।

4. बस्ता रहित दिवसों हेतु सुझावात्मक गतिविधियां–

कार्य के प्रकार	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
जैविक रूप (Life Forms)	मृदा प्रबंधन और मिट्टी के प्रारम्भिक कार्य। कृषि/बागवानी की विभिन्न पद्धतियां।	प्रकृति अनुकूल कृषि। प्रकृति संरक्षण/पुनर्स्थापना। नर्सरी प्रबंधन। पुशधन पालन। वित्तीय सेवाएं। सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल। उद्योग।
मशीन और सामग्री (Material & Materials)	कागज, लकड़ी, मिट्टी, कपड़ा, पेंट, स्याही जैसी सामग्रियों का उपयोग करके हस्तशिल्प कार्य। आधुनिक मशीनों सहित प्रारम्भिक मशीनों का उपयोग करना।	सिलाई। बढ़ईगिरी। वेल्डिंग और कास्टिंग। मिट्टी के बर्तन। स्थानीय कला। रोबोटिक मशीनिंग। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मरम्मत।
मानवीय सेवाएं (Human Services)	कुशल संवाद की अभिरूचि और टीमों में काम करने की योग्यता। स्वास्थ्य देखभाल और आतिथ्य के आधार। बुनियादी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी कौशल।	स्वास्थ्य देखभाल। बिजली का काम। परिवहन सेवाएं। विक्रय और विपणन। आतिथ्य और पर्यटन। इण्टरमीडिएट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी कौशल।

2– राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा–निर्देश 'SARTHAQ' के क्रम में प्रदेश के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष 10 बस्ता रहित दिवसों के संचालन के सम्बन्ध में उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध मे यथावश्यकतानुसार दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

Signed by Ranjana Rajguru
Date: 11-01-2024 14:25:21
(रंजना राजगुरू)
अपर सचिव

संख्या– 181549/XXIV-B-1/24-31(01)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Anil Kumar Pandey
Date: 11-01-2024 16:01:17

(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–01 देहरादून: दिनांक: 15 जनवरी, 2024

विषय: माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय हाईस्कूल के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre For Excellence) की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नियोजन/19102/पांच–(92)/2023–24, दिनांक 18.09.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अनुकूल वातावरण के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत संलग्न सूचीनुसार कुल 559 उत्कृष्ट विद्यालयों (Centre For Excellence) की स्थापना किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नवत दिशा–निर्देश निर्गत करते हैं:–

1– उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विद्यालय चयन के निम्न मानक अपनाये जायेंगे:–

1. उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को चयनित किया जायेगा, जिसके 15 किमी0 की सीमान्तर्गत अधिक से अधिक राजकीय हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट विद्यालय संचालित हों। इस प्रकार चयनित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय तथा उसकी 15 किमी0 की सीमान्तर्गत स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आच्छादित विद्यालयों के रूप में चिन्हित किया जायेगा।
2. उत्कृष्ट विद्यालय आच्छादित विद्यालयों से सड़क मार्ग से जुड़ा हो।
3. उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में ऐसे राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों को चयनित किया जायेगा, जहां पहले से ही विद्युत संयोजन, पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो।

4. उत्कृष्ट विद्यालय में पर्याप्त कक्षा-कक्ष अथवा भविष्य में कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।

2– उत्कृष्ट विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु कार्य:-

1. उत्कृष्ट विद्यालय में साहित्यिक वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग एवं कृषि वर्ग से सम्बन्धित समस्त अनिवार्य/ऐच्छिक विषयों के पदों का सृजन किया जायेगा तथा विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति/तैनाती की जायेगी।
2. उत्कृष्ट विद्यालय के समूह में तैनात वरिष्ठतम प्रधानाचार्य संस्थाध्यक्ष के रूप में विद्यालय का संचालन करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय में उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न कक्षाओं तथा विषयों के अध्यापन हेतु किया जायेगा। उत्कृष्ट विद्यालय में तैनात शिक्षक अपने-अपने संवर्ग के सदस्य बने रहेंगे तथा अपने संवर्ग में उनकी वरिष्ठता यथावत रहेगी।
3. उत्कृष्ट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
4. उत्कृष्ट विद्यालयों के पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सभी पाठ्य-पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी।
5. उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया जायेगा।
6. उत्कृष्ट विद्यालयों में यथावश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी तथा खेल सुविधाओं के लिये क्रीड़ा मैदान विकसित किये जायेंगे।
7. उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र-छात्राओं को छोड़कर आच्छादित विद्यालयों के छात्र- छात्राओं के लिये स्थानीय ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

3– उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र-छात्राओं को आवागमन हेतु स्थानीय स्तर पर ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी तथा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि उत्कृष्ट विद्यालय में आच्छादित विद्यालयों से आने वाले छात्र-छात्राओं को ट्रान्सपोंट/एस्कॉर्ट की सुविधा किस प्रकार सुलभ हो सके। इसके साथ ही सम्बन्धित विद्यालय के विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी ट्रान्सपोंट की स्थानीय व्यवस्था हेतु कार्ययोजना तैयार करेंगे।

4– उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में विभागीय मानकानुसार/मानदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विभागान्तर्गत संचालित राजीव गाँधी आवासीय विद्यालय एवं अटल उत्कृष्ट/आदर्श विद्यालयों

(2) थर्ड पार्टी मूल्यांकन के अनुरूप प्राप्त उत्कृष्टता के परिणामों को प्रस्तावित उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की कार्ययोजना में समाहित किया जाएगा।

6– यह आदेश वित्त (वित्त–नियंत्रण) अनु0–03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित ई–संख्या–180879/2024, दिनांक 09.01.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में यथाआवश्यकतानुसार अन्य दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

Signed by Raman Ravinath
Date: 15-01-2024 12:12:45

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या–62191/XXIV–B–1/24–31(02)/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

Signed by Prem Singh Rana
Date: 15-01-2024 12:18:17

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्या–197337/24–XXIV-4-10(17)/2014
देहरादून: दिनांक 09 जनवरी 2024

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार (शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार) से सम्मानित किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–437/XXIV-4/2009 दिनांक–20 अक्टूबर 2009 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–489/XXIV-4/2012–10(14)/2010 दिनांक–25 अक्टूबर 2012 (यथासंशोधित) के प्रस्तर–2 पर विभिन्न स्तरों के लिए चयन समिति का गठन किया गया है। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या– 489/दिनांक–25 अक्टूबर 2012 द्वारा जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर गठित चयन समिति को संशोधित करते हुये निम्नवत् चयन समिति के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1-- जिला स्तरीय चयन समिति–

(1)	मुख्य शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	प्राचार्य डायट	सदस्य
(3)	जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)	सदस्य
(4)	जिला शिक्षा अधिकारी (बे0)	सदस्य
(5)	सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा	सदस्य

2– मण्डल स्तरीय चयन समिति–

(1)	अपर शिक्षा निदेशक वरिष्ठतम्	अध्यक्ष
(2)	अपर शिक्षा निदेशक कनिष्ठतम्	सदस्य
(3)	प्रत्येक जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(4)	वरिष्ठतम् सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा	सदस्य

3– राज्य स्तरीय चयन समिति–

(1)	महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
(2)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
(3)	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
(4)	निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड	सदस्य

(6) एक मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, वरिष्ठतम्	सदस्य
(7) अपर राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य
(8) वरिष्ठतम् प्राचार्य	सदस्य
(9) वरिष्ठतम् मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(10) उप शिक्षा निदेशक, अकादमिक	सदस्य सचिव

2– उपर्युक्तानुसार उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–489 / XXIV-4/2012–10(14) / 2010 दिनांक–25 अक्टूबर 2012 को इसी सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इस सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–437 / दिनांक–20 अक्टूबर, 2009 की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

Signed by Ranjana Rajguru
Date: 02-02-2024 18:25:55

(रंजना राजगुरू)
अपर सचिव।

संख्या– 187357 / XXIV-4-10(17) / 2014 तद्दिनांकित
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अपर निदेशक, माध्यमिक / बेसिक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. सभापति / सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
11. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. अपर राज्य परियोजना निदेशक।
13. प्राचार्य डायट, उत्तराखण्ड।
14. समिति के सम्बन्धित अधिकारी / सदस्य / सदस्य सचिव (द्वारा–निदेशक, माध्यमिक)।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव
माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

संख्या–194984 /XXIV–2–2024–27(02)/2022

प्रेषक,

विकास कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक: 01 ~~फरवरी~~ मार्च, 2024

विषयः– मृतक आश्रित प्रकरणों में दिशा–निर्देश दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सेवायें–3/18/15850, दिनांक 10.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मृतक आश्रित प्रकरणों के संबंध में शासन के पत्र संख्या–135239, दिनांक 05.07.2023 के क्रम में उक्त प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में परामर्श/निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– विषयगत प्रकरण के संबंध में शासन के उक्त पत्र दिनांक 05.07.2023 के द्वारा उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के नियम–5(1) का उल्लेख करते हुये मृतक आश्रितों के सेवायोजन संबंधी प्रकरणों को उक्त नियमावली में विहित प्राविधानों के अनुसार निस्तारित किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

3– तत्क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि मृतक आश्रितों के सेवायोजन संबंधी प्रकरणों में मृत सरकारी सेवक का पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के सेवायोजित न होने पर ही उक्त नियमावली में विहित प्राविधानानुसार कुटुम्ब के किसी एक सदस्य को सेवायोजन प्रदान किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त नियमावली द्वारा मृत सरकारी सेवक का पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के सेवायोजित न होने तथा कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के सेवायोजित होने पर मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के दूसरे सदस्य को उक्त नियमावली में विहित प्राविधानों के अधीन सेवायोजन प्रदान किये जाने से वंचित नहीं किया गया है।

4– अतः उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10.01.2024 में किये गये अनुरोध के क्रम में उक्तानुसार अवगत कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृतक आश्रित प्रकरणों को उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों के अनुसार निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Vikash Kumar
Srivastava
Date: 01-03-2024 12:22:18

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 663 /XXIV-B-1/24–32(02)/2011 TC
देहरादून : दिनांक : 04 मार्च, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) संशोधन सेवा नियमावली, 2024 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(1) इस नियमावली के अधीन सामान्य एवं महिला शाखा में प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा।	4(1) इस नियमावली के अधीन सामान्य एवं महिला शाखा में प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा का एक संवर्ग होगाः परन्तु यह कि ऐसे सहायक अध्यापक एल०टी०, जिन्होंने अपने मूल संवर्ग (जिस संवर्ग में नियुक्त हुए हैं) में न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार शासन के अनुमोदनोपरान्त संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य होगी। संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रकिया के सम्बन्ध में शासन द्वारा SOP निर्गत की जायेगी।

नियम 8 का संशोधन

3. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 8 के उपनियम(1) के खण्ड (पांच) एवं (सात) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

क्रम	पदनाम	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(पांच)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (कला)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राईंग एवं पेन्टिंग / ड्राईंग डिजाइन / प्राविधिक कला / पेंटिंग (फाइन आर्ट) / पेन्टिंग (visual Art) विषय में स्नातक की उपाधि। **टिप्पणी:–उपर्युक्त विषय स्नातक के सभी वर्ष / सेमेस्टर में होना अनिवार्य है।**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेन्टिंग / फाइन आर्ट (पेंन्टिग) / Visual Art (पेन्टिग) विषय में स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।
		अथवा	**अथवा**
		राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बी0ए0एड0 की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि।	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बी0ए0एड0 की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि।
(सात)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (संगीत)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (वादन अथवा गायन) विषय में स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (वादन अथवा गायन) विषय में स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।
		अथवा	**अथवा**
		(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (2) स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (2) स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में

सीनियर डिप्लोमा या भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।	सीनियर डिप्लोमा या भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।
अथवा	**अथवा**
उत्तराखण्ड भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।	उत्तराखण्ड भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।
अथवा	**अथवा**
प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से पांच वर्षीय संगीत प्रभाकर।	प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से छः वर्षीय संगीत प्रभाकर।

नियम–22 का संशोधन **4.** मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये नियम 22 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
22(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम–18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:	**22(4)** जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम–18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:
परन्तु यह कि–	**परन्तु यह कि–**
(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।	(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।

(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।	(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती है और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।
(3) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियक्तियां की जाती हैं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।	(3) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियक्तियां की जाती हैं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।
(4) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके मण्डलीय संवर्ग की सम्बन्धित शाखा में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी है।	(4) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके मण्डलीय संवर्ग की सम्बन्धित शाखा में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी है।
	(5) नियम–4(1) के अनुसार सहायक अध्यापक एल0टी0 के मण्डल/संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में नवीन संवर्ग में पदस्थापित शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग में कनिष्ठतम होंगे।

परिशिष्ट का संशोधन 5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1
विद्यमान परिशिष्ट

पद का नाम	वेतनमान
सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका	44900–142400 लेवल–7 (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)

सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंक:–

(क) परीक्षा– परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों, पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न–पत्र के निम्न दो भाग होंगे :–

1. **भाग** एक –शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। – **100 अंक**

2. **भाग** दो– जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु। – **100 अंक**

स्तम्भ–2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

पदनाम	वेतनमान
सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका	44900–142400 लेवल–7 (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)

सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंक:–

(क) परीक्षा– परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों, पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न–पत्र के निम्न दो भाग होंगे:–

1. **भाग एक** – शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान – **50 अंक**

2. **भाग दो** – जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु – **50 अंक**

आज्ञा से,

Signed by Raman Ravinath
Date: 04-03-2024 18:45:12

(रविनाथ रामन)
सचिव

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 देहरादून : दिनांक 11 ~~फरवरी~~ मार्च, 2024

विषय– राज्य स्तरीय पुस्तकालय के ढाँचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-पुस्तकालय/18806/ढाँचा/2023-24 दिनांक 15.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राज्य स्तरीय पुस्तकालय के ढाँचे के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– तद्क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-890/XXIV- नवसृजित/2016-25(05)/2017 दिनांक 15 नवम्बर, 2018 के द्वारा राज्य स्तरीय पुस्तकालय के संचालन हेतु ढाँचे के गठन के संबंध में पूर्व से आस्थागित– 222 पदों में से 05 पदों को निम्नानुसार समायोजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	भर्ती का स्रोत
1	पुस्तकालाध्यक्ष ग्रेड-4	56100-177500 (लेवल-10)	01	पदोन्नति
2	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	35400-112400 (लेवल-06)	01	सीधी भर्ती
3	सहायक कम कैटलॉगर	21700-69100 (लेवल-03)	01	सीधी भर्ती
4	अनुचर/सफाई कर्मी एवं रात्रि चौकीदार/	नियत मानदेय ₹12000 (सर्विस चार्ज + जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	02	आउटसोर्स
	कुल पद		05	

3– उक्तानुसार आउटसोर्स के माध्यम से सृजित पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के आदेश सं0– 111 दिनांक 27.04.2018, संख्या-166806 दिनांक 6.11.2023 एवं कौशल विकास विभाग के आदेश संख्या-922 दिनांक 11.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– शासनादेश दिनांक 15.11.2018 में उल्लिखित 'बी' श्रेणी के विद्यालयों हेतु आस्थगित रखे गए 222 पदों के सापेक्ष 05 पदों (प्रधानाध्यापक का 01 पद, सहायक अध्यापक एल0टी0 का 01 पद, कनिष्ठ सहायक का 01 नियमित पद एवं चतुर्थ श्रेणी के 02 पद

आउटसोर्स) को समर्पित किए जाने के दृष्टिगत उक्त आदेश दिनांक 15.11.2018 को यथाप्रक्रिया संशोधित किया जाएगा।

5— उक्त पद 03 वर्ष से अधिक समय तक रिक्त रहने के कारण स्वतः ही समाप्त समझे जायेंगे।

6— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—193464/2024 दिनांक 23.02.2024 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 05-03-2024 16:07:19

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या— 195709 /XXIV—5/24—01(03)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक,माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 06-03-2024 13:36:47

(जे० एल० शर्मा)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः– / VIII-1 / 24–228(श्रम) / 2001–पार्ट–II
देहरादून, दिनांकः 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा–4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा–3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध मे जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 324 / VIII / 19–228 (श्रम) / 2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में–

(क) मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा संचालित किसी मदरसा जहां विद्यार्थियों से कोई फीस नही ली जा रही है या नाम मात्र की फीस ली जा रही है, (ख) किसी धार्मिक या दातव्य संस्था द्वारा संचालित किसी प्राइवेट विद्यालय जहां विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जा रही है या नाम मात्र की फीस ली जा रही है, (ग) उत्तराखण्ड बाल कल्याण परिषद् द्वारा संचालित किसी बाल बाड़ी, और (घ) मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट विद्यालय जिसे सरकार से सहायता मिल रही है, से भिन्न, उत्तराखण्ड में प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधिक संस्थायें भी सम्मिलित है, के नियोजन में नियोजित अशैक्षणिक वयस्क कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण और निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरे (रूपये प्रतिमाह)
(1)	(2)	(3)
1	चपरासी, रिक्शा चालक, माली, क्लीनर, बेलदार, मसालची, आया, बैरा, केयर टेकर या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	12391
2	दफ्तरी, राजगीर, रसोइया या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	12763
3	बस / ट्रक ड्राईवर, बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लैब असिस्टेन्ट, टेलर, नर्स, कम्पाउन्डर, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	13110
4	लिपिक / टंकक– (क) इण्टरमीडियेट तक शिक्षा प्राप्त (ख) स्नातक या उच्च शिक्षा प्राप्त	 13396 13675
5	लाईब्रेरियन / कैशियर या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	13960
6	लेखाकार– (क) कनिष्ठ (ख) ज्येष्ठ जो कम से कम बी0कॉम0 हो और साथ ही पांच वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव हो।	 14254 14819

नोट– किसी संस्था पर इस अधिसूचना के उपबन्धों के लागू होने में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम और सबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

1– विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।

2– **परिवर्तनीय महंगाई भत्ताः–** अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3– मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4– घंटेवार दर दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5– ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तद्नुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

6– मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7– जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियो को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8– ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा–13 की उपधारा–(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9– यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10— किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:– 301(1)/VIII/24–228(श्रम)/2001—पार्ट–II, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या:१०६९८/XXX(2)/2024-E 59244
देहरादून: दिनांक:२६ अप्रैल, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024 है।

(2) यह दिनांक 13 अगस्त, 2002 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (जिसे एतस्मिन पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) के हिन्दी पाठ में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 4 में खण्ड (झ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(झ) "वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।	(झ) "वर्ष/चयन वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

नियम 8 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 8 के उप नियम (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उप नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप–	(2) किसी एक चयन वर्ष में चयन के परिणामस्वरूप–
(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची	(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता

में दिखायी गयी हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं, वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के संबंध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके, दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त–(1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय ..... सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय से चतुर्थ तक .....सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति
पांचवां ..... पदोन्नत व्यक्ति
छठा से आठवां ..... सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त

सूची में दिखायी गयी हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन वर्ष में चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय, वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के संबंध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके, दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त–(1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय ..... सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय से चतुर्थ तक .....सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति
पांचवां ..... पदोन्नत व्यक्ति
छठा से आठवां ..... सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त

व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों;

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जायं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे;

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जायं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों;

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाय, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जायं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे;

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जायं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

Signed by Anand Bardhan
Date: 25-04-2024 16:24:14

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 215212 / XXVII(7) E-file-53526/2023
देहरादून, दिनांकः 03 मई, 2024
"जून"

कार्यालय–ज्ञाप

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–61, दिनांक 02.04.2018 द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) के अन्तर्गत विवरण पत्र–8 (विविध वित्तीय अधिकार) में "किसी कार्यालय में आहरण वितरण के कार्यों के सम्पादन हेतु आहरण वितरण अधिकारी एक स्वतंत्र इकाई के रूप स्थापित संस्थान के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी को, जो लेखा–प्रक्रिया तथा वित्तीय नियमों से भली–भांति परिचित हो, को नामित किये जाने की व्यवस्था है।

2– प्रदेश में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालयों में प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने के कारण आहरण वितरण के कार्य में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। अतः अपवादस्वरूप जिन विद्यालयों में प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के पद लम्बे समय से रिक्त है, उन विद्यालयों में स्थायी रूप से नियुक्त शिक्षक (प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एल0टी0) जिन्हें प्रभारी प्रधानाचार्य / प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया गया है, को सम्बन्धित विद्यालय में आहरण वितरण के कार्य के सुचारू संचालन हेतु आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है।

सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर व्यय विवरण के प्रेषण की सूचना तथा महालेखाकार से लेखों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

Signed by Ganga Prasad
Date: 03-06-2024 14:59:40
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव

संख्याः तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, देहरादून उत्तराखण्ड ।
4–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड ।

5—समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6—निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7—समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8—आडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10—वित्त अनुभाग—7, उत्तराखण्ड शासन।
11—एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Shriprakash
Tiwari
Date: 03-06-2024 16:52:33
(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या: \ /XXIV-A-2/24-46/2008 T.C IV
देहरादून, दिनांक 08 मई, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024 है।
(2) यह आगामी शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2\. "उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011" में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 2 के उपनियम (1) के विद्यमान खण्ड (ध) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को (अर्थात् प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की प्रथम तिथि) या उससे पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो।	"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो। वर्तमान में जिन बच्चों द्वारा प्री-स्कूल (नर्सरी, एल०के०जी०, यू०के०जी०) मे प्रवेश लिया जा चुका है उन्हें, कक्षा-1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जायेगी तथा उनके आगे की पढ़ाई की निरन्तरता में कोई भी व्यवधान नही होगा। आगामी वर्षों में प्री-स्कूल कक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री-स्कूल कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि केवल 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे ही कक्षा-1 में प्रवेश हेतु अर्ह हो। उक्त के साथ ही दिव्यांग बच्चों हेतु विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार अपनायी जायेगी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उनकी प्रारम्भिक शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी हो सके।

Signed by Raman Ravinath
Date: 08-05-2024 13:01:55

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या–214203/XXIV-B–1 /2024/32(02)/2011

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–01 देहरादून: दिनांक: 04 मई, 2024

विषय:– सहायक अध्यापक एल0टी0 शिक्षकों के मण्डल/संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या सेवायें–2/3(ख)1/1/2023/1719/2024–25, दिनांक 29 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2024' के नियम 4(1) के क्रम में सहायक अध्यापक एल0टी0 शिक्षकों के मण्डल परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में SOP का प्रारूप तैयार उपलब्ध कराया गया है।

2– उपरोक्त के क्रम में 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2024' के नियम 4(1) के परन्तुक में प्राविधानित व्यस्था क्रम में सहायक अध्यापक एल0टी0 शिक्षकों के सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र 01 बार मण्डल/संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में SOP निर्गत करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्गत किए जाते हैं :–

1. सहायक अध्यापक एल0टी0 के पद अपने मूल संवग/मण्डल (जिसमें शिक्षक नियुत हुए हैं) में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सहायक अध्यापक एल0टी0 शिक्षकों को सेवाकाल में मात्र एक बार के लिए संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य होगी।
2. संवर्ग/मण्डल परिवर्तन की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत की जा सकेगी।
3. दोनों मण्डलों के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा एकरूपता में निर्धारित किए गए प्रारूप पर संवर्ग/मण्डल परिवर्तन के इच्छुक शिक्षकों द्वारा सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक को आवेदन उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षकों के आवदनों को विषयवार सूचीबद्ध करते हुए समस्त आवेदन पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. संवर्ग/मण्डल परिवर्तन करते समय सामान्य शाखा में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्य शाखा एवं महिला शाखा में कार्यरत शिक्षिकाओं का स्थानांतरण महिला शाखा में ही किया जा सकेगा।
6. संवर्ग/मण्डल परिवर्तन करते समय विषय विशेष में दोनों मण्डलों में से जिस मण्डल में वास्तविक रिक्तियों की संख्या कम होगी, उस विषय में उतनी सीमा तक

ही समान श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण किए जा सकेंगे।

7. वास्तविक रिक्तियों की गणना करते समय जितने पदों पर सम्बंधित वर्ष में भर्ती हेतु प्रक्रिया गतिमान होगी उन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

8. मंडल में विषय विशेष में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष स्थानांतरण के आवेदन अधिक होने की स्थिति में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–17(1)(ख) में उल्लिखित कमानुसार समान श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध प्राप्त होने पर दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य सेवावधि पूर्ण होने की दशा में अधिनियम की धारा 17(1)(ग) (तीन) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

9. वरिष्ठ शिक्षक द्वारा दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र हेतु आवेदन किए जाने की स्थिति में (1) वरिष्ठता की गणना सहायक अध्यापक एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी। यदि पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो (2) अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को स्थानांतरित किया जाएगा। यदि आयु भी समान हो तो (3) दुर्गम स्थल में अधिक समय तक कार्य करने वाले शिक्षक को स्थानांतरित किया जाएगा।

10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षणोपरान्त शिक्षकों को मंडल आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

11. मंडलीय अपर निदेशक द्वारा संबंधित शिक्षक की पदस्थापना मण्डल के अन्तर्गत उपलब्ध वास्तविक रिक्त पदों के सापेक्ष सामान श्रेणी (सुगम/दुर्गम) के विद्यालय में

की जाएगी, किन्तु सामान श्रेणी के विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में भिन्न श्रेणी के विद्यालय में पद स्थापना की जा सकेगी। यदि दुर्गम श्रेणी में पद रिक्त न हो तो जिस शिक्षक द्वारा दुर्गम श्रेणी के विद्यालय में सर्वाधिक वर्षों की सेवा पूर्ण की हो उसकी तैनाती सुगम श्रेणी के विद्यालय में की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि सुगम श्रेणी में पद रिक्त न हो तो जिस शिक्षक द्वारा सुगम श्रेणी के विद्यालय में सबसे अधिक वर्षों की सेवा पूर्ण की हो, उसकी तैनाती दुर्गम श्रेणी के विद्यालय में की जा सकेगी।

12. उपरोक्त समस्त कार्यवाही के उपरान्त मण्डल/संवर्ग परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

13. मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के प्रस्तावों के परीक्षण हेतु शासन स्तर पर निम्नवत समिति गठित की जाती है :—

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	— अध्यक्ष
अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन	— सदस्य
संयुक्त सचिव/उप सचिव/ अनु सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	— सदस्य

14. उपरोक्त समिति की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा मण्डल/संवर्ग परिवर्तन का अनुमोदन प्रदान किया जाएगा, जिसके क्रम में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए जाएंगे।

15. एक मण्डल से दूसरे मण्डल में संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक स्थानांतरण के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल

में कनिष्ठतम होंगे।

16. उक्तवत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 29-05-2024 13:15:12

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या–214203/ XXIV-B–1 /24/32(02)/2011 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिप– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. - निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - अपर निदेशक, माध्यमिक, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
3. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Prem Singh Rana
Date: 03-06-2024 10:42:52

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 14 जून, 2024

विषयः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु परीक्षा प्रावधान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–अकादमिक(04)/18452/परीक्षा/2023–24 दिनांक 01 मार्च, 2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चो को छूट दिये जाने के सम्बन्ध मे हैं।

2– अतएव उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" (आर0पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट–2016) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु निर्धारित प्राविधान के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत निम्नवत परीक्षा प्रावधान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1– विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (CWSN) अपंगता के अनुसार परीक्षा में एक घंटा अतिरिक्त समय दिया जाय।	1– "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) में उल्लिखित दिव्यांगताओं यथा अन्धापन, कम–दृष्टि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन), लोकोमोटर दिव्यांगता, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मल्टीपल स्कलेरोसिस, भाषण और भाषा दिव्यांगता थेलेसिमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहरापन सहित कई दिव्यांगता, एसिड अटैक, पीड़ित पार्किंसंस रोग से पीडित बच्चों लिये छूट:–
(क) प्रारम्भिक स्तर पर कक्षा 5 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं (CWSN) अपंगता के अनुसार श्रुत लेखन, उपलब्ध कराया जायेगा।	(क) प्रारम्भिक शिक्षा की परीक्षा में बैठने वाले ऐसे विद्यार्थी जो उपरोक्त वर्णित दिव्यांगताओं से पीड़ित हों, को प्रश्न पत्र के लिये 20 मिनट प्रति घण्टे का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है एवं ऐसे समस्त छात्र श्रुत लेखक की सेवाएं ले सकते है।
	(ख) आवश्यकतानुसार श्रुत लेखक, को उस कक्षा से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए, जिसके लिए परीक्षा दे रहा है। (ग) कक्षा 3 एवं 4 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं (CWSN) की मौखिक परीक्षा (Oral) लेते हुये, परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 14-06-2024 23:31:24

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या : 1016 /XXIV-B-1/24/07(04)/2016

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक :04 जुलाई, 2024

विषयः माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 से प्रवक्ता संवर्ग में भविष्य में होने वाली पदोन्नति पर पदस्थापना काउसिलिंग के माध्यम से एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग के अनतर्गत समस्त शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण काउसिलिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–सेवा–2/3(क)/2(01)/विविध/5026/2024–25, दिनांक 01.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 से प्रवक्ता संवर्ग में भविष्य में होने वाली पदोन्नति पर पदस्थापना काउसिलिंग के माध्यम से एवं वार्षिक स्थानान्तरण प्रक्रिया में सहायक अध्यापक एल0टी0 तथा प्रवक्ता संवर्ग के स्थानान्तरण काउसिलिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया गया है।

2– शासनादेश संख्या–585/XXIV–B–1/2020–07(04)/2016, दिनांक 17.07.2020 के माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति पर पदस्थापना काउसिलिंग के माध्यम से किये जाने के दिशा–निर्देश निर्गत किए गये हैं।

2– शासनादेश संख्या–585/XXIV–B–1/2020–07(04)/2016, दिनांक 17.07.2020 के माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति पर पदस्थापना काउसिलिंग के माध्यम से किये जाने के दिशा–निर्देश निर्गत किए गये हैं।

3– इस क्रम में प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17.07.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के आधार पर भविष्य में प्रवक्ता संवर्ग में होने वाली पदोन्नतियों पर पदस्थापना काउसिलिंग के माध्यम से

किये जाने तथा वर्तमान स्थानान्तरण सत्र हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त शिक्षकों के स्थानान्तरण/तैनाती (इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी भी दशा में 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017' का उल्लंघन न होने पाए) काउसिलिंग के माध्यम से किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या- 1016 /XXIV-B-1 /24/07(04)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–01
संख्या–225300 /XXIV-B-1/24-31(01)/2020
देहरादून : दिनांक22 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन दस्तावेज सार्थक में वर्णित अध्याय–6 "समतामूलक और समावेशी शिक्षा : सभी के लिए अधिगम" के पैरा 6. 2 एवं टास्क संख्या–167, 168 व 169 में वर्णित मानकों तथा राज्य द्वारा निर्धारित स्थानीय मानकों के आधार पर सामाजिक आर्थिक रूप से अपवंचित समूहों (Socio-Economic Disadvantaged Groups : SEDG) युक्त आबादी वाले क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र (Special Education Zones : SEZ) निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गयी है, जिससे भविष्य में इन क्षेत्रों के शैक्षिक संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का निर्धारण एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

02– उक्त के क्रम में विशेष शिक्षा क्षेत्रों (SEZ) के निर्धारण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा के पत्रांक–SCERT/NEP/SEZ पत्रा0/9197–202/2023–24, दिनांक 20 जनवरी, 2024 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में राज्य में जनपदवार निम्न चिन्हित क्षेत्रों को **विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZ)** घोषित किया जाता है:–

1. अल्मोड़ा	
(क) भिकियासैण –	
संकुल का नाम	**समर्थित तथ्य**
भिकियासैण	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमतायें
कन्तोली	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात
नौला	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
नवीन जालली	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमतायें
चौड़ाखाल	न्यून सकल पहुंच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमतायें, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
बासोट	न्यून सकल पहुंच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अ.जा./अ.ज.जा./पिछडी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
हउली	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र

सिनौड़ा	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र

(ख) भैसियाछाना –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
धौलछिना	राज्य आधारित विशेष विषमतायें (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)
धनचौरा	खनन बहुल क्षेत्र
धौलनेली	अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
पेटशाला	अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
कनारिछीना	अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
बाड़ेछिना	अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र

(ग) चौखुटिया –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
चौखुटिया	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
जयरामबाखल	अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
मासी	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
रामपुर	राज्य आधारित विशेष विषमतायें (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)
गोदी	राज्य आधारित विशेष विषमतायें (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर वाले क्षेत्र
तड़ागताल	न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर वाले क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र।
महाकालेश्वर	अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र

(घ) धौलादेवी –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
भनोली	असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विशेष विषमतायें (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
गौली	असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विशेष विषमतायें (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
ध्याड़ी	राज्य आधारित विशेष विषमतायें (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)
अन्डोली	राज्य आधारित विशेष विषमतायें (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र

(ङ) द्वाराहाट –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बिन्ता	न्यून सकल पहुंच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
कामा	अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
बग्वाली पोखर	न्यून सकल पहुंच दर, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
रियूनी	खनन क्षेत्र।
कुवाली	अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।

बटूलिया	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, अ.जा / अ.ज.जा. /पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
रूभाड़ी	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
जालली	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, अ.जा / अ.ज.जा /पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
डढोली	अ.जा / अ.ज.जा /पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
दुधौली	शिक्षा विषयक विषमतायें।

(च) हवालबाग –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
टानी	खनन बहुल क्षेत्र।
स्यालीधार	खनन बहुल क्षेत्र।
ग्वालकोट	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र।
दौलाघट	पिछड़ी जाति, मुस्लिम अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
नगर क्षेत्र	मुस्लिम अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, बाल्मीकि समाज।

(छ) लमगड़ा –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
ओड़यूड़ा	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र।
भटयुड़ा	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र।
रतखान	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र।
बुधाण	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र।

(ज) ताकुला –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
वैगनिया	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र, न्यून सकल पहुंच दर ।

(झ) सल्ट –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
मछोड़	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र।

(ञ) स्याल्दे –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
जोगी जवाड	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र।
गाजर	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र।
मठखानी	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र।
ग्वाल्बीना	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र।
तल्ली चिन्तोली	न्यून महिला साक्षरता दर।
मल्ला चिन्तोली	न्यून महिला साक्षरता दर।

2.बागेश्वर

(क) बागेश्वर

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
खातीगांव	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, राज्य आधारित विषमताएं, अ.जा / अ.ज.जा /पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
सवतसेरा	अ.जा / अ.ज.जा /पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
पतगाव	छात्र / छात्राओं मे कुपोषण।

देवलधार	खनन बाहुल्य क्षेत्र, असामान्य लैंगिक अनुपात।
बनलेख	खनन बाहुल्य क्षेत्र।
काण्डा	खनन बाहुल्य क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
काण्डे	खनन बाहुल्य क्षेत्र।
रवाईखाल	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
आरे	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
चौरा	खनन बाहुल्य क्षेत्र, असामान्य लैंगिक अनुपात।
सानीउडियार	असामान्य लैंगिक अनुपात।

(ख) गरूड़

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
पिंगली	भेड़पालक/पशुपालक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।
भिलकोट	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, भेड़पालक/पशुपालक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।
बैजनाथ	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
तिलसारी	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, भेड़पालक/पशुपालक क्षेत्र।
लौबांज	भेड़पालक/पशुपालक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।

(ग) कपकोट

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बदियाकोट	आपदा प्रभावित क्षेत्र, भेड़पालक/पशुपालक क्षेत्र, राज्य आधारित विषमताएं, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
दियाली	खनन बाहुल्य क्षेत्र।
सूपी	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, राज्य आधारित विषमताएं, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
शामा	राज्य आधारित विषमताएं, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
उत्तरौढ़ा	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
असों	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।

3.चमोली

(क) जोशीमठ

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
तपोवन	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुँच दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, भेड़पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
हेलंग	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम

	भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./ अ.ज.जा. /पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, भेड़पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
पाण्डुकेश्वर	न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, सीमान्त क्षेत्र, खनन बहुल क्षेत्र, भेड़पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
मलारी	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, सीमान्त क्षेत्र, खनन बहुल क्षेत्र, भेड़पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
द्वीगतपोण	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, भेड़पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।

(ख) दशोली

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
छिनका	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमताएं, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा /पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र, विशेष औद्य ौगिक क्षेत्र।
बैरागना	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, न्यून महिला साक्षरता दर।
मैठाणा	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुँच दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा. /पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र।
गडोरा	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमताएं, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा /पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
अल्कापुरी	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, छात्र/छात्राओं मे कुपोषण, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र।

(ग) नन्दानगर

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
उस्तोली	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, असामान्य लैंगिक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, भेड़पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र।
बूरा	न्यून साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, भेड़पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
फरखेत	न्यून साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र।
सेमा	न्यून साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, असामान्य लैंगिक अनुपात, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।

(घ) कर्णप्रयाग

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
सोनला	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र।
सिमली	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र।
नौली	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र।
नौटी	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।
नैनीसैण	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
झिरकोटी	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी

	जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
बमोथ	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।

(ङ) पोखरी

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
किमोठा	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।
गिरसा	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, खनन बहुल क्षेत्र।
थालाबैड	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
पोखरी	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र।

(च) गैरसैण

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
गैरसैण	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
आदिबद्री	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
देवलकोट	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
मेहलचौरी	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
रोहिडा	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।

कुशरानी	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ जा / अ.ज.जा. / पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।

(छ) नारायणबगड़

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
हरमनी	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ जा / अ.ज.जा. / पिछडी जाति / अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
नारायणबगड़	न्यून सकल पहुँच दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा / अ.ज.जा. / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
भगोती	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ. जा / अ.ज.जा. / पिछड़ी जाति / अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
जाखपाट्यों	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ जा / अ.ज.जा. / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।

(ज) थराली

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
लोल्टी	न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमताएं, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा / अ.ज.जा. / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
थराली	न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा / अ.ज.जा. / पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, भेड़पालक / पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।

(झ) देवाल

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
देवाल	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा / अ.ज.जा. / पिछडी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता

	दर, खनन बहुल क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
मुन्दोली	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमताए, स्वास्थ्य विषयक विषमताए, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
लिगडी	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमताएं, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
4.चम्पावत	
(क) पाटी	
देवीधुरा	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, राज्य आधारित विशेष विषमताएं, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
चौडामेहता	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, राज्य आधारित विशेष विषमताए, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र।
चौड़ाकोट	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, राज्य आधारित विशेष विषमताएं, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
कमलेख	राज्य आधारित विशेष विषमताए, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र।
रौलमेल	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, राज्य आधारित विशेष विषमताए, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
(ख) बाराकोट	
बाराकोट	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
रैघांव	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
पल्सों	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, आपदा प्रभावित क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं।
बापरू	विषम सामाजिक परिस्थिति वाले क्षेत्र, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमताए।
(ग) लोहाघाट	
रौशाल	सीमान्त क्षेत्र, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमताए, स्वास्थ्य विषयक विषमताए, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र।

ढोरजा	सीमान्त क्षेत्र, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं।
डुमडाई	सीमान्त क्षेत्र, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, स्वास्थ्य विषयक विषमताए।
बसकुनी	सीमान्त क्षेत्र, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं।
किमतोली	सीमान्त क्षेत्र, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं।
कोलीढेक	–
भुमलाई	–
(घ) चम्पावत	
दुबडजैनल	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राज्य आधारित विशेष विषमताए, स्वास्थ्य विषयक विषमताए।
सिमियाउरी	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) मे न्यून उपलब्धि, राज्य आधारित विशेष विषमताएं, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, सीमान्त क्षेत्र।
सिप्टी	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, राज्य आधारित विशेष विषमताएं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि।
खर्ककार्की	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि।
स्वाला	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, शिक्षा विषयक विषमताएं, न्यून महिला साक्षरता दर, स्वास्थ्य विषयक विषमताए, सीमान्त क्षेत्र, राज्य आधारित विशेष विषमताए, आपदा प्रभावित क्षेत्र, खनन बहुल क्षेत्र।
सिमल्टा	राज्य आधारित विशेष विषमताएं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, स्वास्थ्य विषयक विषमताए।
मोहनपुर आमबाग	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, खनन बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र, सीमान्त क्षेत्र, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि।
बमनजोल	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, स्वास्थ्य विषयक विषमताए, न्यून महिला साक्षरता दर, राज्य आधारित विशेष विषमताए, अ.जा./अ.ज.जा./पिछडी जाति बाहुल्य क्षेत्र, खनन बहुल क्षेत्र, सीमान्त क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।

5. देहरादून

(क) चकराता

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बुनाड	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अध्ययन/निर्देशों का माध्यम मातृभाषा से भिन्न होना, छात्र/छात्राओं मे कुपोषण, शिक्षा विषयक विषमताएं, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र, भेड पालक/पशु पालक क्षेत्र।
भन्द्रोली	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अध्ययन/निर्देशों का माध्यम मातृभाषा से भिन्न होना, छात्र/छात्राओं मे कुपोषण, शिक्षा विषयक विषमताएं, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र, भेड पालक/पशु पालक क्षेत्र।
दसऊ	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अध्ययन/निर्देशों का माध्यम मातृभाषा से भिन्न होना, छात्र/छात्राओं में कुपोषण, शिक्षा विषयक विषमताएं, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, भेड पालक/पशु पालक क्षेत्र।
काण्डोई बौन्दूर	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अध्ययन/निर्देशों का माध्यम मातृभाषा से भिन्न होना, छात्र/छात्राओं में कुपोषण, शिक्षा विषयक विषमताएं, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र, भेड पालक/पशु पालक क्षेत्र।
भुनाड	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अध्ययन/निर्देशों का माध्यम मातृभाषा से भिन्न होना, छात्र/छात्राओं में कुपोषण, शिक्षा विषयक विषमताएं, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, अ.जा. /अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, भेड पालक/पशु पालक क्षेत्र।
डेगी	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अध्ययन/निर्देशों का माध्यम मातृभाषा से भिन्न होना, छात्र/छात्राओं में कुपोषण, शिक्षा विषयक विषमताएं, स्वास्थ्य विषयक विषमताए, अ.जा. /अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, भेड पालक/पशु पालक क्षेत्र।
जाडी	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अध्ययन/निर्देशों का माध्यम मातृभाषा से भिन्न होना, छात्र/छात्राओं में कुपोषण, शिक्षा विषयक विषमताएं, स्वास्थ्य विषयक विषमताए, अ.जा. /अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, भेड पालक/पशु पालक क्षेत्र।
रंगेऊ	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अध्ययन/निर्देशों का माध्यम मातृभाषा से भिन्न होना, छात्र/छात्राओं में कुपोषण, शिक्षा विषयक विषमताएं, स्वास्थ्य विषयक विषमताए, अ.जा. /अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, भेड पालक/पशु पालक क्षेत्र।
मिण्डाल	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अध्ययन/निर्देशों का माध्यम मातृभाषा से भिन्न होना छात्र/छात्राओं मे कुपोषण, शिक्षा विषयक

	विषमताएं, स्वास्थ्य विषयक विषमताए, अ.जा /अ.ज.जा /पिछड़ी जाति/ अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्र, भेड पालक/पशु पालक क्षेत्र।

(ख) कालसी

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
भजरा	न्यून महिला साक्षरता, न्यून सकल पहुँच दर, अ.जा /अ.ज.जा बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, आपदा ग्रस्त क्षेत्र।
डागुरा	न्यून महिला साक्षरता, अ.जा /अ.ज.जा.बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, आपदा ग्रस्त क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
कोरूवा	न्यून महिला साक्षरता, अ.जा/अ.ज.जा.बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, लैंगिक अनुपात भौगोलिक क्षेत्र एवं आपदा ग्रस्त क्षेत्र।
नराया	न्यून महिला साक्षरता, अ.जा/अ.ज.जा.बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र एवं आपदा ग्रस्त क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
उदपाल्टा	न्यून महिला साक्षरता, अ.जा/अ.ज.जा.बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, आपदा ग्रस्त क्षेत्र।
कोटी	न्यून महिला साक्षरता, अ.जा /अ.ज.जा.बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र एवं आपदा ग्रस्त क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
कालसी	न्यून महिला साक्षरता, अ.जा/अ.ज.जा.बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र एवं आपदा ग्रस्त क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
खाड़ी	न्यून महिला साक्षरता/न्यून सकल पहुँच दर, अ.जा/अ.ज.जा. बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र एवं आपदा ग्रस्त क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
मुन्धान	विषम भौगोलिक क्षेत्र, पलायन ग्रस्त क्षेत्र, अ.जा/अ.ज.जा.बाहुल्य क्षेत्र।

(ग) विकासनगर

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
धर्मावाला	न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र/छात्राओं में कुपोषण, शिक्षा विषयक विषमताए, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर वाले क्षेत्र, अ.जा/ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर वाले स्थान, सीतान्त क्षेत्र, खनन बहुल क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र, भेड पालक/पशुपालक क्षेत्र।
ढकरानी	अल्पसंख्यक एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र।
सभावाला	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
लौंघा	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।

(घ) सहसपुर

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
सहसपुर	न्यून सकल पहुँच दर, अल्पसंख्यक क्षेत्र, खनन बहुल क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
झाझरा	औद्योगिक क्षेत्र, छात्र/छात्राओं में कुपोषण।
आमवाला	शिक्षा विषयक विषयक विषमताएं, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर वाले क्षेत्र।

रामपुर माऊवाला	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, खनन बाहुल्य क्षेत्र।
भगवन्तपुर	न्यून महिला साक्षरता दर वाले क्षेत्र।
आरकेडिया	सीमान्त क्षेत्र, खनन बाहुल्य क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र, भेड़ पालक/पशुपालक क्षेत्र।
आरकेडिया -2 (देहरादून नगर क्षेत्र)	अल्प संख्यक क्षेत्र
नगर क्षेत्र - मसूरी	अल्प संख्यक क्षेत्र

(ङ) रायपुर

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
थानो	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, विरल जनसँख्या क्षेत्र,
सरोना	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र एवं आपदा ग्रस्त क्षेत्र।
रायपुर	खनन बाहुल्य क्षेत्र।
आशारोडी आरक्षित वन क्षेत्र	वन गुर्जर क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र।
नगर क्षेत्र रेसकोर्स, माजरा, बडा भारूवाला, ब्राह्मणवाला, आजाद कालोनी (आई0एस0बी0टी0), चूना भट्टा, मुस्लिम कॉलोनी (लक्खीबाग)	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
नगर क्षेत्र आई0एस0बी0टी0/ रिस्पना पुल	बाल भिक्षावृत्ति क्षेत्र
नगर क्षेत्र रिस्पना पुल नदी क्षेत्र जाखन से दौडवाला तक	शहरी गरीब क्षेत्र, न्यून आय वर्ग, बाल कुपोषित क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।
देहरादून नगर क्षेत्र	अल्प संख्यक बहुल क्षेत्र।

(च) डोईवाला

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
डोईवाला	न्यून सकल पहुँच दर, वन गुर्जर क्षेत्र।
रानीपोखरी	खनन बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र नामांकन।

6- हरिद्वार

(क) बहदराबाद

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बहदराबाद	विशेष औद्योगिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, मलिन बस्ती, प्रवासी आबादी।
लालढांग	वन गुर्जर क्षेत्र।

न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य लैंगिक अनुपात स्वास्थ्य विषयक विषमतायें।

(ख) लक्सर

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
सुल्तानपुर	अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
बहादरपुर खादर	अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
मुण्डाखेड़ा कला	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
भिक्कमपुर जीतपुर	खनन प्रभावित क्षेत्र।
रायसी	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र।
निरंजनपुर	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र।
असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, शैक्षिक रूप से पिछड़ा विकास खण्ड।	

(ग) खानपुर

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
पोडोवाली	खनन प्रभावित।
गोवर्धनपुर	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
खानपुर	अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र।
असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें।	

(घ) भगवानपुर

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
सिकन्दरपुर भैंसवाल	विशेष औद्योगिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र।
चुड़ियाला	विशेष औद्योगिक क्षेत्र, अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र, असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, शैक्षिक रूप से पिछड़ा विकास खण्ड।
चोली शहाबुद्दीनपुर	विशेष औद्योगिक क्षेत्र, अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र।
नौकराग्रांट	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र।
भगवानपुर	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र।
असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, शैक्षिक रूप से पिछड़ा विकास खण्ड।	

(ङ) रूड़की

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बेलड़ा	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
नन्हेड़ा	विशेष औद्योगिक क्षेत्र, न्यून साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमतायें।
भौरी	न्यून सकल पहुँच दर।
दौलतपुर	असामान्य लैंगिक अनुपात, छात्र/छात्राओं मे कुपोषण।
पनियाला	न्यून शैक्षिक संप्राप्ति स्तर, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें।
ताशीपुर	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, अ.जा./ अ.ज.जा. बाहुल्य क्षेत्र।
असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, शैक्षिक रूप से पिछड़ा विकास खण्ड।	

(घ) नारसन	
नारसन कलां	अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र।
मुण्डलाना	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
मंगलौर	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून शैक्षिक स्तर।
मोहम्मदपुर	विशेष औद्योगिक क्षेत्र।
लाठरदेवाहुण	विशेष औद्योगिक क्षेत्र।
असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें।	

आकांक्षी जनपद, कांवड़ यात्रा क्षेत्र, पिरान कलियर, कुम्भ क्षेत्र तथा गंगा स्नान क्षेत्र के आधार पर सम्पूर्ण जनपद को विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZ) निर्धारित करने की अनुशंसा की जाती है।

7. नैनीताल

(क) रामनगर

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
सांवल्दे	बन गुर्जर क्षेत्र एवं पशुपालक क्षेत्र।
चिल्किया	अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।
छोई	अल्पसंख्यक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, प्रवासी क्षेत्र, बन गुर्जर क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।

(ख) कोटाबाग

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
कालाढूंगी	बन गुर्जर क्षेत्र, अल्पसंख्यक क्षेत्र, झुग्गी बस्ती।
स्यात	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
डोला	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
अमगढ़ी	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
बैलपड़ाव	बन गुर्जर क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।

(ग) हल्द्वानी

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
कुंवरपुर	अल्पसंख्यक क्षेत्र, न्यून साक्षरता दर।
हरिपुर बच्ची	बन भूमि, झुग्गी बस्ती।
देवलचौड़	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र।
लाखनमंडी	बन भूमि, झुग्गी बस्ती।

(घ) भीमताल

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
ओखलढूंगा	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
पिनरौ	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।

(ङ) धारी –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
सरना	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, बिखरी आबादी क्षेत्र (Scattered Population)
चौखुटा	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, बिखरी आबादी क्षेत्र (Scattered Population)

मज्यूली	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, बिखरी आबादी क्षेत्र (Scattered Population)

(च) ओखलकांडा –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
डालकन्या	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
तुसराड	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
ओखलकांडा	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
कालआगर	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
सुनकोट	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
नाई	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।

(छ) रामगढ़ –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
रामगढ	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
नथुवाखान	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
पाथरी	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
सिरमोली	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
सुयालबाड़ी	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
प्यूड़ा	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।

(ज) बेतालघाट –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
रातीघाट	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
खैरना	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
सिमल्खा	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
दारिमा	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
घघरेटी	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।

बेतालघाट	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।

8. पौड़ी गढ़वाल

(क) बीरोंखाल

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
कोटा	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ।
दुनाव	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ।
मैलधार	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ।
स्यूसी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ।
फरसाड़ी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ।
ड़ौर	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ।
जिवई	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ।
ग्वीनखाल	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ।

(ख) दुगड्डा

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
उत्तिर्छा	राज्य आधारित विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र।
नगर क्षेत्र कोटद्वार	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।

(ग) द्वारीखाल

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
खरीक	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
ठंठोली	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें।
पुल्यासू	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, न्यून साक्षरता दर।
किनसुर	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, न्यून साक्षरता दर।
डाबर	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
सुराडी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
जमेली	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, पशु पालक बाहुल्य क्षेत्र।

सिराई	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें।
राजखिल	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
काण्डारखाल	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें।

(घ) एकेश्वर

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
कोटा	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
पचुर	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
धरासू	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
रिगवाड़ी	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
स्योली	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
बमोली	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
पातल	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
गोर्ली	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
काण्डई	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
मौदाड़ी	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।

(ङ) जयहरीखाल

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
असनखेत	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, पशु पालन बाहुल्य क्षेत्र।
सेन्धीखाल	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, पशु पालन बाहुल्य क्षेत्र।
दुधारखाल	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, पशु पालन बाहुल्य क्षेत्र।
धौलखेतखाल	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, पशु पालन बाहुल्य क्षेत्र।
घेरूवा	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात पशु पालन बाहुल्य क्षेत्र।
जयहरी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
खैरासैण	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात पशु पालन बाहुल्य क्षेत्र।

कुण्डोली	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
मैरूड़ा	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, पशु पालन बाहुल्य क्षेत्र।

(च) कल्जीखाल

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
सागुड़ा	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
लहेड़ा	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
पीपलपानी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।

(छ) खिर्सू

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
पोखरी	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
चमराड़ा	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
देवलगढ	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।

(ज) नैनीडांडा

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
कमेड़ा	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)।
उम्टा	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)।
बिरखेत	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)।
किनाथ	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)।
कसाना	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताए (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)।
भौन	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताए (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)।

डुगरी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)।
पडसोली	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)।
उटिण्डागॉव	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)।
चोरगड	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र)।

(झ) पाबौ

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
पीपली	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), ओ0बी0सी0 बाहुल्य क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
सैजी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), ओ0बी0सी0 बाहुल्य क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
चिपलघाट	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), ओ0बी0सी0 बाहुल्य क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
बिडोली	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), ओ0बी0सी0 बाहुल्य क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
पाबौ	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), ओ0बी0सी0 बाहुल्य क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
गडरी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), ओ0बी0सी0 बाहुल्य क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।
गवाणी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), ओ0बी0सी0 बाहुल्य क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात।

(ञ) पोखड़ा

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
गडरी	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य लैंगिक अनुपात, विषम भौगोलिक परिस्थिति, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें।
गवाणी	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य लैंगिक अनुपात, विषम भौगोलिक परिस्थिति, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें।

(ट) रिखणीखाल

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
ढौंटियाल	विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ।
धामधार	विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ।

(ठ) थलीसैण

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
कैन्यूर	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य लैंगिक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
पित्रसैण	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य लैंगिक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
बूंगीधार	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य लैंगिक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
बगेली	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य लैंगिक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
चौरा	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य लैंगिक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
पैठाणी	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य लैंगिक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
स्योली	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य लैंगिक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।

(ड) कोट

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
सैंडी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें।

(ढ) पौडी

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बाड़ा	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।

(ण) यमकेश्वर

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बनचूरी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक

	अनुपात।
बढ़यूण	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
बढ़ोली बड़ी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
मागथा	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
नौगाँव	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
नीलकंठ	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
गंगा भोगपुर	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।
गेण्ड	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में न्यून उपलब्धि, शिक्षा विषयक विषमतायें, असामान्य लैंगिक अनुपात।

9. पिथौरागढ़

(क) बिण

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
नैनी	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र
दौला	अन्य पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र
जाख	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र
भुरमुनी	दुर्गम भौगोलिक स्थिति, अन्य पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।
सटगल	भेड़ पालन / पशुपालन क्षेत्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र,
गुरना	खनन बाहुल्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र
बास्ते	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र
गणकोट	खनन बाहुल्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र
मझेड़ा	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र

(ख) मूनाकोट

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
मनकटिया	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, अ.जा / अ.ज.जा / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
मूनाकोट	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा / अ.ज.जा. / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
गौड़ीहाट	सीमान्त क्षेत्र, खनन बहुल क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक स्थिति।

मसौली	दुर्गम भौगोलिक स्थिति।
भाटीगाव	दुर्गम भौगोलिक स्थिति।
बीसाबजेड	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक स्थिति।
कुमल्ता नाघर	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
गाड़गाव	विषम भौगोलिक क्षेत्र।
बड़ाबे	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसख्यक बाहुल्य क्षेत्र, सीमान्त क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक स्थिति।

(ग) कनालीछीना

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
पाली	खनन बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, पशुपालन/मत्स्य पालन क्षेत्र।
मोड़ी	खनन बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र।
चमू	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, पशुपालन बहुल क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
पीपली	सीमान्त क्षेत्र, खनन बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें।
पुखरौड़ा	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, खनन बाहुल्य क्षेत्र ।
देवल	सीमान्त क्षेत्र, खनन बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राजी जनजाति (ST) बाहुल्य क्षेत्र।

(घ) डीडीहाट

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
दुर्लेख	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, पशुपालन/मत्स्य पालन क्षेत्र।
अठखेत	अ.जा. एवं पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र, पशुपालन/मत्स्य पालन बहुल क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें ।
मसमोली	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, पशुपालन/मत्स्य पालन बहुल क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
धनियाखान	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
दूनाकोट	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, पशुपालन/मत्स्य पालन बहुल क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, राजी जनजाति (ST) बाहुल्य क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें ।
लखतीगाँव	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र।

(ङ) धारचूला

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बरम	सीमान्त क्षेत्र, भेड़ पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
दुग्तू	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, सीमान्त क्षेत्र, भेड पालक /पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।

धारचूला देहात	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, सीमान्त क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र, भेड पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
गुन्जी	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, सीमान्त क्षेत्र, भेड पालक/ पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
खेत	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, सीमान्त क्षेत्र, भेड पालक/ पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
सोसा	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, सीमान्त क्षेत्र, भेड पालक/ पशुपालक बहुल क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।

(च) मुनस्यारी

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
सिरतोला	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात, खनन बाहुल्य क्षेत्र, विषम भौगोलिक स्थिति।
मडलकिया	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात, खनन बाहुल्य क्षेत्र, विषम भौगोलिक स्थिति।
क्वीटी	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात, खनन बाहुल्य क्षेत्र, विषम भौगोलिक स्थिति।
नाचनी	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात, खनन बाहुल्य क्षेत्र, विषम भौगोलिक स्थिति।
बौसबगड़	अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात, खनन बाहुल्य क्षेत्र, विषम भौगोलिक स्थिति।

(छ) बेरीनाग

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
दन्तोला	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें।
राई गडस्यारी	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, खनन बाहुल्य क्षेत्र।
पुराना‍थल	खनन बाहुल्य क्षेत्र, विषम भौगोलिक स्थिति।
भुवनेश्वर	खनन बाहुल्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र।
क्वेराली	खनन बाहुल्य क्षेत्र।
काण्डे	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें।

(ज) गंगोलीहाट

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
देवराडीपन्त	न्यून छात्र शिक्षक अनुपात, खनन बाहुल्य क्षेत्र, विषम भौगोलिक स्थिति।
जाखनी उप्रेती	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, खनन बाहुल्य क्षेत्र, विषम भौगोलिक

	स्थिति।
घाघल	पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें।
पोखरी	विषम भौगोलिक स्थिति।
चहज	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, विषम भौगोलिक स्थिति।
नैनोलीकैणा	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, आपदाग्रस्त क्षेत्र।
नागल	खनन बाहुल्य क्षेत्र।
रिठागत	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात, खनन बाहुल्य क्षेत्र, विषम भौगोलिक स्थिति।
सिमल्टा	खनन बाहुल्य क्षेत्र।

10. रूद्रप्रयाग

(क) जखोली

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
कोट बांगर	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), भेड पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र।
स्यूर बांगर	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), भेड पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र।
पाजणा	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राज्य आधारित विषमताएं (दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र), भेड पालक/पशुपालक बहुल क्षेत्र।

(ख) ऊखीमठ

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
ऊखीमठ	आपदा प्रभावित क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
मनसूना	आपदा प्रभावित क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
ल्वारा	आपदा प्रभावित क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
फाटा	आपदा प्रभावित क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
गुप्तकाशी	आपदा प्रभावित क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।

11. टिहरी गढ़वाल

(क) भिलंगना

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
देवट	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुच दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, असामान्य लैंगिक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राज्य आधारित विषमताओं वाले क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति वाले क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता वाले स्थान।
जाख	न्यून साक्षरता दर, असामान्य लैंगिक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राज्य आधारित विषमताओं वाले क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछडी जाति वाले क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता वाले स्थान, भेड पालक व पशुपालक बाहुल्य क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
भटगाव	न्यून साक्षरता, असामान्य लैंगिक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राज्य आधारित विषमतायें, अ.जा./ अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र।

पढ़ागली	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुंच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, असामान्य लैंगिक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राज्य आधारित विषमताओं वाले क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति वाले क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता वाले स्थान, , भेड पालक व पशुपालक बाहुल्य क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
फदुड	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुंच दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, असामान्य लैंगिक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राज्य आधारित विषमताओं वाले क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति वाले क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता वाले स्थान, भेड पालक व पशुपालक बाहुल्य क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
खसेती	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुंच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति वाले क्षेत्र, अ.जा / अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता वाले स्थान, , भेड़ पालक व पशुपालक बाहुल्य क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
थाती	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुंच दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राज्य आधारित विषमताओं वाले क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति वाले क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता वाले स्थान, आपदा प्रभावित क्षेत्र
देवज	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुंच दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राज्य आधारित विषमताओं वाले क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति वाले क्षेत्र, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता वाले स्थान, खनन बाहुल्य क्षेत्र।
कोठियाड़ा	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुंच दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राज्य आधारित विषमताओं वाले क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति वाले क्षेत्र, अ.जा / अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र।
खिरबेल	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राज्य आधारित विषमतायें, अ.जा./ अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र।
दल्ला	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र।

(ख) चम्बा

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
पलास	न्यून सकल पहुंच दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, शिक्षा विषयक विषमताऐं (आधुनिकता का अभाव), सीमान्त क्षेत्र, विषम भौगोलिक परिस्थिति, यातायात ससाधनों का अभाव, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति, अतिवृष्टि के कारण आपदा प्रभावित क्षेत्र।

(ग) देवप्रयाग

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
डोबरी	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, राज्य आधारित विषमतायें, न्यून महिला साक्षरता दर, निर्माण क्षेत्र, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
भटकोट	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, राज्य आधारित विषमतायें, न्यून महिला साक्षरता दर, निर्माण क्षेत्र, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
पलेठी	न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, राज्य आधारित विषमतायें, न्यून महिला साक्षरता दर, निर्माण क्षेत्र, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।

(घ) जाखणीधार

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
दुग डडवाली	टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र, न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, राज्य आधारित विषमतायें, न्यून महिला साक्षरता दर, निर्माण क्षेत्र, अ जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
सैंण	टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र, न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, राज्य आधारित विषमतायें, न्यून महिला साक्षरता दर, निर्माण क्षेत्र, अ जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
जलवालगांव	टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र, न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण मे न्यून उपलब्धि/प्रदर्शन, असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, राज्य

	अधारित विषमतायें, न्यून महिला साक्षरता दर, निर्माण क्षेत्र, अ.जा / अ.ज.जा / पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
सिलोली	टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र, न्यून साक्षरता दर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि / प्रदर्शन, असामान्य लैंगिक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, राज्य आधारित विषमतायें, न्यून महिला साक्षरता दर, निर्माण क्षेत्र, अ.जा / अ.ज.जा / पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।

(ङ) जौनपुर –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
भरवाकाटल	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, भेड पालक व पशुपालक क्षेत्र, उच्च शिक्षा का अभाव, आपदा प्रभावित क्षेत्र, यातायात ससाधनो का अभाव, असामान्य लिंगानुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
स्यालसी	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून महिला साक्षरता दर, भेड पालक व पशुपालक बहुल क्षेत्र, उच्च शिक्षा का अभाव, यातायात ससाधनो का अभाव, असामान्य लिंगानुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
मखडेत	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून महिला साक्षरता दर, भेड पालक व पशुपालक बहुल क्षेत्र, उच्च शिक्षा का अभाव, यातायात ससाधनो का अभाव, असामान्य लिंगानुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
श्रीकोट	स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, न्यून महिला साक्षरता दर, भेड पालक व पशुपालक बहुल क्षेत्र, उच्च शिक्षा का अभाव, यातायात ससाधनो का अभाव, असामान्य लिंगानुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत।

(च) कीर्तिनगर –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बैजवाडी	यातायात संसाधनो का अभाव, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राज्य आधारित विषमतायें, रोजगार का अभाव।
डडियार	यातायात संसाधनो का अभाव, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, राज्य आधारित विषमतायें, रोजगार का अभाव।

(छ) नरेन्द्रनगर –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
तिमली	स्वास्थ्य सुविधाओ तथा यातायात का अभाव, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन बहुल क्षेत्र, बकरी पालन / पशुपालन क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
बनाली	विषम भौगोलिक परिस्थितियॉ, यातायात एव स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, खनन बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, बकरी पालन / पशुपालन बाहुल्य क्षेत्र।
मणगॉव	विषम भौगोलिक परिस्थितियॉ, यातायात एव स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, न्यून महिला साक्षरता दर, बकरी पालन / पशुपालन बाहुल्य क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।

आमपाटा	विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, यातायात एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, न्यून महिला साक्षरता दर, बकरी पालन / पशुपालन बाहुल्य क्षेत्र।

(ज) प्रतापनगर –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
भेनगी	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि / प्रदर्शन, न्यून साक्षरता दर, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, ओ0बी0सी0 क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात।
मोटणा	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि / प्रदर्शन, न्यून साक्षरता दर, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, ओ0बी0सी0 क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात।
सिलवालगाँव	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि / प्रदर्शन, न्यून साक्षरता दर, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात।
रौणिया	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि / प्रदर्शन, न्यून साक्षरता दर, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात।
तिनवालगाँव	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि / प्रदर्शन, न्यून साक्षरता दर, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात।
गरवाणगाँव	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि / प्रदर्शन, न्यून साक्षरता दर, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात, कुपोषण, न्यून महिला साक्षरता दर।
ओनालगाँव	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि / प्रदर्शन, न्यून साक्षरता दर, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात, कुपोषण, न्यून महिला साक्षरता दर।
पनियाला	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में न्यून उपलब्धि / प्रदर्शन, न्यून साक्षरता दर, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र, न्यून छात्र शिक्षक अनुपात, कुपोषण, न्यून महिला साक्षरता दर।

(झ) थौलधार –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
इडियान	न्यून साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन क्षेत्र, भेड़ पालक/पशुपालक क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
क्यारी	न्यून साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमतायें, स्वास्थ्य विषयक विषमतायें, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति वाले क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, खनन क्षेत्र, भेड़ पालक/पशुपालक क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।

12. ऊधमसिंह नगर

(क) खटीमा –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बिगराबाग	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षा विषयक विषमताएं, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति बहुल क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र।
बण्डिया	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, वन गुर्जर क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
झनकट	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
खेतलसण्डा	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति बहुल क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, विशेष औद्योगिक क्षेत्र।

(ख) सितारगंज –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
नानकमत्ता	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति बहुल क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र, शिक्षा विषयक विषमताएं, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
सिसौना	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति बहुल क्षेत्र, खनन बाहुल्य क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र।
बिरिया	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति बहुल क्षेत्र, खनन बाहुल्य क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
कल्याणनगर	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी

	जाति बहुल क्षेत्र, खनन बाहुल्य क्षेत्र।

(ग) रूद्रपुर –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बरा	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, न्यून राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) उपलब्धि, असामान्य लैंगिक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमताएं, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा /पिछडी जाति बहुल क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, वन गुर्जर क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
बण्डिया	न्यून साक्षरता दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, न्यून राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) उपलब्धि, असामान्य लैंगिक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमताएं, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा./पिछडी जाति बहुल क्षेत्र, खनन बहुल क्षेत्र।
दररू	न्यून साक्षरता दर, न्यून सकल पहुँच दर, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, न्यून राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) उपलब्धि, असामान्य लैंगिक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमताएं, न्यून शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, अ.जा./अ.ज.जा. /पिछडी जाति बहुल क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।
नारायणपुर	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य लैंगिक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमताएं, न्यून महिला साक्षरता दर।
बिगवाडा	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, असामान्य लैंगिक अनुपात, शिक्षा विषयक विषमताएं, न्यून महिला साक्षरता दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र ।

(घ) गदरपुर –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
गोविन्दपुर	अ.जा./अ.ज.जा. बहुल क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र।
बराखेडा	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, शिक्षा विषयक विषमताएं।
आनन्दखेडा	वन गुर्जर क्षेत्र।

(ङ) बाजपुर –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
बरहैनी	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र।
सरकडी	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र, असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात छात्र/छात्राओं में कुपोषण।
सरकडा	शिक्षा विषयक विषमताएं।
चकरपुर	शिक्षा विषयक विषमताएं, न्यून राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) उपलब्धि।

(च) काशीपुर –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
खडकपुर देवीपुरा	न्यून साक्षरता दर, भेड पालक/पशुपालक क्षेत्र, शिक्षा

	विषयक विषमताए।
कुण्डेश्वरी	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, न्यून राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) उपलब्धि, अ.जा./अ.ज.जा./पिछडी जाति/अल्प सख्यक बहुल क्षेत्र, खनन बहुल क्षेत्र, भेड पालक/पशुपालक क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र।
बाँसखेड़ा	न्यून साक्षरता दर, अ.जा./अ.ज.जा./पिछडी जाति/अल्प संख्याक बहुल क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा विषयक विषमताए।

(छ) जसपुर –

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
पूरनपुर	शिक्षा विषयक विषमताए।
मेघावाला	न्यून सकल पहुँच दर, शिक्षा विषयक विषमताए।
भरतपुर	शिक्षा विषयक विषमताए, वन गुर्जर क्षेत्र।
अहमदनगर	शिक्षा विषयक विषमताए।

13. उत्तरकाशी

(क) भटवाड़ी

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
हर्षिल	सीमान्त क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./पिछडी जाति बहुल क्षेत्र, वन गुर्जर क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।
सौरा	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, भेड पालक/पशुपालक क्षेत्र, अ.ज जा / पिछडी जाति क्षेत्र,
भटवाडी	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./पिछडी जाति बहुल क्षेत्र, न्यून NAS उपलब्धि क्षेत्र।

(ख) डुण्डा

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
भेटियारा	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./पिछडी जाति बहुल क्षेत्र, वन क्षेत्र/कृषि क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।
रायमेर बडेथ	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अ.जा./पिछडी जाति बहुल क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।

(ग) चिन्यालीसौड़

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
खालसी	न्यून महिला साक्षरता दर, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, भेड पालक, विषम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून NAS उपलब्धि क्षेत्र, न्यून GAR।
धारकोट	न्यून महिला साक्षरता दर, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, भेड पालक, विषम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून NAS उपलब्धि क्षेत्र।
जिव्या	न्यून महिला साक्षरता दर, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, भेड पालक, विषम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून NAS उपलब्धि क्षेत्र।

(घ) नौगांव

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
नदगांव	विषम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून NAS उपलब्धि क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र
तिया	विषम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर।
राना	स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, विषम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून सकल पहुच दर।

(ङ) पुरोला

संकुल का नाम	समर्थित तथ्य
चदेली	असामान्य छात्र शिक्षक अनुपात, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, विषम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून सकल पहुच दर, आपदा प्रभावित क्षेत्र।
गुंदियाटगांव	अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, विषम भौगोलिक क्षेत्र, आपदा प्रभावित क्षेत्र, न्यून NAS उपलब्धि क्षेत्र, शिक्षा विषयक विषमताएं।

(च) मोरी

सम्पूर्ण विकास खण्ड	विषम भौगोलिक क्षेत्र, न्यून महिला साक्षरता दर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, स्वास्थ्य विषयक विषमताएं, आपदा प्रभावित क्षेत्र, न्यून सकल पहुच दर, न्यून NAS उपलब्धि क्षेत्र।

Signed by Raman Ravinath
Date: 20-07-2024 22:08:31

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या–215300 /XXIV–B–1/24–31(01)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
7. मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक/बेसिक, गढ़वाल/कुमाऊं, द्वारा निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
8. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Signed by Prem Singh Rana
Date: 15-07-2024 18:12:42

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

प्रेषक,

डा0 वी0 षणमुगम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून: दिनांक– 03 अगस्त, 2024

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में दिनांक–01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–205/xxvii(10)/2018–27(08)/2017, दिनांक–15.10.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें दिनांक–01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

02. उक्त शासनादेश दिनांक–15.10.2018 के प्रस्तर–04 में व्यवस्था की गयी थी कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से सम्बन्धित विवरण संलग्न प्रारूप पर भर कर एवं उसे प्रमाणित करते हुए सम्बन्धित कोषागार को पेंशन निर्धारण हेतु प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तर दायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक–31.03.2019 तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय।

03. उक्त शासनादेश दिनांक–15.10.2018 में निर्धारित तिथि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कतिपय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उनकी सुविधा एवं हितों को ध्यान में रखते हुए वित्त अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–241/xxvii(10)/27(08)/2017–2019, दिनांक–05.08.2019 द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित तिथि 31.03.2019 को दिनांक–31.03.2020 तक व शासनादेश संख्या–142/xxvii(10)/27(08)/ 2017–2020 दिनांक–29.06.2020 द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2020 को दिनांक–31.03.2021 तक एवं शासनादेश संख्या–399/xxvii(10)/2021–27(08)/2017–2021 दिनांक–27.10.2021 द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2021 को दिनांक–31.03.2022 तक तथा शासनादेश/ई पत्रावली संख्या–15031/2023, दिनांक–09.05.2023 द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2022 को दिनांक–30.09.2023 तक विस्तारित किया गया है।

04. इस सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक–05.08.2019, दिनांक–29.06.2020, दिनांक–27.10.2021 एवं दिनांक–09.05.2023 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि कृपया वित्त अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–205/xxvii(10)/2018–27(08)/ 2017 दिनांक–15.10.2018 के प्रस्तर–04 पर उल्लिखित समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण को कोषागार को उपलब्ध कराये जाने की निर्धारित तिथि 31.03.2019 की समय सीमा की बाध्यता समाप्त की जाती है।

05. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके अधीन पूर्व में, कार्यरत/सेवारत किसी भी कार्मिक का प्रकरण अनिस्तारित न रहे पाये।

06. उपरोक्त शासनादेश संख्या–205/xxvii(10)/2018–27(08)/2017, दिनांक–15.10.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

Signed by V. Shanmugham
Date: 03-09-2024 11:46:37

(डा0 वी0 षणमुगम)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मुख्य निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, ऑडिट, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
20. बजट अधिकारी, साईबर कोषागार, देहरादून।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिता जोशी)
अपर सचिव।

संख्या-232609/XXIV-2/24-25(09)2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 14 अगस्त, 2024

विषय-- राज्य में विद्या समीक्षा केन्द्र के संचालन हेतु Project Implementation Unit (PIU) के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-रा0प0का0/2485/VSK/2023-24, दिनांक-03.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य में विद्या समीक्षा केन्द्र के संचालन एवं विधिवत् उपयोग हेतु Project Implementation Unit (PIU) की स्थापना किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

02-- प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य में विद्या समीक्षा केन्द्र के विधिवत् संचालन एवं उपयोग हेतु Project Implementation Unit (PIU) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् तालिका में वर्णित पदों को सृजित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अधिकतम आयु सीमा	भर्ती का स्रोत	अर्हता
1.	राज्य परि0 निदेशक समग्र शिक्षा	संवर्गानुसार	01	--	समग्र शिक्षा पदेन	पदेन
2.	अपर राज्य परि0 निदेशक समग्र शिक्षा/नोडल अधिकारी	संवर्गानुसार	01	--	विद्यालयी शिक्षा/समग्र शिक्षा पदेन	पदेन
3.	वित्त नियंत्रक	संवर्गानुसार	01	--	विद्यालयी शिक्षा/समग्र शिक्षा पदेन	पदेन
4.	सहायक लेखाधिकारी	संवर्गानुसार	01	--	समग्र शिक्षा पदेन (AAO)	पदेन
5.	उप राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा अतिरिक्त प्रभार	संवर्गानुसार	01	--	समग्र शिक्षा पदेन	पदेन

	के रूप में प्रोज. क्ट मैनेजर(अकाद. मिक) के दायित्वों का निर्वहन।					
6.	प्रोजेक्ट मैनेजर (तकनीकी)	60,000/– (सर्विस चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)	01	–	आउटसोर्स	M.Tech कम्प्यूटर साइंस/आई0टी0 में योग्यता। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में आंकड़ों से सम्बन्धित (Data Analysis) कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव।
7.	सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर (अकादमिक)	40,000/– (सर्विस चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)	12	42 वर्ष	आउटसोर्स	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर के साथ एम0एड होना अनिवार्य है। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्था में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में आंकड़े विश्लेषण से सम्बन्धित कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर पर सामान्य कार्य करने में दक्षता।
8.	सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर (एफ0एल0एन0)	40,000/– (सर्विस चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)	02	42 वर्ष	आउटसोर्स	मनोविज्ञान/शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर के साथ ही एम0एड0 अनिवार्य। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में विशेषज्ञता होनी चाहिए। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में

						प्राथमिक स्तर की शिक्षा में 02 वर्ष का अनुभव तथा आंकड़ा विश्लेषण से सम्बन्धित संस्थान मे कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर पर सामान्य कार्य करने में दक्षता।
9.	सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर (तकनीकी)	40,000/- (सर्विस चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)	01	42 वर्ष	आउटसोर्स	B.Tech कम्प्यूटर साइंस। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में कार्य करने तथा आंकड़े विश्लेषण का 02 वर्ष का अनुभव।
10.	विशेषज्ञ, पैडागाजी)	60,000/- (सर्विस चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)	01	–	आउटसोर्स	यूजीसी Norms के अनुसार शिक्षा शास्त्र/ मनोविज्ञान विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर। पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र या मनो विज्ञान। सम्बन्धित विषय में यूजीसी नेट क्वालीफाई। किसी संस्था में पै. डागॉजी के क्षेत्र में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर पर सामान्य कार्य करने की दक्षता। आंकडा विश्लेषण एवं रिपोर्ट राइटिंग में अनुभव।
11.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	40,000/- (सर्विस चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)	01	42 वर्ष	आउटसार्स/समग्र शिक्षा पदेन	राज्य में कम्प्यूटर प्रोग्रामर हेतु निर्धारित आवश्यक योग्यताओं के अनुरूप।
12.	कम्प्यूटर आपरेटर	18,000/- (सर्विस	01	42 वर्ष	आउटसोर्स	राज्य में कम्प्यूटर प्रोग्रामर हेतु निर्धारित

		चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)				आवश्यक योग्यताओं के अनुरूप।
13.	लेखाकार	—	01	—	समग्र शिक्षा पदेन	पदेन
	योग		25			

03— (1) उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिक सेवायोजित किये जाने में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या—111, दिनांक—27.04.2018 सपठित शासनादेश संख्या—167, दिनांक—14.06.2018 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या—379, दिनांक—29.10. 2021 द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किये जाने सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—426/XXX(2)/2012—3(2)2000, दिनांक—25.06. 2012 (प्रति संलग्न) के प्रस्तर—3 व प्रस्तर—4 में प्रदत्त निर्देशों एवं कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—922, दिनांक 11.08.2023 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आउटसोर्स से कार्मिकों को सेवायोजित करने में प्रचलित आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

04— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—I/231809/2024, दिनांक—08.08.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

Signed by Raman Ravinath
Date: 12-08-2024 18:56:23

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या—232609/XXIV—2/2023—25(09)2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
3. सचिव, वित्त विभाग (अनुभाग—7), उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

आज्ञा से,

Signed by Vikash Kumar Srivastava
Date: 14-08-2024 16:36:22
(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-232192/XXIV-B-1 /24/31(02)/2020

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 देहरादूनः दिनांकः 20 अगस्त, 2024

विषयः विद्यालयी शिक्षा विभाग में कक्षावार बस्ते का बोझ कम करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में की गयी अनुशंसा के कम में शासनादेश संख्या-181549/**XXIV-B-1/24/31(02)/2020**, दिनांक 11.01.2024 के माध्यम से प्रदेश के विद्यालयों में बस्ता रहित दिवसों के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2- भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 1-4/2018-IS-3, दिनांक 24 नवम्बर 2020 के माध्यम से प्रसारित स्कूल बैग पॉलिसी-2020 के प्रस्तर-4 में निर्धारित कक्षावार स्कूली बस्ते के भार के आधार पर निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांक SCERT/NEP/विविध पत्रा0/8728-32/ 2023-24, दिनांक 04.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षावार स्कूली बस्ते के भार का निम्नवत निर्धारण किया जाता है:-

क0	कक्षा	अनुमानित शारीरिक वजन (किलो में)	बस्ते का अनुमानित वजन (किलो में)
1	पूर्व प्राथमिक कक्षा	10-16	No Bag
2	कक्षा-1	16-22	1.6-2.2
3	कक्षा-2	16-22	1.6-2.2
4	कक्षा-3	17-25	1.7-2.5
5	कक्षा-4	17-25	1.7-2.5
6	कक्षा-5	17-25	1.7-2.5
7	कक्षा-6	20-30	2-3
8	कक्षा-7	20-30	2-3
9	कक्षा-8	25-40	2.5-4
10	कक्षा-9	25-45	2.5-4.5

11	कक्षा-10	25-45	2.5-4.5
12	कक्षा 11	35-50	3.5-5
13	कक्षा-12	35-50	3.5-5

3- कृपया स्कूली बस्ते का भार उक्तानुसार निर्धारित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 09-08-2024 18:32:06

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या-232/92/XXIV-B-1/24-31(01)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Prem Singh Rana
Date: 17-08-2024 17:53:58

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

संख्याः 294659 / XXVII(9) / 02–वि0अ0क0प्र0 / 2024 / ई–76694

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–9 देहरादून, दिनांकः 28 अगस्त, 2024

विषयः– उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0 61 / XXVII(7)36 / 2017 दिनांकः 02.04.2018 द्वारा "वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018" का प्रख्यापन किया गया है।

2. वर्तमान में पर्यावरणीय परिवर्तनों के दृष्टिगत राज्य में हो रही अतिवृष्टि के कारण प्राकृतिक आपदाओं की घटना में असामान्य रूप से वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है, जिस कारण स्थानीय स्तर पर तात्कालिक राहत कार्य कराए जाने आवश्यक होने तथा स्थानीय निवासियों के रोजगार सृजन तथा राज्य से पलायन रोकने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक शासनादेश सं0 434 / XXVII(7) / 36 / 2010 दिनांकः 23.12.2019 के विवरण पत्र–4 "ठेके और टेण्डर" के क्रमांक–4 में उल्लिखित 'अधिकार का प्रकार' एवं 'परिसीमाएं' में निम्नानुसार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
4.	₹5.00 लाख तक के कार्य कार्यादेश (वर्कऑर्डर) के आधार पर स्थानीय ठेकेदारों से कराया जाना।	अधिशासी अभियन्ता	₹5,00,000 /– (₹ पांच लाख) तक	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि की सीमा तक।

2. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में प्रतिनिहित अधिकार सम्बन्धी शासनादेश सं0 434/XXVII(7)/36/2010 दिनांकः 23.12.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए, शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 23-08-2024 11:11:09
(दिलीप जावलकर)

सचिव।

संख्या-234639/XXVII(9)/ वि0अ0क0प्र0/2024/ई–76694, तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, वैभव पैलेस, कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
13. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

Signed by C Ravi Shankar
Date: 28-08-2024 16:27:52
(सी0 रविशंकर)

अपर सचिव।

संख्या 4009 /XXIV-B-3/24/64697

प्रेषक,

रंजना राजगुरू,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 30 सितम्बर, 2024

विषयः– मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–588/2023, राज्य के विकासखण्डवार हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के टॉपर 5–5 छात्र–छात्राओं को भारत दर्शन–शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। उक्त कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा" के क्रियान्वयन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः विविध/13529/आठ–ड(1)/मु0घो0/2024–25 दिनांक 03.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–588/2023, राज्य के विकासखण्डवार हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के टॉपर 5–5 छात्र–छात्राओ को भारत दर्शन–शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। उक्त कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा" के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विकासखण्डवार 2–2 छत्र–छात्राओं को भ्रमण कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) को निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री, राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1 वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 अनुदान के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि शासन की बिना सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

3 किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017(यथासंशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन अधिनियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का कड़ाई से पालन अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4 विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भ्रमण कार्यक्रम से शैक्षिक कैलेण्डर प्रभावित न हो।

5 धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

6. बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित प्राविधान कि नियन्त्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो यह सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल संज्ञान में लाया जाए तथा बी0एम0–8 पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाए। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना विभाग का उत्तरदायित्व है जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. भ्रमण कार्यक्रम का सफल आयोजन हो जाने के पश्चात् उक्त के संबंध में प्रमाण–पत्र एवं भ्रमण हेतु क्रय किये गये रेल टिकटों की प्रति शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उपलब्ध करायी जाएगी।
8. भ्रमण कार्यक्रम हेतु चयनित छात्र–छात्राओं से लिखित सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी।
9. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यों हेतु व्यय की गयी धनराशि की फॉटवार सूची एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. अधिष्ठान संबंधी जिन मदों में किसी मुद्रण (टंकण) त्रुटि के कारण बजट प्राविधान/आवंटित में वृद्धि हुयी हो, उन प्रकरणों के संबंध में धनराशि व्यय करने से पूर्व वस्तुस्थिति शासन के संज्ञान में लाते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
11. भ्रमण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र–छात्राओं की सुरक्षा आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता एवं निदेशक का होगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान सं0 11 राजस्व पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 03–बालक एवं बालिका विद्यालय के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 में प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

Signed by
Ranjana Rajguru
(रंजना राजगुरु)
अपर सचिव। Date: 30-09-2024 12:01:35

पृष्ठांकन संख्या: /XXIV-B-3/24/64697, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1–महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
6–वित्त विभाग (अनुभाग–3)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।
7–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 30-09-2024 12:06:24
(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 25/129 /XXX(2)/2024–E 69151
देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 एवं इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2024 है।
		(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	2.		जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–
		(क)	"नियुक्ति प्राधिकारी" से उत्तराखण्ड राज्य में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;
		(ख)	"आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
		(ग)	"संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
		(घ)	"सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
		(ड.)	"राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
अध्यारोही प्रभाव	3.		इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी सेवा नियमावली में किसी असंगत बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।
पदोन्नति का परित्याग (Forgo)	4.		राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कार्मिकों द्वारा पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जा सकेगी–

(1) राज्याधीन सेवाओं में आयोग/विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के पदोन्नति आदेश में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम पन्द्रह दिन की अवधि निर्धारित की जायेगी। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में किसी भी परिस्थिति मे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकेगा;

(2) जब कोई कार्मिक उसे दी गई पदोन्नति स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो वह लिखित अनुरोध कर सकता है कि उसे पदोन्नत न किया जाए और नियुक्ति प्राधिकारी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुरोध पर विचार करेगा;

(3) पदोन्नति का परित्याग करने वाले संबंधित कार्मिक से इस आशय का विधिवत् शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा और इसके परिणामस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूची से अगले पात्र कार्मिक को पदोन्नत किया जा सकेगा;

(4) एक बार पदोन्नति का परित्याग करने के पश्चात् संबंधित कार्मिक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(5) ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा पदोन्नति का परित्याग (Forgo) किया जाता है, के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति का परित्याग करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेंगे कि उन्हें भविष्य में, जनहित में, संवेदनशील/महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।

नियमावली का लागू होना	5.	यह नियमावली राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की नियमित पदोन्नति के सम्बन्ध में लागू होगी।
अनुशासनिक कार्यवाही का किया जाना	6.	इस नियमावली के उपबन्धों को लागू करने में शिथिलता बरते जाने पर उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के उपबन्धों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

Signed by
Anand Bardhan
Date: 30-10-2024 16:28:42
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 2/33/XXIV-B-1/24-02(02)/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2024

विषयः-राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में पदों के सृजन हेतु मानक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक/नियोजन/33897/पद सृजन/2022-23, दिनांक 06.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में पदों के सृजन हेतु मानक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में हाईस्कूल स्तर पर एवं इण्टर स्तर पर उच्चीकृत होने वाले विद्यालयों में निम्न विवरणानुसार पदों के सृजन हेतु मानक निर्धारित किये जाते हैं-

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

क्र.सं.	विषय	संख्या
01	हिन्दी	01
02	एक आधुनिक भारतीय भाषा (उर्दू, पंजाबी, बंगाली, आदि) अथवा अंग्रेजी अथवा संस्कृत	01
03	गणित/गृह विज्ञान	02
04	विज्ञान	01
05	सामाजिक विज्ञान	01
06	कला शिक्षा	01
07	एक आधुनिक भारतीय भाषा, जो अनिवार्य विषय के रूप में क्र.सं. 02 के रूप में नहीं लिया गया है अथवा ऐसा विषय जिसे अधिक से अधिक छात्र-छात्रा लेने के इच्छुक हों, छात्र संख्या के आधार पर।	01
	योग-	08

राजकीय इण्टर कालेज

क्र. सं.	वर्ग	विषय	कॉलम (3) में अंकित विषयों के अतिरिक्त विषय खोलने के मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम अनिवार्य विषय	हिन्दी/अंग्रेजी	02
2	मानविकी वर्ग	मानविकी वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत विषयों में से	03
3	विज्ञान वर्ग	भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान/गणित	04
4	अतिरिक्त विषय	कृषि वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों से 01 विषय अथवा अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/पंजाबी/बंगाली/ नेपाली में से कोई एक विषय जो प्रथम विषय के रूप में न लिया गया हो अथवा ऐसा विषय जिसे अधिक से	01

		अधिक छात्र–छात्रा लेने के इच्छुक हों, छात्र संख्या के आधार पर।	
		योग–	10

3– विद्यालय द्वारा इण्टरमीडिएट स्तर पर किसी वर्ग/पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किये जाने हेतु जिस वर्ग/वि के लिए पद के सृजन की मांग की जायेगी, उस वर्ग/विषय में न्यूनतम 20 छात्र/छात्रायें अध्ययन लिये उपलब्ध होने की संभावना होनी चाहिए।

4– उक्त के अतिरिक्त पदों की मांग हेतु विद्यालय न्यूनतम 03 वर्ष से संचालित होना चाहिए।

5– जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल में उच्चीकृत किये जाने वाले विद्यालय में जूनियर हाईस्कूल में पूर्व सृि पदों का अन्यत्र विद्यालयों में समायोजन किय. जायेगा।

6– विद्यालय की 10 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत किसी अन्य विद्यालय में कोई विशेष विषय संचालित न हैं तो ऐसी स्थिति में छात्र–छात्राओं की सुविधा के लिये पद/पदों के सृजन का प्रस्ताव विद्यालय द किया जा सकता है।

7– नवीन विषय के पठन–पाठन हेतु विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध होना चाहिए, यदि अतिरि कक्षा–कक्ष उपलब्ध नहीं है तो कक्षा–कक्ष निर्माण के लिये विद्यालय परिसर में भूमि उपलब्ध होनी चाहि

8– नये राजकीय हाईस्कूल खोलने तथा जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण एवं नये राजकीय इण्टर काॅ खोलने/राजकीय हाईस्कूल के इण्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण किये जाने हेतु स्थापित मानकों आधार पर प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण करते हुए पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग उपलब्ध कराया जायेगा।

9– राजकीय हाईस्कूल खोले जाने तथा नये इण्टर कालेज खोले जाने/उच्चीकरण मानक सम्बन्धी कार्यार ज्ञाप संख्या–179/आ0मु0स0/व0प्र0नि0स0/2016, दिनांक 04.10.2016 को उक्त सीमा तक संशोि समझा जाये।

यह आदेश वित्त विभाग (अनुभाग–7) के कम्प्यूटर जैनरेटड सं0–I/257863, दिनांक 02.12.2024 उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Ravinath Raman
Date: 05-12-2024 15:01:33

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या–2/53 (1)/XXIV–B–1. /24/05(02)/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव– मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव- मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
9. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
10. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
11. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
14. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
15. अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–04, (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
16. गार्ड फाईल।

Signed by आज्ञा से,
Anil Kumar Pandey
Date: 09-12-2024 10:05:(
(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव

संख्या-2204 /XXIV-B-1/23-13(02)2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

विषय–माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 के मण्डल/संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनायी जाने वाली प्रकिया में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–214203/XXIV-B-1/2024/32(02)/2011, दिनांक 04.06.2024 के प्रस्तर–2 के अन्तर्गत बिन्दु–01 से 16 में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 के मण्डल/संवर्ग हेतु परिवर्तन अपनायी जाने वाली प्रकिया के सम्बन्ध में SOP निर्धारित की गयी है।

02– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र संख्या–सेवा0अराज0/20766–67/तीन(ख)24/2024–25, दिनांक 16.12.2024 के माध्यम से SOP में संशोधन किए जाने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 के मण्डल/संवर्ग हेतु परिवर्तन अपनायी जाने वाली प्रकिया के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.06.2024 के प्रस्तर–2 के अन्तर्गत बिन्दु–01 से 16 में निर्धारित SOP को संशोधित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्धारित किया जाता है:–

1. सहायक अध्यापक एल0टी0 के पद पर अपने मूल संवर्ग/मण्डल (जिसमें वे नियुक्त हुए हैं) में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सहायक अध्यापक एल0टी0 शिक्षकों को सेवाकाल में मात्र एक बार के लिए संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य होगी।

2. प्रत्येक वर्ष संवर्ग/मण्डल परिवर्तन की कार्यवाही सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त एक बार की जा सकेगी। सम्बन्धित वर्ष में अवशेष रह गए शिक्षकों के सम्बन्ध में अगले वर्ष विचार किया जाएगा।

3. अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17(1)(ख) तथा 17(1)(ग)(तीन) के अनुसार सुसंगत श्रेणी के अभिलेख/प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्राप्त करने के उपरान्त श्रेणीवार/संवर्गवार/विषयवार पात्रता सूची तैयार की जायेगी। सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा पात्रता सूची का निर्धारण स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (एक), (दो), (तीन), (चार), (पांच), (छः) एवं 17(1)(ग) (तीन) में आवेदन करने वाले शिक्षकों की शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत दुर्गम में की गयी सेवा के अवरोही क्रम में की जाएगी तथा धारा 17 (ख)(सात) में आवेदन करने वाले शिक्षकों की सुगम में की गयी सेवा के अवरोही क्रम में की जाएगी। समान सेवा अवधि वाले शिक्षकों में अधिक आयु वाले शिक्षक को काउंसिलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी तथा यदि आयु भी समान हो तो दुर्गम स्थल में अधिक समय तक कार्य करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. वरिष्ठ शिक्षक की स्थिति में वरिष्ठता की गणना शैक्षिक संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी। यदि पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को स्थानांतरित किया जाएगा। यदि आयु भी समान हो तो दुर्गम स्थल में अधिक समय तक कार्य करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षकों के आवदन–पत्र

विषयवार/श्रेणीवार सूचीबद्ध करते हुए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराए जाएंगे।

6. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अर्ह शिक्षकों की पात्रता सूची एवं रिक्ति का अनुमोदन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड से प्राप्त किया जायेगा तथा काउंसिलिंग हेतु अभिलेख सहित अनुमोदित पात्रता सूची एवं रिक्तियों की सूचना विभागीय बेवसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

7. काउंसिलिंग के माध्यम से संवर्ग/मण्डल परिवर्तन करते समय सामान्य शाखा में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण काउंसिलिंग के माध्यन से सामान्य शाखा एवं महिला शाखा में कार्यरत शिक्षिकाओं का स्थानांतरण काउंसिलिंग के माध्यम से महिला शाखा में ही किया जा सकेगा।

8. संवर्ग/मण्डल परिवर्तन करते समय विषय विशेष में दोनों मण्डलों में से जिस मण्डल में वास्तविक रिक्तियों की संख्या कम होगी, उस विषय में उतनी सीमा तक ही समान श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण किए जा सकेंगे।

9. वास्तविक रिक्तियों की गणना करते समय जितने पदों पर सम्बंधित वर्ष में भर्ती हेतु प्रक्रिया गतिमान होगी उन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

10. मंडल में विषय विशेष में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष स्थानांतरण के आवेदन अधिक होने की स्थिति में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–17(1)(ख) में उल्लिखित क्रमानुसार समान श्रेणी के विद्यालय में काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थापना की जा सकेगी। दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य सेवावधि पूर्ण होने की दशा में अधिनियम की धारा 17(1)(ग)(तीन) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

11. एक मण्डल से दूसरे मण्डल में संवर्ग परिवर्तन के फलवरूप स्थानांतरित शिक्षक स्थानांतरण के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल में कनिष्ठतम होंगे।

12. उक्तवत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

13. कुमायूं मण्डल से गढ़वाल मण्डल आने वाले शिक्षकों की कांउसिलिंग अपर शिक्षा निदेशक, मा0शि0 गढ़वाल मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल से कुमांयू मण्डल आने वाले शिक्षकों की कांउसिलिंग अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमांयू मण्डल द्वारा की जायेगी।

14. कांउसिलिंग के पश्चात पदस्थापना आदेश निर्गत करने से पूर्व महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

15. मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप पदस्थापना करते समय पारदर्शिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा किसी भी दशा में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या-2205 / XXIV-B-1 / 24/13(02)/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, माध्यमिक, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्या 697 xxiv–4–2024/01(1)2016
देहरादूनः दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना/प्रकीर्ण

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 7 सपठित उभयलिंगी (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली 2020 के नियम 7 के अनुक्रम में राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 में अग्रेत्तर परिष्कार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम 2024 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
अध्याय–बारह (प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन) के प्रस्तर–27 का संशोधन।	2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम 2009 के अध्याय–बारह (प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन) के प्रस्तर–27 के उपप्रस्तर (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उपप्रस्तर अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

(झ) लिंग परिवर्तन करने के पश्चात् नाम परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 7 सपठित उभयलिंगी (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली 2020 एवं उक्त के सम्बन्ध में भविष्य में इस संबंध में समय–समय पर जारी/संशोधित अन्य नियमावली/शासनादेशों के कम में किया जायेगा।

आज्ञा से,
(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः 26315 /XXX(2)/2024-E 77433

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 26 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2024

विषयः- अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों के त्वरित निस्तारण तथा विदाई सम्मान समारोह आयोजित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद स्तरीय कार्यालयों एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनात कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त प्रायः उनके सेवानैवृत्तिक देयकों का भुगतान काफी विलम्ब से किया जा रहा है, जबकि उक्त देयकों के भुगतान में विलम्ब की रोकथाम के लिये, वित्त विभाग द्वारा भुगतान की कार्य प्रणाली का सरलीकरण शासनादेश संख्या-सा-3-1713/दस-87- 933/89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 निर्गत किया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों/निगमों/बोर्ड/आयोगों/संस्थानों एवं उपक्रमों के कार्यालयों तथा मण्डल व जनपद स्तरीय कार्यालयों में तैनात सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की तिथि अर्थात् प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में एक विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया जाये।

3. उक्त के अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कार्मिकों को ऐसे विदाई सम्मान समारोह में ही उनके समस्त सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-पी०पी०ओ० (पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्यूटेशन) अवकाश नगदीकरण, सामूहिक बीमा के भुगतान व जी०पी०एफ० में जमा 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का आदेश नियमानुसार हस्तगत करा दिया जाय।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/अधिकारी की लम्बी सेवा के दृष्टिगत उन्हें एक मोमेन्टों व एक ODOP के अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए उनके सेवा के दौरान के अनुभवों को साझा करते हुए अन्य कार्मिकों को सरकारी कार्य/सेवा के प्रति प्रेरित भी किया जाए।

भवदीय,

Signed by
Radha Raturi
Date: 23-12-2024 12:15:14

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4,
संख्याः 354 /XXIV-4/2025–10(10)2022
देहरादून : दिनांक : 17 मार्च, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 में अग्रेत्तर परिष्कार करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (परिष्कार) विनियम, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम, 2025 होगा । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
अध्याय–बारह के विनियम 14 का संशोधन	2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 के अध्याय–बारह के विद्यमान विनियम 14(7)(ग) में "उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित है" में कमांक–9 के पश्चात निम्नलिखित कमांक जोड़ दिया जायेगा, अर्थातः– "10 कक्षा–10(हाईस्कूल) परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित तीन वर्षीय पालिटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की कक्षा–12 (इण्टरमीडिएट) उत्तीर्ण की समकक्षता होगी।

Signed by
Ravinath Raman
Date: 17-03-2025 14:09:58

(रविनाथ रामन)
सचिव।

उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (एन०टी०सी०) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस०सी०वी०टी०), उत्तराखण्ड द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) की परीक्षा में केवल हिन्दी विषय में व्यक्तिगत् परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।

(ii) विनियम 14(7) में "उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित हैं" में क्रमांक 8 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक जोड़ दिया जायेगा ; अर्थात :—

9. ऐसे छात्र—छात्राऐं जिन्होंने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (एन०टी०सी०) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस०सी०वी०टी०), उत्तराखण्ड द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत् परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद् की इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) के समकक्ष माना जायेगा।

नोट— आई०टी०आई० के अतिरिक्त अन्य इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई०टी० आई० के समकक्ष नहीं माने जायेंगे।

अध्याय–चौदह के विनियम–2 का संशोधन

(3) मूल विनियम के अध्याय 14 के विनियम 2(ग) "उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित है" में क्रमांक 6 के पश्चात निम्नलिखित क्रमांक '7' जोड़ दिया जायेगा, अर्थातः—

7. ऐसे छात्र—छात्राऐं जिन्होंने कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक

प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0)द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0वी0टी0)उत्तराखण्ड द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल (कक्षा–10) के समकक्ष माना जायेगा।

नोट–आई0टी0आई0 के अतिरिक्त अन्य हाईस्कूल (कक्षा 10) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई0टी0आई0 के समकक्ष नहीं माने जायेंगे।

आज्ञा से,

Signed by Raman Ravinath
Date: 20-11-2023 18:06:32

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः 292260/XXX(2)/2025/ई–82384

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(2) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

(4) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 25 अप्रैल, 2025

विषयः विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों का नियोजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

किसी शासकीय विभाग की कार्य आवश्यकता व कार्य प्रकृति के आधार पर विभाग के सुसंचालन हेतु पदीय संरचना तैयार करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यथा प्रक्रिया सृजित पदों की सेवा नियमावली के अनुरूप सृजित किये गये पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सम्बन्धित चयन आयोगों के माध्यम से चयन की कार्यवाई की जाती है।

2. छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप विभागीय पदीय संरचना में चतुर्थ श्रेणी के पदों को समाप्त कर दिये जाने के उपरान्त यथा आवश्यकता चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स के आधार पर सृजित करते हुए इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की अस्थायी तैनाती की जाती रही है। इसके अतिरिक्त विभागों द्वारा पदीय ढाँचे में रिक्त पदों का अधियाचन सम्बन्धित चयन संस्था को प्रेषित किये जाने के उपरान्त नियमित चयन प्रक्रिया आदि में सम्भावित विलम्ब के दृष्टिगत शासकीय कार्यहित में सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्स संस्था के माध्यम से पदों को भरे जाने हेतु कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या–111 दिनांक 27.04.2018 व शासनादेश संख्या–379 दिनांक 29.10.2021 द्वारा सम्बन्धित पदों पर आउटसोर्स एवं अन्य माध्यम से कार्मिकों के नियोजन किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

3. यह व्यवस्था शासकीय कार्य की अपरिहार्यता, सरलीकरण और मितव्ययता के दृष्टिगत सुलभ की गई थी; किन्तु वर्तमान में इसके कई प्रतिकूल प्रभाव सामने आ रहे हैं। कतिपय विभागों में यह प्रकाश में आया है कि सम्बन्धित चयन आयोगों के नियमित चयन परिणाम के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों को जिन पदों पर तैनात किया जाना है, उन पदों पर पूर्व से आउटसोर्स/संविदा आदि पर कार्मिक तैनात होने और इन कर्मियों के पक्ष में सक्षम न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश, कार्यों में हस्तक्षेप से निषेध जैसे विधिक आदेश पारित किये गये हैं। इन परिस्थितियों में जहाँ एक ओर नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की बाध्यता है, किन्तु मा० न्यायालय के आदेशों के क्रम में उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने में कठिनाईयां आ रही हैं; वहीं दूसरी ओर मा० न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन न होने पर अवमानना की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी विधिक अड़चनों में नियुक्ति अधिकारियों के समक्ष निरन्तर असंमजस की स्थिति बनी हुई है।

4. इसके अतिरिक्त नियमित पदों के सापेक्ष कामचलाऊ व्यवस्था के तहत नियोजित आउटसोर्स

कार्मिकों द्वारा इन पदों के सापेक्ष नियमितीकरण की मांग की जा रही है और न्यायालयों में इस आशय के वाद भी दायर किये गये हैं। इससे एक ओर नियमित चयन प्रक्रिया बाधित हो रही है, वहीं दूसरी ओर विभागों को विधिक प्रक्रियाओं/अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है।

5. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वस्थ शासकीय कार्य प्रणाली एवं सुशासन के दृष्टिकोण से विभागीय सुसंगत सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों की नियुक्तियाँ की जाएं। नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार की दैनिक वेतन/संविदा/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ एवं आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियाँ पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगी। उपरोक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इस क्रम में शासनादेश संख्या–111 दिनांक 27.04.2018 व शासनादेश संख्या–379 दिनांक 29.10.2021 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

6. सभी विभागाध्यक्षों की यह जिम्मेदारी है कि वे विभागान्तर्गत नियमित पदों की सभी रिक्तियों का सम्यक आकलन करते हुए इन पदों पर नियमित भर्ती किये जाने के उद्देश्य से अधियाचन तैयार कर यथा प्रक्रिया सम्बन्धित चयन संस्थाओं को समय से प्रेषित करेंगे और नियमित चयन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु चयन संस्थाओं से समन्वय भी स्थापित करेंगे। इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर समय–समय पर समीक्षा किया जाना भी अपेक्षित है।

कृपया शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
Digitally signed by
Anand Bardhan
Date: 25-04-2025
(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव।

संख्याः 292260 (i)/XXX(2)/2025-E 82384 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
8. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
9. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. एन0आई0सी0, देहरादून।
12. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 25-04-2025
11:30:18

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

संख्या 196 /XXIV-A-2/25-18/2023 (41758)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 07 मई, 2025

विषयः प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–प्रा0शि0–दो(2)/564(II)-2022/2594/2023-24, दिनांक 09 मई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र–छात्राओं को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अनुकूल वातावरण के अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) को निम्न प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विद्यालय चयन के निम्न मानदण्ड अपनाये जायेंगे :–

1. चिन्हित विद्यालय की 05 किमी की परिधि में न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को समाहित किया जायेगा।
3. विद्यालय में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के माध्यम से तकनीकी का प्रयोग कर शिक्षण कार्य किये जाने हेतु विद्युत संयोजन उपलब्ध हो।
4. विद्यालय के निकट अथवा उसके परिसर में सम्भव आंगनबाडी केन्द्र संचालित होता हो।
5. विद्यालय हेतु पर्याप्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध हो अथवा कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
6. चयनित विद्यालय में भविष्य में आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
7. विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत विद्यालय अधिक से अधिक सेवित क्षेत्र को लाभान्वित करता हो।
8. विद्यालय में पेयजल, चाहरदीवारी एवं शौचालय आदि की सुविधायें उपलब्ध हों।
9. उत्कृष्ट विद्यालय के निकट के विद्यालय में पंजीकृत CWSN (Children with Special Needs) छात्र को उत्कृष्ट विद्यालय में आने–जाने में कठिनाई को चिन्हित किया जायेगा और तद्नुसार CWSN (Children with Special Needs) छात्र की समस्या का निदान किया जायेगा।

3– उत्कृष्ट विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु प्रस्तावित कार्य निम्नवत् है :–

1. स्थापित किये जाने वाले उत्कृष्ट विद्यालय में प्रति विद्यालय में कम से कम 04 शिक्षक अथवा आर0टी0ई0 मानकानुसार शिक्षक, जो भी अधिक हो, तैनात किये जायेंगे।
2. कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे।

3. स्मार्ट क्लास निर्मित किये जायेंगे।
4. पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी।
5. खेल मैदान विकसित कराया जायेगा।
6. अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण।
7. सुविधानुसार बालवाटिका विकसित की जायेगी।
8. उत्कृष्ट विद्यालय के सेवित क्षेत्र से इतर अन्य क्षेत्र के विद्यालयों से आने वाले बच्चों हेतु ट्रान्सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

4– उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु जनपद द्वारा प्रस्तावित विद्यालयों की जनपदवार संख्यात्मक विवरण संलग्न है।

5– उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षण अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किये जाने हेतु उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु चिन्हित किये गये विद्यालयों में निम्नलिखित विवरणानुसार कार्य कराये जाने पर होने वाले व्ययभार का सम्भावित विवरण निम्नवत् है :–

व्ययभार का विवरण	दर	उत्कृष्ट विद्यालय		
		प्राथमिक 603	उच्च प्राथमिक 76	योग 679
दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष	0.18 (प्रतिकक्ष रू० 9 लाख)	108.54	13.68	122.22
शौचालय ब्लाक	0.0395	23.82	3.00	26.82
दो कम्प्यूटर	0.01	6.03	0.76	6.79
पुस्तकालय विकास	0.005	3.02	0.38	3.40
स्मार्ट क्लास	0.012	7.24	0.91	8.15
	Total	148.64	18.73	167.37

6– उत्कृष्ट विद्यालय में अन्य विद्यालय से आने वाले इच्छुक बच्चों के ट्रान्सपोर्ट पर होने वाले व्ययभार का अनुमानित व्यय विवरण निम्नानुसार है:–

1. उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु चिन्हित विद्यालय = 679 (603 रा०प्रा०वि० एवं 76 रा०उ०प्रा०वि०)।
2. निकटवर्ती विद्यालयों की संख्या जिनके छात्र लाभान्वित हो सकते हैं = 1090 (993 रा०प्रा०वि० एवं 97 रा०उ०प्रा०वि०)।
3. निकटवर्ती विद्यालयों में पंजीकृत बच्चों की संख्या = 13691 (PS- 12114, UPS- 1577)

7– छात्र के ट्रान्सपोर्ट/एस्कॉर्ट हेतु छात्र की विद्यालय में उपस्थिति से जोड़ते हुए प्रति बच्चा प्रति दिवस ₹100/– की दर से धनराशि दिये जाने पर होने वाले व्ययभार का विवरण :–

बच्चों की संख्या– 13691 विद्यालय कार्य दिवसों की संख्या– 240 प्रस्ताव दर– ₹ 100/–	13691×240×100 = 32,85,84,000

8– प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत उत्कृष्ट विद्यालय स्थापना में चयनित उत्कृष्ट विद्यालय के सेवित ग्राम से इतर अन्य सेवित ग्राम से आने वाले छात्र–छात्राओं हेतु आवागमन की प्रक्रिया निर्धारित करने तथा Transportation में आने

वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न तालिकानुसार एक समिति गठित की जायेगी:-

1.	जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी सम्बन्धित जनपद	उपाध्यक्ष
3.	उप जिलाधिकारी सम्बन्धित तहसील	सदस्य
4.	मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद	सदस्य सचिव
5.	आर०टी०ओ०/ए०आर०टी०ओ० सम्बन्धित जनपद	सदस्य
6.	जिला शिक्षा अधिकारी (मा०शि०) सम्बन्धित जनपद	सदस्य
7.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) सम्बन्धित जनपद	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित जनपद	सदस्य
9..	खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड	सदस्य
10.	खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड	सदस्य
11.	उप शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड	सदस्य

9– उक्तानुसार गठित समिति में नामित सदस्यों के अतिरिक्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य किसी भी विभाग के अधिकारी को समिति में शामिल/नामित कर सकते है। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत उत्कृष्ट विद्यालय स्थापना में चयनित उत्कृष्ट विद्यालय के सेवित ग्राम से इतर अन्य सेवित ग्राम से आने वाले छात्र–छात्राओं हेतु आवागमन के संबंध में उक्त तालिकानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की सहायता से आवागमन (Transportation) की व्यवस्था/प्रकिया निर्धारित की जाएगी।

10– Transportation में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

11– प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) को विकसित किये जाने हेतु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वविवेक के आधार पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे।

12– प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) में शैक्षिक गुणवत्ता को अधिक बेहतर किये जाने के लिए शिक्षकों के तैनाती/चयन/प्रकिया का निर्धारण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

13– **ट्रान्सपोर्ट/एस्कॉर्ट हेतु धनराशि का भुगतान**:–त्रैमासिक आधार पर अग्रिम धनराशि का भुगतान संबंधित छात्र को किया जाये तथा भुगतान किये गये तिमाही में अनुपस्थित रहने वाले दिवसों को घटाकर अगले तिमाही में समायोजन करते हुए धनराशि भुगतान किया जाये।

14– समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूर्व से संचालित एस्कॉर्ट सुविधा हेतु समग्र शिक्षा द्वारा निर्धारित मानक छात्रों के ट्रान्सपोर्ट/एस्कॉर्ट में भी लागू किये जाएंगे।

15– यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/293914/2025 दिनांक 30 अप्रैल 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 06-05-2025
15:12:18

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या / XXIV-A-2 /25–18 / 2023 (41758) तद्दिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त सदस्य, ट्रांसपोर्ट / एस्कॉर्ट हेतु गठित समिति को द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
BHUPENDRA SINGH BORA
Date: 06-05-2025
16:12:40

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सू0 प्रौ0,सुराज एवं वि0 प्रौ0 अनु0–03
संख्याः I/ /E-17505/2025/XXXIV(3)/-20(02)21
देहरादून, दिनांकः मई, 2025

विमुक्त (Denotify)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तकनीकी शिक्षा विभाग की 16 अधिसूचित सेवाओं को अधिसूचना संख्या 837 / XXX(6)/2021-20(02)21, दिनांक 30.12.2021 से विमुक्त (Denotify) किया जाता है। अधिसूचना संख्या 837 / XXX(6)/2021-20(02)21, दिनांक 30.12.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

Digitally signed by
Nitika Khandelwal
Date: 23-05-2025
12:08(नितिका खंडेलवाल)
अपर सचिव।

संख्याः I/ /E-17505/2025/XXXIV(3)/-20(02)21 तद् दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. - सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. - वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तखण्ड शासन, देहरादून।
5. - मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. - महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. - सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. - समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. - निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. - राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
12. - मीडिया सेन्टर।
13. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Vijay Kumar
Date: 23-05-2025
14:41:28

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव।

2.	अंतिम अंक तालिका उपलब्ध कराना	सम्बन्धित प्राचार्य	विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	अंक- पत्र त्रुटि सुधार	सम्बन्धित प्राचार्य	विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	सम्बन्धित प्राचार्य	आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

4. बेसिक / प्राथमिक शिक्षा विभाग:-

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	अंक–तालिका उपलब्ध कराना।	प्रधानाध्यापक	परीक्षाफल घोषित होने /अंक तालिका तैयार होने के उपरान्त 07 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	अंक–पत्र त्रुटि सुधार	प्रधानाध्यापक	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	अंक–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	प्रधानाध्यापक	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

5. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग:-

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सा इकाई में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को प्रसव उपरान्त रू0 1400/- की प्रोत्साहन धनराशि एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रू0 1000/- की प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने का प्राविधान है।	चिकित्सा अधिकारी सम्बंधित चिकित्सा इकाई	Normal/ C Section प्रसव के बाद 15 दिन के भीतर (समस्त लाभार्थियों द्वारा प्रोत्साहन धनराशि हेतु सम्बंधित दस्तावेज जमा किये गये हों)।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

12. वन विभागः–

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	Letter of Distance from Forest	उप वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण	आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 10 दिवस में	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

2 सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।

3 सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।

4 उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

Digitally signed by
Nitika Khandelwal
Date: 23-05-2025
12:10:19 (नितिका खंडेलवाल)
अपर सचिव।

संख्याः I/ /E-17505/2025/XXXIV(3)/-20(02)21 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. मीडिया सेन्टर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Vijay Kumar
Date: 23-05-2025
14:42:22

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 310161 /2025/XXVII(9)/अधिप्राप्ति–01/2024/ई–77841

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–9 देहरादून: दिनांक 30 जून, 2025

विषय:– उत्तराखण्ड राज्य में ई–प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त विभागों हेतु सामग्री, निर्माण कार्य तथा परामर्शी सेवाओं के लिये मानक निविदा प्रपत्र (Standard Bidding Document) को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विभागों में लागू ई–प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत् वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप समस्त विभागों हेतु सामग्री (goods)- रू 10.00 लाख से अधिक के क्रय हेतु, निर्माण कार्य (works) तथा परामर्शी सेवाओं (consultancy services) के लिये विश्व बैंक सहायतित परियोजना 'यूकेपीएफएमएस' के अंतर्गत तैयार किये गये 'Standard Bidding Documents' को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त के क्रम में 'Standard Bidding Documents' की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न 'Standard Bidding Documents' को अपने नियंत्रणाधीन समस्त खण्डों/अधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए भविष्य में ई–प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत सामग्री, निर्माण कार्य तथा परामर्शी सेवाओं हेतु निविदा की समस्त प्रकियाओं के सम्पादन में उक्त SBD में उल्लिखित प्रावधानानुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3– उक्तानुसार लागू किये जा रहे 'Standard Bidding Document' में भविष्यगत आवश्यकता के दृष्टिगत संशोधन वित्त विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

4— उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक— यथोक्त

भवदीय
Digitally signed by
Dilip Jawalkar
(दिलीप जावलकर) [illegible]
16:25:[illegible] सचिव।

संख्या— 310161 (1)/2025/XXVII(9)/अधिप्राप्ति—01/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, डॉ0 आर.एस.टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. परियोजना निदेशक, यूकेपीएफएमएस, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त मानक निविदा प्रपत्रों को आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर अपलोड किए जाने का कष्ट करें।
10. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
13. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
16. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त Standard Bidding Document for Procurement of consultancy, services, goods एवं works की 100 प्रतियां पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग—9, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: [illegible]
16:37:40

संख्या: 312329 /XXIV-A-1/2025/39646/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड
देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनाँक: 08 जुलाई, 2025

विषय: द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–शि0शि0 सेवापूर्व/1913/दो–I(92)/ 2025–26 दिनांक 06 जून, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2025 आयोजित कराये जाने हेतु समसामयिक शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रस्ताव के सम्यक परीक्षणोपरान्त डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या– 433/XXIV(1)/2019–02/2018 दिनांक 16–08–2019, शासनादेश संख्या 1028/XXIV(1)/2019–02/2018 दिनांक 21–10–2019, शासनादेश संख्या 1389/XXIV–A–1/2020/02/2018 दिनांक 11–01–2021 एवं शासनादेश संख्या 173/XXIV–A–1/2021/ 02/2018 दिनांक 24–01–2022, शासनादेश संख्या 25034/2022 दिनांक 25 मार्च 2023 शासनादेश सं0–BESI-MISI/25.1/103/2022-XXIV-A-1-Basic Educator Department दिनांक 07 अक्टूबर 2022 एवं शासनादेश संख्या 215366/XXIV–A–1/2024–39646/2022 दिनांक 04–06–2024 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–230553/XXIV–A–1/2024-39646/2022 दिनांक 06 अगस्त 2024 में उल्लिखित प्रावधानों में कतिपय संशोधन करते हुए राज्य में संचालित 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 50 प्रशिक्षु प्रति डायट के अनुसार 650 प्रशिक्षणार्थियों को द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 परीक्षा कार्यक्रम को निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अधीन प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा एवं अन्य गतिविधियों हेतु नियन्त्रक प्राधिकारी–द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन करने व राज्य के समस्त जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण हेतु निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, नियन्त्रक प्राधिकारी होंगे।

2. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता–

(क) कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–59/XXX–2/19/01(17)/2012 दिनांक 07 फरवरी, 2019 एवं अधिसूचना संख्या–164/XXX–2/19/01(17)/2012 दिनांक 28.06.19 द्वारा संशोधित उत्तराखण्ड लोक

सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली 2019 के द्वारा संशोधित नियम–4 उपनियम (2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिए अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे;

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्ताराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगें। के अनुसार अभ्यर्थी द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के विकल्प भरवायें जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा केन्द्रों का आवंटन उसके द्वारा दिए गये विकल्पों की वरीयतानुसार किया जायेगा। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय राज्य के समस्त 13 (तेरह) जनपदों में प्रशिक्षण हेतु विकल्प भरने होंगें।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेत्तर विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो।

(घ) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित कुल सीटों के 50 प्रतिशत में विज्ञान वर्ग तथा 50 प्रतिशत में विज्ञानेत्तर वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा।

बी.एस.सी. योग्यताधारी एवं कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु विज्ञान वर्ग तथा बी.ए. योग्यताधारी एवं वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थियों को विज्ञानेत्तर वर्ग में रखा जायेगा तथा बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम० के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के वर्ग का निर्धारण उनके

इण्टरमीडिएट वर्ग के आधार पर किया जायेगा। इण्टरमीडिएट कृषि वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त से इतर अन्य वर्गों से स्नातक हैं, विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। इण्टरमीडिएट वाणिज्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त से इतर अन्य वर्गों से स्नातक हैं, विज्ञानेत्तर वर्ग में आवेदन कर सकेंगे।

(ड.) कार्मिक विभाग द्वारा सेवायोजन में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु जारी शासनादेशानुसार ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज (Vertical – Horizontal) आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा। शासनादेश संख्या 1028/XXIV (1)/2019/02/2018, दिनांक 21-10-2019 एवं शासनादेश संख्या 1389/XXIV(1)/2020/02/2018, दिनांक 11-01-2021 के बिन्दु संख्या-2-2(ग) के अनुपालन में "श्रेणी, वर्ग एवं उप वर्गवार सीटों का वर्गीकरण करते हुए सम संख्या आने पर उसे बराबर विषयों में विभाजित कर दिया जायेगा एवं विषम संख्या आने पर उसकी पूर्ति चक्रानुक्रम से श्रेणी के अनुसार आगामी प्रवेश परीक्षा में पूर्ति कर दी जायेगी। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण की भांति ही क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में भी सीटों का निर्धारण किया जायेगा।"

(च) अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप नियमानुसार देय होगी।

(छ) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण स्ववित्त पोषित रूप से संचालित किया जायेगा। द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष रु. 35,000.00 (पैंतीस हजार रुपये मात्र) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति सेमेस्टर रु. 850.00 (आठ सौ पचास रुपये मात्र) परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। प्राप्त शुल्क निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून के निवर्तन पर रखा जायेगा।

(ज) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त राजकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी किन्तु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में विहित न्यूनतम प्रशिक्षण/अन्य निर्धारित योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार सेवा में लिया जायेगा।

चयन का आधार :

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। चयन सूची प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांको की श्रेष्ठता के अवरोही क्रमानुसार तैयार की जायेगी।

4. लिखित परीक्षा :

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे 30 मिनट होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प दिये जायेंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। प्रश्न मुख्यतः सामान्य ज्ञान/बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरुचि विषयों पर आधारित होंगे, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक योग्यताधारी से अपेक्षित है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ओ.एम.आर. शीट आधारित होगा। अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।

5. परीक्षा संस्था :

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अन्तर्गत गठित विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ही विज्ञापित सीटों के सापेक्ष, श्रेणीवार, वर्गवार तथा आरक्षणानुसार पृथक–पृथक सूची तैयार कर अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करेगा। अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांकों के वरीयता क्रमानुसार जनपद आवंटन करने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करवायी जाएगी।

6. प्रवेश हेतु चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना :

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर एवं आरक्षित श्रेणीवार निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत उनकी पृथक–पृथक योग्यता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी। योग्यता सूची के आधार पर काउंसिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया सम्पादन के उपरान्त वास्तविक रूप से रिक्त रही सीटों की संख्या के सापेक्ष विज्ञान/विज्ञानेत्तर वर्ग में ऊर्ध्व/क्षैतिज आरक्षणवार प्रतीक्षा सूची भी निर्गत की जायेगी। जिस वर्ग/श्रेणी का अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो उसी वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगा।

योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु जनपद का आवंटन राज्य स्तर पर आयोजित काउंसिलिंग के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी को योग्यता सूची में प्राप्तांकों के अवरोही क्रमानुसार, काउंसलिंग के समय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु जनपदों के विकल्प भरवाकर, अभ्यर्थी के द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर प्रशिक्षण हेतु जनपद आंवटित किए जायेगें।

(ख) चयनित अभ्यर्थियो की सूची को आवंटित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भेजने का उत्तरदायित्व एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून का होगा।

7. **राज्य स्तर डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश हेतु समिति का गठन :**

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर पात्र अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जायेगी:–

1	निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण प्राधिकारी	अध्यक्ष / परीक्षा नियन्त्रक
2	अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी.	सदस्य / सचिव
3	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का एक अधिकारी	सदस्य
4	निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित एक श्रेणी–2 का अधिकारी (अनु.जा. / अनु.ज.जा. / अ.पि.व. से सम्बन्धित)	सदस्य
5	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा नामित संयुक्त / उप निदेशक स्तर का सेवा–2 पटल का अधिकारी	सदस्य

8. **द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर मूल्यांकन :**

सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में द्विवर्षीय अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कार्यों का मूल्यांकन, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा सम्पादित कराया जाएगा। प्रति सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व आंतरिक आंकलन के अंक कम से कम 15 दिन पहले बोर्ड को उपलब्ध कराने का दायित्व प्राचार्य सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

9. **द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा शुल्क :**

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित होगी –

1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए – रु. 600.00
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए– रु. 300.00
3. सभी वर्गों के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए – रु. 150.00

10. अन्य नियम :

(क) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रविष्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। प्रमाण पत्र

फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर प्रवेश निरस्त करने के साथ ही संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाई भी की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र भी अभ्यर्थी को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

(ख) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता एवं सुविधा के दृष्टिगत प्रतिवर्ष 50 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(ग) वैश्विक महामारी कोविड–19 जैसी अन्य महामारी के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में तत्समय शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षुओं का कक्षा–कक्ष शिक्षण ऑनलाइन संचालित किया जा सकता है।

11. **द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु समय सारणी :**

प्रत्येक वर्ष द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश की प्रक्रिया का आयोजन अधिकृत संस्थान द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पादित की जायेगी –

क्र.सं.	गतिविधि	प्रस्तावित समय
1	द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं सूचना विवरणिका तैयार करना।	माह जुलाई–अगस्त 2025
2	विज्ञप्ति जारी करने की तिथि (ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया)	माह सितम्बर 2025
3	आवेदकों का डाटा तैयार करना, परीक्षा केन्द्र, प्रवेश पत्र निर्माण एवं अभ्यर्थियों को प्रेषण की तिथि परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा सामग्री आदि का प्रेषण	माह अक्टूबर–नवंबर, 2025
4	परीक्षा की तिथि (प्रस्तावित)	22 नवंबर, 2025 चतुर्थ शनिवार
5	परीक्षाफल निर्माण एवं घोषणा	दिसंबर 2025– जनवरी 2026
6	सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन हेतु कॉउंसिलिंग की अवधि	जनवरी –फरवरी 2026
7	प्रतीक्षा सूची जारी करना	माह फरवरी–मार्च 2026
8	सत्र प्रारम्भ	माह मार्च–अप्रैल 2026

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 08-07-2025
12:58:49

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या: 312329 /XXIV-A-1/2025/39646/2022 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा ननूरखेडा, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
BHUPENDRA SINGH BORA
Date: 08-07-2025
15:43:09

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 1025 /XXIV–B–1/2025/01(15)/2022
देहरादून, 09 जुलाई, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025

भाग 1 – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 है । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2. विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा में समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।
परिभाषाएँ	3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में– (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सम्बन्धित मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अभिप्रेत है ; (ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं; (ग) "संविधान" से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है; (घ) "सरकार से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है; (ङ) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए; (च) "आयोग/चयन संस्था" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/राज्य सरकार द्वारा नामित चयन संस्था अभिप्रेत है; (छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के अधीन स्थायी पद/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है; (ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा अभिप्रेत है; (झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; (ञ) "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

	भाग 2 — संवर्ग
सेवा का संवर्ग	4. (1) इस नियमावली के अधीन प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा का एक पृथक संवर्ग होगा। संवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय। प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा के सदस्यों की संख्या, जब तक की उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तित न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है: परन्तु यह कि-(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।
	भाग 3 — भर्ती
भर्ती का स्रोत	5. सेवा मे भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :—
	विशेष शिक्षा शिक्षक — 100 प्रतिशत पदों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।
आरक्षण	6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
	भाग 4 — अर्हता
राष्ट्रीयता	7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी — (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा) श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो: परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो: परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा: परन्तु यह कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा। टिप्पणी — जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है, कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा हेतु शैक्षणिक अर्हता	8. सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो तथा जिसे वैध आर.सी.आई., सी.आर.आर. संख्या आवंटित हो से विशेष शिक्षा में बी०एड की उपाधि। (2) समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में छः माह का डिप्लोमा/प्रशिक्षण। (3) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। (4) अभ्यर्थी को विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति/चयन हेतु यू०टी०ई०टी०–2/ सी०टी०ई०टी०–2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
अनिवार्य/वांछनीय अर्हता	9. अनिवार्य/वांछनीय अर्हता उत्तराखण्ड लोक सेवा की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार होगी।
अधिमानी अर्हता	10. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा जिसने– (i) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या (ii) नेशनल कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
आयु	11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस कैलेण्डर वर्ष में रिक्तियां भर्ती करने वाली संस्था/आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जायं, उस वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए: परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाये।
चरित्र	12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं अपना समाधान करेगा। टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नही होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	13 सेवा मे किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो या जिसके एक से अधिक पति जीवित हों. परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।
शारीरिक योग्यता	14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है: परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नही किया जायेगा।
	भाग 5–भर्ती प्रकिया
रिक्तियों की अवधारणा	15. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों

	की संख्या अवधारित करेगा।
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया	16.(1) नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों, जिन्हें नियम 15 के अनुसार अवधारित किया गया है, का विवरण तैयार करेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नामित चयन संस्था अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रिक्तियों को कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका राज्य में व्यापक परिचालन हो, विज्ञापित किया जायेगा एवं सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में, जैसे विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया जाय, आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा। ऐसे विज्ञापन में अन्य बातों के साथ पदों की संख्या वेतन, नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हताएं, अधिकतम आयु एवं अन्य ऐसी सूचनाएं, जो आवश्यक समझी जाएं, का उल्लेख होगा। **टिप्पणी– लिखित परीक्षा परिशिष्ट 'ख' के अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जायेगी तथा लिखित परीक्षा दोनों मण्डल में एक ही दिनांक एवं समय पर आयोजित की जायेगी।** (2) उपनियम (1) में उल्लिखित विज्ञापन में दिये गये प्रारूप के आधार पर आवेदन–पत्र विज्ञापन में उल्लिखित दिनांक को या उसके पूर्व विज्ञापन में उल्लिखित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा अवश्य पहुँच जाय। (3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जायेंगे– (एक) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क, जो विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया जाए। (दो) अन्य अभिलेख, जो विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किए जाएं। (4) निर्धारित दिनांक तथा निर्धारित शुल्क एवं अभिलेख के बिना भेजे गये आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। (5)(i) नियुक्ति प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नामित परीक्षा संस्था के द्वारा आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं **परिशिष्ट 'ख'** में विहित परीक्षा आयोजित कर, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीणता के क्रम में अभ्यर्थियों की नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची बनायी जायेगी। परीक्षा संस्था ऐसी चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगी। सूची में नाम, रिक्तियों की संख्या से अधिक (25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। सम्बन्धित परीक्षा संस्था अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में उल्लिखित मण्डलीय संवर्ग के लिए आवंटित करेगा। किन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा वरीयता सूची में स्थान पाने के बाद भी यदि उसके द्वारा प्रथम विकल्पित मण्डल में पद रिक्त न हो तो परीक्षा संस्था द्वारा उसके द्वितीय विकल्पित मण्डल की रिक्ति के सापेक्ष उसे पद आवंटित कर दिया जायेगा। (ii) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक (लिखित परीक्षा में) प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। (iii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यताओं के मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच एवं सत्यापन करने के उपरान्त सभी प्रकार से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी ।
	भाग 6 – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता
नियुक्ति	17. नियम 16 के उपनियम 5 (ii) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 16 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।
परिवीक्षा	18. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे: परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी: (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में

	किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी । (4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।
स्थायीकरण	19. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने– (क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो; (ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो; (ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो; (घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा (ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।
ज्येष्ठता	20. मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा।
	भाग 7 – वेतन आदि
वेतनमान	21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ पर प्रवृत्त सेवा का वेतनमान/वेतन लेवल परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।
परिवीक्षा के दौरान वेतन	22. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी: परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी। (2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा: परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी। (3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।
	भाग 8 – अन्य प्राविधान
पक्ष समर्थन	23. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।
अन्य विषयों का विनियमन	24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण	25. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।
व्यावृत्ति	26. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(रविनाथ रमन)
सचिव

संख्या 313810 /2025/XXVII(9)/01/वि0अ0क0प्र0/2024/ई-87509

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-9 देहरादून: दिनांक 14 जुलाई, 2025

विषय:- उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश सं0-61/XXVII(7)36/2017, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा "वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018" का प्रख्यापन किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-302763, दिनांक 02 जून, 2025 के माध्यम से निराश्रित गोवंशो हेतु गोसदनों के निर्माण एवं भरण पोषण हेतु प्रख्यापित समेकित नीति एवं उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया सं0-302761, दिनांक 02.06.2025 के अन्तर्गत निराश्रित गोवंशो हेतु रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़ मात्र) तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्यों की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार जिलाधिकारी को संलग्न परिशिष्ट के अनुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रतिनिधानित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। इस हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के सुसंगत मानक मदों में की जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में निराश्रित गोवंशो हेतु गोसदनों के निर्माण एवं भरण पोषण हेतु प्रख्यापित समेकित नीति/मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 02.06.2025 एवं समस्त वित्तीय नियमों/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (समय-समय पर यथासंशोधित) का अनुपालन पूर्णतः सुनिशिचत किया जायेगा।

3. उक्तानुसार जिलाधिकारी को प्रतिनिधायन किये जा रहे वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों की सीमा किसी भी दशा में रू0 01 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

5. इस सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किये गये वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किये जायेंगें।

6. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018)

शासनादेश संख्या–61/XXVII(7)36/2017, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त वर्णित शासनादेशों की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,
Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: ...-07-2025
12:10:50
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–3138/(1)/2025/XXVII(9)/01/वि0अ0क0प्र0/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं पेंशन एवं हकदारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट) उत्तराखण्ड।
12. निदेशक विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. संयुक्त निदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन की 250 प्रतियाँ पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: ...7-2025
13:09:45
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 ई0

श्रावण 10, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5

संख्या.317388/XXIV–B–5/2025–10(1)/2014

देहरादून, 01 अगस्त, 2025

अधिसूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम,2006 में विहित प्रावधानों के आलोक में प्रख्यापित विनियम 2009 के द्वारा प्रख्यापित अध्याय–13 एवं अध्याय–14 के अन्तर्गत वर्तमान में कक्षा–9 से 12 हेतु प्रवृत्त व्यवसायिक पाठ्यक्रम में 2 नवीन विषयों को सम्मिलित किये जाने तथा अधिसूचना संख्या–459/XXIV–5/2018–10(1) 2014 दिनांक 16 जनवरी, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए अधोवर्णित तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित पाठ्यक्रम के स्थान पर स्तम्भ–2 में चयनित व्यवसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करते हुए नवीन पाठ्यक्रम प्रवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

विद्यमान विनियम अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा–9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम)	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा–9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम)
विनियम(1) (नौ)(ज) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) (1) आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness) (8)एग्रीकल्चर (Agriculture) (9)इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware) (10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling) (11)प्लम्बर (Plumber)	विनियम (1) (नौ) (ज) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) (1) आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness) (8)एग्रीकल्चर (Agriculture) (9) इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware) (10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling) (11)प्लम्बिंग (Plumbing) (12) फूड इण्डस्ट्री (Food Industry)

उपरोक्त स्तम्भ–2 में वर्णित नवीन विषय को अध्याय–तेरह के विनियम –3 (ङ) (ix) की तालिका में CODE–063 के बाद निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा,अर्थात्–

CODE	NAMEOF SUBJECT	THEORY	PRACTCAL	PROJECT	INTERNAL ASSESMENT (IS)	MAXMUM MARKS	CMINIMUM MMARKS
064	Food Industry	30	50	—	20	100	33

विद्यमान विनियम अध्याय–चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा कक्षा –11 तथा कक्षा– 12 का पाठ्यक्रम।	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम अध्याय–चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा कक्षा –11 तथा कक्षा– 12 का पाठ्यक्रम।
विनियम–3(क) मानविकी वर्ग (तेरह) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) 1)आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness)	अध्याय–चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा विनियम–3 (क) मानविकी वर्ग (तेरह) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) 1)आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness)

(8)एग्रीकल्चर (Agriculture) (9)इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware) (10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling) (11)प्लम्बर (Plumber)	(8)एग्रीकल्चर (Agriculture) (9)इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware) (10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling) (11) प्लम्बिंग (Plumbing) (12)एयरोस्पेस एण्ड एविएशन(Aerospace & Aviation) (13)फूड इन्डस्ट्री (Food Industry)

उपरोक्त स्तम्भ–2 में वर्णित नवीन विषय को अध्याय–चौदह के विनियम–4(viii) की तालिका में CODE–156 के बाद निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्–

CODE	NAMEOF SUBJECT	THEORY		PRACTCAL		PROJECT		INTERNAL ASSESMENT (IS)		TOTAL	
		MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
157	Aerospaca & Aviation	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
158	Food Industry	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33

अतः विनियम–2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,

सचिव।

संख्या– ९९५ /XXIV-B-3/25/50024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 01 अगस्त 2025

विषयः केन्द्र तथा राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के दोहरे लाभ विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–शो.मू./छात्रवृत्ति परीक्षा/1918–20/2025-26 दिनांक 09.05.2025 तथा पत्र संख्या–SCERT/Scholarship/2317-19/2025-26 दिनांक 18.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को उक्त छात्रवृत्तियों का दोहरा लाभ दिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा संचालित तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्तियों का दोहरा लाभ न दिये जाने से अधिकतम विद्यार्थी एकल रूप से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की छात्रवृत्तियों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित केन्द्र तथा राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नही है। इस हेतु निम्नलिखित सिद्धान्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय–

1. यदि किसी छात्र–छात्रा को केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो उसे केन्द्र सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति तथा राज्य सरकार की किसी भी छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
2. यदि किसी छात्र–छात्रा को राज्य सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो उसे राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति तथा केन्द्र सरकार की किसी भी छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 28-07-2025
14:25:10

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– 324164 / XXIV-B-1 / 2025–09(04) / 2017 टीसी

प्रेषक,

रंजना राजगुरू,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, ननूरखेड़ा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 2025

विषय– मौलिक नियुक्ति एवं मौलिक पदोन्नति के मध्य तदर्थ रूप से की गयी निरन्तर सेवायें को समयमान वेतनमान / ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० हेतु गणना में लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक-अर्थ 5(क) / 2843 / मांग–शि०संग० / 17 / 2025–26, दिनांक 25 जुलाई, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नियमित / मौलिक रूप से विभाग में नियुक्ति के पश्चात् विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि सम्बन्धित शिक्षक की तदर्थ पदोन्नति की जाती है तो मौलिक नियुक्ति एवं मौलिक पदोन्नति के मध्य तदर्थ रूप से की गयी निरन्तर सेवायें को समयमान वेतनमान / ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० हेतु गणना में लिये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

02– विदित है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I / 270239 / XXVII(7)/2022-E-39427/2025, दिनांक 06 फरवरी, 2025 में समयमान वेतनमान / ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० की अनुमन्यता / स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान किये गये है :–

.......किसी स्थाई / अस्थाई सृजित पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात् यदि किसी कार्मिक को स्थानापन्न, तदर्थ, प्रभारी व्यवस्था के रूप में उच्चतर पद अथवा समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी दशा में उक्त अवधि की सेवायें मूल पद के सापेक्ष गणना में ली जायेंगी अर्थात दो नियमित नियुक्तियों के मध्य में

तदर्थ, प्रभारी अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरन्तर सेवायें समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 हेतु गणना में ली जायेंगी।

उक्त के अतिरिक्त उच्चतर पद पर तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से उच्चतर पद के वेतनमान में कार्य करते हुए, उसी पद पर पदोन्नति होने की स्थिति में एक ही वेतनमान/ग्रेड पे/वेतन लेवल में कार्यरत रहते के दृष्टिगत तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरस्तर सेवायें उच्चतर पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 हेतु गणना में भी ली जायेंगी।

03— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2025 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

Digitally signed by
Ranjana Rajguru
Date: 21-08-2025
...3:52

(रंजना राजगुरु)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3,
संख्या–944 /XXIV-B-3/25/92169
देहरादून, दिनांकः 15 सितम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

शैक्षिक सत्र 2026–27 में आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों को छोड़कर राज्य में स्थित समस्त विद्यालयों में कक्षा–1 से 12 तक अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं लिए NCERT/SCERT द्वारा संचालित/विकसित (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने हेतु पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ निम्नवत् पाठ्य पुस्तक समिति गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, – अध्यक्ष
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड – सदस्य
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य
6. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य
7. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य
8. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड – सदस्य
9. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, उत्तराखण्ड– सदस्य
11. संयुक्त/उप निदेशक, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड – सदस्य
12. संयुक्त/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य सचिव
13. संयुक्त निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड – सहायक सदस्य सचिव
14. संयुक्त/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य संयुक्त सचिव

2– पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित 2019 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा। पाठ्य पुस्तक समिति निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तों का निर्धारण तथा तकनीकी एवं वित्तीय बिडों का निरीक्षण करने सहित मुद्रण/मुद्रणेत्तर से सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु पर निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत होगी।

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 12-09-2025
13:50:58

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या–944 /XXIV-B-3/25/92169 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की हरिद्वार।
9. संयुक्त/उप निदेशक, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. संयुक्त निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. संयुक्त/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 15-09-2025
11:45:50

आज्ञा से,

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

संख्या-   /2025/ XXVII(9)/01/अधिप्राप्ति/2024/ई-77841

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-9   देहरादूनः दिनांक   सितम्बर, 2025

विषयः- उत्तराखण्ड राज्य में ई-प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त विभागों हेतु रू0 10 करोड़ तक के कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए मानक निविदा प्रपत्र (SBD) से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के समस्त विभागों में लागू ई-प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-310161/2025/अधिप्राप्ति-01/2024/ई-77841, दिनांक 30, जून, 2025 के द्वारा सामग्री (Goods), निर्माण कार्य (Works) तथा परामर्शी सेवाओं (Consultancy Services) के सम्बन्ध में मानक निविदा प्रपत्र (Standard Bidding Documents) लागू किये गये हैं।

2- उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्गत किये गये निर्माण कार्यों के SBD में रू0 10.00 करोड़ तक के कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप विशेष प्रावधान न होने के दृष्टिगत स्थानीय ठेकेदारों की मांग के आधार पर विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों/अभिमत के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में रू0 10.00 करोड़ तक के कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए मानक निविदा प्रपत्र (SBD) के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. विगत 05 वर्षों के निर्माण कार्यों का औसत वार्षिक टर्नओवर निविदा की लागत का 50 प्रतिशत होगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा विगत 05 वर्षों में कम से कम समान (similar) प्रकृति के न्यूनतम एक कार्य का अनुभव हो, जिसकी मात्रा निविदा की आंकलित लागत का न्यूनतम 33 प्रतिशत हो।
3. रू0 1.5 करोड़ तक की लागत के निर्माण कार्य, पूर्व की भांति Single Envelope System के माध्यम से सम्पादित किये जायेगें एवं उक्त निविदाओं के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम आवश्यक Bid Capacity के मानक लागू होगें।
4. निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाली फर्म के Joint Venture Firm होने की दशा में [illegible]

धनराशि हेतु बैंक से Joint venture के नाम से FDR बनाया जाना संभव न होने की दशा में Joint Venture के Lead Partner को Joint Venture की ओर से जमांतत धनराशि (EMD) हेतु अधिकुत किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु किसी निविदादाता को सफल घोषित किये जाने से पूर्व अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यक्ता नहीं होगी।

5. कार्य में प्रयुक्त मशीनरी एवं टूल्स की आयु, प्रथम बार क्रय किये जाने की तिथि से 05 वर्ष से 08 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। सम्बंधित विभाग निविदा प्रक्रिया में अपने विभागीय कार्यों की विशिष्टता के अनुरूप मशीनरी एवं टूल्स की आयु का निर्धारण उक्त निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत कर सकते हैं।
6. SBD में प्रयुक्त शब्दावली Average Annual Financial Turnover को Average Annual Construction Turnover से प्रतिस्थापित किया जाता है।
7. निविदा में Technical Staff के पैन कार्ड तथा फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य नहीं होगा।
8. रू0 10.00 करोड़ से कम मूल्य के कार्यों हेतु क्रेडिट लिमिट पूर्व की भांति यथावत रहेगी।
9. Current liquidity का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में SBD में पृथक से यथास्थान व्यवस्था/प्रावधान वित्त विभाग के स्तर से किया जायेगा।
10. विभागों में पूर्व से गठित निविदा समीक्षा समिति (Scrutiny) में नामित सदस्यों की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी। इस संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में यथासमय संशोधन कर लिया जायेगा।
11. उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 (UJVNL), पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि0 (PTCUL) एवं उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लि0 (UPCL) में नितान्त विशिष्ट कार्यों के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा निर्गत SBD के नियमों के आलोक में आवश्यक्ताअनुसार विधिसम्मत परिवर्तन बोर्ड के अनुमोदन से किया जा सकता है, किन्तु किसी भी दशा में यह संशोधन तत्समय प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों को अतिक्रमित नहीं करेंगे।

3– शासनादेश संख्या–310161/2025/अधिप्राप्ति–01/2024/ई–77841, दिनांक 30, जून, 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 30-06-2025
19:58:07

सचिव।

संख्या 33131(1)/2025/XXVII(9)/01/अधिप्राप्ति/2024/ई0–77841 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, डॉ. आर.एस.तोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8. निदेशना निदेशक, यूकेपीएफएमएस, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त मानक निविदा प्रपत्रों को आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, आई.टी.डी.ए, आई.टी पार्क, देहरादून।
13. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

संख्याः 1233 /XXIV-B-3/25/46005

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 18 सितम्बर, 2025

विषयः– शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु पाठ्य पुस्तकें मुद्रित कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः अका0/पा0पु0/25576/7ख(3)/2024–25 दिनांक 20 मार्च, 2025 तथा पत्रांकः अका0/पा0पु0/25577/7ख(3)/2024–25 दिनांक 20 मार्च, 2025 के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025–26 में राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं (सामान्य, पिछड़ी जाति, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति) को एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य–पुस्तकें (कक्षा 3 से 12 तक की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तकें द्विभाषीय (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंशोधित), 2025 के प्राविधानानुसार मुद्रित कर, निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1) पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के प्राविधानों के अन्तर्गत आमंत्रित निविदा में प्रतिस्पर्धात्मक दरों को प्राप्त कर, अंतिम वास्तविक प्राप्त दर के आधार पर ही व्यय करेगा। प्रकरण में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 तथा स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त चयनित फर्मों द्वारा निविदा की समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और गुणवत्ता में कमी परिलक्षित होने पर परीक्षण करने के उपरान्त निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

3) छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, इस हेतु संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी नियमों के अधीन पूरी प्रक्रिया समायान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु एक समय–सारणी तैयार करेंगे, जिससे कि शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ससमय छात्र–छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें विद्यालयों में उपलब्ध हो सकें। विलम्ब की दशा में संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

4) पाठ्यपुस्तक के मुद्रण में निहित व्यय धनराशि को अवमुक्त करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने संबंधी वित्त अनु–01, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश

संख्या-1/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा कुल आकलित देयता में अवशेष धनराशि हेतु आकस्मिकता निधि अथवा पुनर्विनियोग के विकल्प को अपनाया जा सकता हैं।

5) इस संबंध में विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा युक्तियुक्त यह विचार कर लियां जाय कि रॉयल्टी की धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है अथवा संबंधित चयनित फर्म द्वारा।

6) कागज की जीएसएम / गुणवत्ता / प्रिंटमेंट क्वालिटी / प्रिंटिंग टेक्नोलॉली इत्यादि के सम्बन्ध में मानक BIS ISO के उच्चतम मानकों के अनुरूप हो जिसमें पेपर क्वालिटी / प्री प्रोसेस स्टैंनर्डाइजेशन / बाईडनेस / इंक गुणवत्ता / बाईडिंग गुणवत्ता / "चाइल्ड सेफ" केमिकल्स का उपयोग इत्यादि विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा प्राप्त थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी से लॉट टेस्टिंग / रैंडम टेस्टिंग इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे की उच्चतम गुणवत्ता की पुस्तकें वितरित की जा सकें। यदि पुस्तकों की गुणवत्ता उच्चतम श्रेणी की होगी तो न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होगी बल्कि उसे पुनः अगले अकादमिक वर्ष में नई कक्षा के लिए भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

7) पाठ्यपुस्तक के मुद्रण में प्राकृतिक संरक्षण एवं मितव्यता का ध्यान रखा जाए।

2- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 16-09-2025
13:03:34

(रविनाथ रामन)
सचिव।

<u>संख्या 1233XXIV-B-3/25/46005 तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० विद्यालली शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारभिक / माध्यमिक / एससीईईआरटी० उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 18-09-2025
17:27:24

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनुसचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3,
संख्या– 1522/XXIV-B-3/25/90007
देहरादून, दिनांक 22 सितम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

शैक्षिक सत्र 2025–26 से राज्य के समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराये जाने हेतु नोटबुक के मुद्रणार्थ महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में निम्नानुसार नोटबुक समिति गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, – अध्यक्ष
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड –सदस्य
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड –सदस्य
6. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड – सदस्य
7. अपर/संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, उत्तराखण्ड – सदस्य
8. संयुक्त/उप निदेशक, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड – सदस्य
9. संयुक्त/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य सचिव
10. संयुक्त/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड – सदस्य संयुक्त सचिव
11. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड। – विशेष आमंत्रित सदस्य।
12. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड। – विशेष आमंत्रित सदस्य।
13. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड। – विशेष आमंत्रित सदस्य।
14. संयुक्त निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड। – विशेष आमंत्रित सदस्य।

2– नोटबुक समिति निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तों का निर्धारण तथा तकनीकी एवं वित्तीय बिडों का निरीक्षण करने सहित मुद्रण/मुद्रणेत्तर से सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु पर निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत होगी। नोटबुक मुद्रण में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा–

1. निःशुल्क नोटबुक के आकार को 21 CM X27 CM रखा जायेगा।
2. निःशुल्क नोटबुक के कवर पृष्ठ हेतु 210 GSM एवं अंतः पृष्ठ हेतु 70 GSM Maplitho Vrgin Pulp Paper के मानक का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निःशुल्क नोट बुक हेतु प्लास्टिक कोटेट कवर उपलब्ध कराया जायेगा।
3. निःशुल्क नोटबुक के कवर पेज तथा प्रत्येक पेज पर विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड तथा **'Not for Sale'** भी अंकित किया जायेगा, जिससे कि निःशुल्क नोटबुक की पहचान की जा सके तथा भविष्य में निःशुल्क नोटबुक की कालाबाजारी की

संभावनाओं को समाप्त किया जा सके।

4. निःशुल्क नोटबुक के कवर पर राज्य के प्रतीक चिन्हों को भी प्रिंट किया जायेगा।।
5. निःशुल्क नोटबुक में प्रत्येक पेज पर नम्बरिंग की जायेगी तथा प्रत्येक पेज पर वैज्ञानिकों/विचारकों/इतिहासकारों/अन्य महान हस्तियों के स्टेटमेंट प्रिंट किया जायेगा या, निःशुल्क नोटबुक में प्रत्येक पेज पर विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी को प्रिंट किया जायेगा।
6. निःशुल्क नोटबुक के मुद्रणार्थ उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानानुसार ई-निविदा आमंत्रित कर मुद्रकों का चयन किया जायेगा तथा चयनित मुद्रकों द्वारा कार्यादेश जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर राज्य के सभी-13 जनपद मुख्यालयों में आपूर्ति सुनिश्चित की जानी होगी।
7. सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि जनपद मुख्यालय में प्राप्त समस्त निःशुल्क नोटबुकें खण्ड शिक्षा अधिकारी/बी0आर0सी0 के माध्यम से 15 दिनों के भीतर समस्त विद्यालय/छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करा दी जाय।
8. नोटबुक मुद्रण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
9. नोटबुक में राष्ट्रीयगान, संविधान की प्रस्तावना एवं विद्यालय की शैक्षिक समय-सारणी का मुद्रण कराया जाय।
10. वर्तमान में न्यूनतम 25 प्रतिशत तथा भविष्य में सम्पूर्ण नोटबुक्स का मुद्रण राजकीय मुद्रणालय, रूड़की से कराया जाय।
11. प्रस्ताव में नोटबुक की दरें बाजार भाव से अत्यधिक होने के फलस्वरूप नोटबुक्स की लागत की तर्कसंगतता, गुणवत्ता एवं साईज हेतु तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय अधिकारियों की समिति गठित कर बाजार से सर्वेक्षण करते हुए reasonableness of rate सुनिश्चित की जाय।
12. प्रस्ताव के स्वीकृत होने, निविदा की कार्यवाही किये जाने, नोटबुक्स के मुद्रण में समय व्यतीत होने, नोटबुक्स के वितरण होने एवं वर्तमान शैक्षिक सत्र की लगभग एक चौथायी अवधि व्यतीत होने के दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा अपने स्तर पर इस वर्ष नोटबुक्स के वितरण की प्रासंगिकता पर विचार कर लिया जाय।
13. राजकीय मुद्रणालय, रूड़की में मुद्रित किये जाने वाली नोटबुक्स के अतिरिक्त नोटबुक्स की मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 एवं समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जाय।

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 16-09-2025
13:35:22

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या-977/XXIV-B-3/2025/90007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर/संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की हरिद्वार।
9. संयुक्त/उप निदेशक, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. संयुक्त/उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 18-09-2025
17:29:19

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

संख्या– 863 /xxiv–4/2025–09(05)2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 10 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2025

विषय :–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–582/2023 "शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली पुरस्कार सम्मान धनराशि रूपये 10 हजार से बढ़ाकर रूपये 21 हजार किया जायेगा" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–582/2023 "शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली पुरस्कार सम्मान धनराशि रूपये 10 हजार से बढ़ाकर रूपये 21 हजार किया जायेगा" के सम्बन्ध में अपने पत्रांक अकादमिक/22073/ मा0मु0मं0घो0–582/2023–24 दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त "राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्बन्धित मूल शासनोदश संख्या–811 दिनांक 08.11.2004 में संशोधन करते हुए राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को प्रदान की जाने वाली धनराशि रू0 10,000 (रू0 दस हजार मात्र) से बढ़ाकर 21,000 रू0 (रू0 इक्कीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन सहमति दी जाती है :–

(1) उक्त सहमति मात्र वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु एक बार के लिए ही दी जा रही है जिसे भविष्य हेतु दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

(2) आगामी वर्ष हेतु पुरूस्कार प्रदान किये जाने हेतु विधिवत रूप से नियमावली के प्रख्यापन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। तद्पश्चात ही मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु यथा प्रक्रिया धनराशि को भुगतान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त शासनादेश संख्या–811 दिनांक 08 नवम्बर, 2004 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–338698/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 10-11-2025
12:25:09

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– 863 /XXiv–4/2025–09(05)2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 शिक्षा मंत्री जी।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखड।
4– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6– अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।
7– अपर/संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल ,पौड़ी/कुमॉयू मण्डल नैनीताल।
8– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक/माध्यमिक) उत्तराखण्ड।
10– गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Richa
Date: 10-11-2025
13:17:51

आज्ञा से,

(ऋचा)
उप सचिव।

संख्याः 1571 /XXIV-B-3/25/73960

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून, दिनांकः 01 दिसम्बर 2025

विषयः- गेम चेंजर योजनान्तर्गत राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराये जाने हेतु नोटबुक मुद्रण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांकः अका0/पा0पु0/958/नोटबुक/2025-26 दिनांक 02 मई, 2025 के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 से गेम चेंजर योजनान्तर्गत राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को प्रत्येक शैक्षिक सत्र में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंशोधित), 2025 के प्राविधानानुसार मुद्रित कर, निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत विद्यार्थियों को कक्षावार 'संलग्नक-अ' के अनुसार प्रति छात्र नोट बुक आवंटित की जायेगी।

2) नोटबुक के मुद्रण हेतु उ0अधि0नि0, 2025 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुये प्राकृतिक संरक्षण एवं मितव्यता के दृष्टिगत नोटबुक का मुद्रण Recycled Paper पर किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त चयनित फर्मों द्वारा निविदा की समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और गुणवत्ता में कमी परिलक्षित होने पर परीक्षण करने के लिए उपरान्त निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

4) छात्र-छात्राओं को निःशुल्क नोटबुक ससमय उपलब्ध हो सकें, इस हेतु संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी नियमों के अधीन पूरी प्रक्रिया समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु एक समय-सारणी तैयार करेंगे, जिससे कि शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ससमय छात्र-छात्राओं को नोटबुक विद्यालयों में उपलब्ध हो सकें। विलम्ब की दशा में संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

5) नोटबुक के मुद्रण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने संबंधी वित्त अनु-01, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 अथवा समय लागू नियमों के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा योजना के प्रारम्भ होने वाले वर्ष 2025-26 में संबंधित

गव में बजट प्राविधान सून्य होने के दृष्टिगत योजना के शेषानव प्रपु आकाश्मिकता निधि अथवा पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्रस्ताव उपलब्ध-कराया जायेगा।

6) नोटबुक मुद्रण हेतु महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी। उक्त समिति निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तों का निर्धारण तथा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का निरीक्षण करने सहित मुद्रण/गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दु पर निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत होगी।

7) नोटबुक में स्पष्टीकरण, संविधान की प्रस्तावना एवं विद्यालय की जीवित रंगाय-सारणी का मुद्रण कराया जाय।

8) वर्तमान में न्यूनतम 25 प्रतिशत तथा भविष्य में सम्पूर्ण नोटबुकों का मुद्रण राजकीय मुद्रणालय, रूड़की से कराया जाय।

9) प्रस्ताव में नोटबुक की दरें बाजार भाव से अत्यधिक होने के फलस्वरूप नोटबुक्स की लागत की तर्कसंगतता, गुणवत्ता एवं साईज हेतु तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय अधिकारियों की समिति गठित कर बाजार से सर्वेक्षण करते हुए reasonableness of rate सुनिश्चित की जाय।

10) प्रस्ताव के स्वीकृत होने, निविदा की कार्यवाही किये जाने, नोटबुक्स के मुद्रण में समय व्यतीत होने, नोटबुक्स के वितरण होने एवं वर्तमान शैक्षिक सत्र की लगभग एक चौथाई अवधि व्यतीत होने के दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा अपने स्तर पर इस वर्ष नोटबुक्स के वितरण की प्रासंगिकता पर विचार कर लिया जाय।

11) राजकीय मुद्रणालय, रूड़की में मुद्रित किये जाने वाली नोटबुक्स के अतिरिक्त नोटबुक्स की मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 एवं समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के ई-जनरेटेड संख्या-338701/2025 दिनांक: 16.10.2025 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सलंग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 01-12-2025
12:30:01

(रविनाथ रमन)
सचिव।

संख्या : 157 / XXIV-B-3/25/73960 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक/एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 01-12-2025
12:31:59

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

संख्या–351511/2025/ XXVII(9)/01/अधिप्राप्ति/2024/ई–77841

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–9 देहरादून: दिनांक 31 दिसम्बर, 2025

विषय:– उत्तराखण्ड राज्य में ई–प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न लागत के निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए मानक निविदा प्रपत्र एस0बी0डी0 से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विभागों में लागू ई–प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–310161/2025/अधिप्राप्ति–01/2024/ई–77841, दिनांक 30, जून, 2025 द्वारा सामग्री (Goods), निर्माण कार्य (Works) तथा परामर्शी सेवाओं (Consultancy Services) के सम्बन्ध में मानक निविदा प्रपत्र (Standard Bidding Document) लागू किये गये हैं। उक्त शासनादेश द्वारा निर्गत किये गये निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति संबंधी एस0बी0डी0 में रू0 10.00 करोड़ तक के कार्यों की अधिप्राप्ति के लिये अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप विशेष प्राविधान न होने के दृष्टिगत स्थानीय ठेकेदारों की मांग के आधार पर विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों/अभिमत के क्रम में शासनादेश संख्या–331131, दिनांक 16 सितम्बर, 2025 के द्वारा रू0 10.00 करोड़ तक के कार्यों की अधिप्राप्ति के लिये मानक निविदा प्रपत्र में कतिपय संशोधन भी किये गये हैं।

2– उपरोक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2025 द्वारा निर्गत निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति संबंधी एस0बी0डी0 में किये गये प्राविधानों में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत विभिन्न अभियंत्रण विभागों से प्राप्त सुझाव/अभिमत के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में शासनादेश संख्या–331131, दिनांक 16.09.2025 को निरस्त करते हुए विभिन्न लागत के निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. रू0 25.00 लाख तक की निविदा प्रक्रिया हेतु ई–टेन्डरिंग का प्रयोग किया जाना अनिवार्य नहीं होगा। इस स्तर की निविदा हेतु व्यवस्था पूर्व की भांति रहेगी।

2. उत्तराखण्ड के विभिन्न अभियन्त्रण विभागों द्वारा रू0 1.50 करोड़ तक के सिविल निर्माण कार्यों हेतु नये एस0बी0डी0 के स्थान पर सम्बन्धित अभियन्त्रण विभाग द्वारा पूर्व से प्रयोग किये जा रहे निविदा प्रपत्र/शर्तों का ही प्रयोग किया जायेगा। इस लागत तक के सभी निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया में बिड कैपेसिटी, टर्न ओवर एवं समान कार्य के अनुभव आदि योग्यता के मानकों का मूल्यांकन

किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

3. रू0 25.00 लाख से रू0 1.50 करोड़ तक के कार्य-इस लागत सीमा के कार्यों की निविदा प्रक्रिया ई-टेण्डरिंग के माध्यम से की जायेगी। इस स्तर की निविदाओं में प्रतिभाग हेतु इच्छुक निविदादाताओं को विभाग द्वारा राजकीय ई-टेण्डरिंग पोर्टल uktenders.gov.in पर प्रकाशित निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के अनुसार एकल चरण एकल लिफाफा (Single Stage Single Envelope) प्रणाली के अनुसार अपनी निविदा आनलाइन जमा करनी होगी। एकल चरण एकल लिफाफा प्रणाली के अनुसार इच्छुक निविदादाताओं द्वारा निविदा सूचना/निविदा पत्र में वर्णित अन्य आवश्यक अभिलेख/प्रपत्र अपनी वित्तीय निविदा (Letter of Bid & Priced BOQ) के साथ scanned copy के रूप में निविदा पोर्टल uktenders.gov.in पर केवल ऑनलाईन माध्यम से जमा करने होंगे।

4. रू0 1.50 करोड़ से रू0 10.00 करोड़ तक के सिविल निर्माण कार्यों हेतु-इस सीमा के निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति हेतु शासनादेश दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत एस0बी0डी0 का प्रयोग निम्न संशोधनों के साथ किया जायेगा:-

क) विगत 05 वर्षों में निविदादाता का निर्माण कार्यों का औसत टर्नओवर निविदा की लागत का 50 प्रतिशत होना आवश्यक होगा।

ख) निविदादाता को विगत 05 वर्षों में मुख्य ठेकेदार के रूप में निविदा की आंकलित लागत के न्यूनतम 33 प्रतिशत लागत के कम से कम एक कार्य का अनुभव होना अवश्यक होगा।

ग) निविदादाता द्वारा विगत 5 वर्षों में से किसी एक वर्ष में निविदित कार्य के मुख्य निर्माण मदों (principal items of works) की अधिकतम वार्षिक निर्माण दर (peak annual rate of construction) के न्यूनतम् 50 प्रतिशत मात्राओं को सम्पादित करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

घ) तकनीकी निविदा में तकनीकी स्टाफ के पैन कार्ड तथा फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

ङ) रू0 10.00 करोड़ से कम मूल्य के कार्यों हेतु क्रेडिट लिमिट पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।

5. रू0 10.00 करोड़ से अधिक के सिविल निर्माण कार्यों हेतु-इस सीमा के निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति हेतु शासनादेश दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत एस0बी0डी0 का प्रयोग निम्न संशोधनों के साथ किया जायेगा :-

क) विगत 05 वर्षों के निर्माण कार्यों का औसत वार्षिक निर्माण टर्नओवर (average annual construction turnover) निविदित कार्य के अनुमानित वार्षिक व्यय के बराबर (100 प्रतिशत) होगा।

ख) निविदादाता को विगत 05 वर्षों में मुख्य ठेकेदार के रूप में निविदा की आकलित लागत के न्यूनतम 50 प्रतिशत लागत का एक कार्य अथवा 33 प्रतिशत लागत के कम से कम दो कार्यों का अनुभव होना अवश्यक होगा।

ग) निविदादाता द्वारा विगत 5 वर्षों में से किसी एक वर्ष में निविदित कार्य के मुख्य निर्माण मदों (principal items of works) की अधिकतम वार्षिक निर्माण दर (peak annual rate of construction) के न्यूनतम् 50 प्रतिशत मात्राओं को सम्पादित करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

6. निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाली फर्म के Joint Venture Firm होने की दशा में, जमानत धनराशि हेतु बैंक से Joint Venture के नाम से FDR बनाया जाना संभव न होने की दशा में Joint Venture के Lead Partner को Joint Venture की ओर से जमानत धनराशि (EMD) हेतु अधिकृत किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु किसी निविदादाता को सफल घोषित किये जाने से पूर्व Joint Venture के रूप में अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

7. कार्य में प्रयुक्त मशीनरी एवं टूल्स की आयु, प्रथम बार क्रय किये जाने की तिथि से 05 वर्ष से 08 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। सम्बन्धित विभाग निविदा प्रक्रिया में अपने विभागीय कार्यों की विशिष्टता के अनुरूप मशीनरी एवं टूल्स का निर्धारण उक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कर सकते हैं।

8. एस0बी0डी0 में प्रयुक्त शब्दावली Average Annual Financial Turnover को Average Annual Constreution Turnover से प्रतिस्थापित किया जाता है।

9. Current liquidity का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में एस0बी0डी0 में पृथक से यथास्थान व्यवस्था / प्राविधान किया जायेगा।

10. विभागों में पूर्व से गठित निविदा संवीक्षा समिति (Scrutiny) के अनुसार पूर्ववत् व्यवस्था यथावत् रहेगी। उक्त के संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में यथासमय संशोधन कर लिया जायेगा।

11. उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 (UJVNL), पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लि0 (PTCUL) एवं उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लि0 (UPCL) में नितान्त विशिष्ट कार्य के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा निर्गत एस0बी0डी0के नियमों के आलोक में आवश्यकतानुसार विधिसम्मत् परिवर्तन बोर्ड के अनुमोदन से किया जा सकता है, किन्तु किसी भी दशा में यह संशोधन तत्समय प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों को अतिक्रमित नहीं करेगा।

12. एस0बी0डी0 के Form Tech 3 Annual Constreution Turnover को किसी कार्य विशेष हेतु तैयार किया जाना अनिवार्य नहीं होगा। किसी वर्ष विशेष में प्रारम्भ में Form Tech 3 पर तैयार किया गया प्रमाण पत्र (Certificate) उस वर्ष के सभी कार्यों हेतु प्रयुक्त किया जा सकेगा।

13. आपदा कार्यों के लिए यदि आवश्यकता प्रतीत होती है तो turnover एवं experience के सन्दर्भ में निम्नानुसार शिथिलीकरण प्रदान किया जाता है-

क) विगत् 05 वर्षों में से किसी 01 वर्ष में टर्नओवर निविदा की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत होगा।

ख) निविदादाता को विगत् 05 वर्षों में निविदा की अनुमानित लागत के न्यूनतम 33 प्रतिशत लागत के कम से कम एक कार्य का अनुभव होना आवश्यक होगा।

14. प्रस्तर–13 में उल्लिखित शिथिलीकरण शासनादेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। तदोपरान्त स्वतः ही पूर्व निर्धारित शर्तें यथावत् लागू हो जाएगी। आपदा के दृष्टिकोण से कार्यो की तात्कालिकता का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3– शासनादेश संख्या–310161/2025/अधिप्राप्ति–01/2024/ई–77841, दिनांक 30, जून, 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 31-12-2025
15:43:03

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या: 357571/2025/ XXVII(9)/01/अधिप्राप्ति/2024/ई–77841 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
4. निबंधक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल
5. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
6. महानिदेशक, डॉ. आर.एस.टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
9. परियोजना निदेशक, यूकेपीएफएमएस, देहरादून
10. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त मानक निविदा प्रपत्रों को आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. निदेशक, पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,
13. निदेशक, आई.टी.डी.ए. आई.टी पार्क, देहरादून
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड
15. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड
16. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड
17. गार्ड फाइल

आज्ञा से

Digitally signed by
Khajan Chandra Pandey
Date: 31-12-2025
15:46:54

(खजान चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव

प्रेषक,   संख्या: 107 /XXIV-B-3/25/92538

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3   देहरादून, दिनांक: 20 जनवरी, 2026

विषय:- माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' संचालित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या: विविध(08)/10291/ऑन0ला0-कोचिंग/2025-26, दिनांक: 04.12.2025 के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-122/2025, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी एवं रोजगारपरक कौशल विकास हेतु आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण के बंध में नीति तैयार करने हेतु एक उच्चस्तरीय मिति गठित की जायेगी" के क्रियान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत संलग्न परिशिष्ट-अ के अनुसार 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' नाम से संचालित किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. प्रतियोगी परीक्षाओं का चयन इ प्रकार से किया जाय, कि अधिक से अधिक छात्र योजना से लाभान्वित हो सकें।
2. प्रत्येक परीक्षा (CLAT, NEET, JEE आदि) हेतु कोचिंग संस्थानों का चुनाव मितव्ययता तथा संस्थान की गुणवत्ता के आधार पर किया जाय। इस बंध में योग्यता मानदंड इस प्रकार से बनाये जायेंगे कि कम ` कम 3-5 प्रि द्ध संस्थान तकनीकी स्तर पर योग्यता मानदंड पूर्ण करते हों।
3. कोचिंग स्थान को भुगतान की प्रणाली स्पष्ट एवं पारदर्शी (कोचिंग संस्थान के प्रदर्शन, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति, प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन आदि के आधार पर) होनी चाहिए।
4. कोचिंग ुविधा हेतु छात्र-छात्राओं के चयन की प्रणाली स्पष्ट एवं पारदर्शी होनी चाहिए।
5. योजना हेतु विद्यार्थियों का चयन खुली स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से ऑनलाईन माध्यम से किया जायेगा।
6. योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार हो, कि योजना हेतु प्रतिवर्ष कुल व्ययभार रू0 7.00 करोड़ के अंतर्गत हो। भविष्य में योजनान्तर्गत छात्रों की संख्या बढ़ने पर तदनु ार बजट बढ़ाये जाने हेतु नियमान्तर्गत प्रस्ताव शासन को

उपलब्ध कराया जायेगा।

7. योजना के संचालन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति गठित की जायेगी:–

मुख्य चिव	–	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ चिव, मा0 मुख्यमंत्री	–	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ चिव, विद्यालयी शिक्षा	–	दस्य सचिव
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ चिव, सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	–	सदस्य

8. योजना के संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यकारिणी मिति गठित की जायेगी:–

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ चिव विद्यालयी शिक्षा	–	अध्यक्ष
अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा	–	सदस्य
अपर सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	–	दस्य सचिव

9. चयनित छात्रों की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों ` नियमित रूप ` की जायेगी जि में राज्य के साथ ही जनपद एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होंगे ताकि छात्रों की प्रगति की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। इस हेतु पृथक से डैशबोर्ड तैयार किया जायेगा जो कि विद्या समीक्षा केन्द्र से जोडा जायेगा।

10. राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर योजना के संचालन हेतु कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। इन मितियों द्वारा सम्बन्धित स्तर से यादृच्छिक (Random) रूप से निरीक्षण/परीक्षण किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, की कम्प्यूटर जनित क्रमांक I/362383/2026, दिनांक 16.01.2026 से प्राप्त उनकी हमति/परामर्श से निर्गत किये जा रहे हैं।

लग्न उपरोक्त।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

ख्या: 107 /XXIV-B-3/26/92538 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी चिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 20-01-2026
15:10:32

"मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना"

1. योजना :–

राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत छात्र, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे– मेडिकल एवं इंजिनीयरिंग (NEET/JEE), Common Law Admission Test- CLAT, एस0एस0सी0 आदि में भाग लेना चाहते हैं, हेतु निःशुल्क ऑन लाईन कोचिंग हेतु उक्त योजना प्रस्तावित की गयी है।

2 प्रस्तावित योजना का संचालन :–

1. स्क्रीनिंग (Screening):–योजना हेतु छात्र–छात्राओं का चयन खुली स्क्रीनिंग परीक्षा (Online) के माध्यम से किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा कक्षा 10 उत्तीर्ण एवं कक्षा 11 में अध्ययनरत एवं कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्रों के लिए आयोजित की जायेगी।
2. छात्र–छात्राओं का चयन स्क्रीनिंग परीक्षा में प्रदर्शन और पात्रता मापदंड की पूर्ति के आधार पर जनपदवार किया जाएगा।
3. उक्त कोचिंग सुविधा राष्ट्रीय स्तर की किसी अनुभवी संस्थान के माध्यम से प्रदान की जायेगी, जिनका चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। प्रदेश में अवस्थित राजकीय विद्यालयों के लिए ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को कोचिंग प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन माध्यम से प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों द्वारा पाठ्यवस्तु पढ़ाई जायेगी। अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन वीडियो, प्रैक्टिस पेपर चयनित संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
4. डिजिटल उपकरण हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे:–
   a. छात्र–छात्राओं द्वारा स्वयं का डिजिटल उपकरण उपयोग किया जा सकता है।
   b. शिक्षण संस्थान के आई0टी0 लैब के डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।
   c. छात्र–छात्राओं को कोर्स की अवधि में डिजिटल उपकरण विद्यालय द्वारा उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
5. चयनित संस्थान द्वारा योजना की मॉनिटरिंग हेतु कॉर्डिनेटर एवं काउन्सलर की नियुक्ति की जायेगी, जो जनपदवार छात्र–छात्राओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं उनकी काउन्सिलिंग करेंगे।
6. यदि किसी छात्र–छात्रा की उपस्थिति नियमित न होने या प्रदर्शन संतोषजनक न होने की दशा में उसे योजना से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके स्थान पर अन्य किसी छात्र–छात्रा को लाभान्वित किया जायेगा।

3 योजना के संचालन हेतु राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति :–

मुख्य सचिव		
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री	–	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा	–	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य सचिव
निदेशक, विद्यालयी शिक्षा	–	सदस्य
	–	सदस्य

राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के निम्नलिखित कर्तव्य/दायित्व होंगे–

1. कार्यकारिणी समिति द्वारा दिये गये विस्तृत एवं सुविचारित प्रस्ताव/प्रस्तुतीकरण का **वार्षिक मूल्यांकन** राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति द्वारा किया जायेगा।
2. स्टेयरिंग समिति कार्यकारिणी समिति के द्वारा लिये गये निर्णयों का मूल्यांकन करते हुए योजना को अधिक कारगर एवं सफल बनाने हेतु मार्गदर्शन तथा सलाह प्रदान करेगी।
3. स्टेयरिंग समिति द्वारा कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर भविष्य में कोचिंग हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की संख्या को घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
4. स्टेयरिंग समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आहूत की जायेगी।
5. स्टेयरिंग समिति कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर चयनित संस्थान को बनाये रखने अथवा बदलने सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगी।
6. चयनित संस्थान द्वारा प्रस्तुत वार्षिक व्यय का स्टेयरिंग समिति मूल्यांकन कर व्यय को बढ़ाने एवं घटाने पर दिशा–निर्देश प्रदान करेगी।

4. योजना के संचालन हेतु कार्यकारिणी समिति :–

योजना के संचालन हेतु कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार होगी:–

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव विद्यालयी शिक्षा	--	अध्यक्ष
अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा	–	सदस्य
अपर सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
निदेशक, विद्यालयी शिक्षा	–	**सदस्य सचिव**

कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य/दायित्व होंगे–

1. समिति नीति निर्धारण करते हुए कोचिंग सम्बन्धी योजनाओं के संचालन हेतु दिशा–निर्देश जारी करेगी।
2. वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने एव बजट के प्राविधान एवं प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु निर्णय लेगी।
3. कार्यकारिणी समिति की बैठक कोचिंग प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रतिवर्ष छः माह के भीतर बैठक कर चयनित संस्था/अध्यापनरत् अध्यापकों एवं छात्र–छात्राओं के फीडबैक के आधार पर योजना का मूल्यांकन करेगी।
4. कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी वार्षिक आख्या राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के सम्मुख

सदस्य सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।

5. कार्यकारिणी समिति योजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा यथावत बनाये रखने हेतु आख्या राज्य स्टेयरिंग समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से प्रस्तुत करेगी।

5. भुगतान के मानक :–सम्बन्धित कोचिंग एजेन्सी/संस्थान को भुगतान 03 भागों में किया जायेगा–

- एकमुश्त भुगतान।
- छात्रों की उपस्थिति के आधार पर।
- छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर।

6. योजना हेतु डिजिटल कोचिंग प्लेटफॉर्म की विशेषतायें :–

- लाइव क्लास– चयनित कोचिंग संस्थाओं द्वारा लक्षित छात्रों को लाइव क्लास की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- लर्निंग टूल्स–AI–आधारित संदेह समाधान (Doubt Clearance), रीयल–टाइम प्रदर्शन विश्लेषण, अनुकूल मूल्यांकन।
- यूज़र एक्सेस– प्रत्येक छात्र के लिए सुरक्षित लॉगिन (डेस्कटॉप, टैबलेट, या मोबाइल ऐप के माध्यम से)।
- लर्निंग संसाधन– बहुभाषी अध्ययन सामग्री (अंग्रेजी, हिंदी, हिंग्लिश), डाउनलोड करने योग्य नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो।
- ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग–छात्रों की उपस्थिति, परीक्षा स्कोर, वीडियो की उपलब्धता और प्रगति ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड।
- सपोर्ट सिस्टम–प्रत्येक छात्र हेतु साप्ताहिक मेंटर सत्र, सामूहिक वार्तालाप, परामर्श और अर्थवार तैयारी ट्रैकिंग।
- मेन्टरिंग– कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों को नियमित रूप से मेन्टरिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।

---

* * *

Digitally signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 20-01-2026
16:40:18

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–I/362829/XXVII(7)/E-97816/2026

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
   उच्च शिक्षा विभाग/विद्यालयी शिक्षा विभाग,
   उत्तराखण्ड शासन।

2. महानिदेशक,
   विद्यालयी शिक्षा विभाग,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 20 जनवरी, 2026

विषयः–राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का राजकीय इण्टर कॉलेजों में उच्चीकरण किये जाने एवं उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन हेतु पद सृजित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेजों में उच्चीकरण किये जाने के क्रम में संबंधित विद्यालयों में पद सृजन एवं उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालय की स्थापना एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु पद सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को बड़ी मात्रा में प्रेषित किये जाते रहे हैं।

2– वित्त विभाग में प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त यह संज्ञान में आया है कि पूर्व से संचालित विद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वीकृत पद कई स्थानों पर रिक्त पाये गये तथा अनेक स्थानों पर छात्र संख्या मानक से अत्यन्त न्यून अथवा शून्य पायी गयी है। साथ ही यह भी देखा गया है कि विभिन्न स्तरों पर मानकों से अधिक पद सृजित हैं। इस प्रकार ऐसे विद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या मानक से अत्यधिक न्यून होने के कारण इन विद्यालयों/महाविद्यालयों में पूर्व से सृजित पदों के पुनर्परीक्षण की आवश्यकता है। यदि विद्यालयों/महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/उच्चीकरण के नवीन प्रस्ताव गठित किये जाने है तो राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों के बेहतर उपयोग/प्रबन्धन की आवश्यकता के दृष्टिगत ऐसे विद्यालयों/महाविद्यालयों के पदों को, जहां छात्र संख्या मानक से कम है, को इन विद्यालयों/महाविद्यालयों हेतु स्थानान्तरित किये जाने की

आवश्यकता है।

3— अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पूर्व संचालित महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यकम संचालित किये जाने तथा स्नातक से स्नातकोत्तर में उच्चीकरण किये जाने एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का इण्टरमीडिएट कॉलेजों में उच्चीकरण किये जाने हेतु वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्तावों का उपरोक्त प्रस्तर–02 के आलोक में परीक्षण करते हुए पूर्व से विषयवार स्वीकृत पदों की संख्या एवं स्वीकृत पद के सापेक्ष भरे/रिक्त पदों की सूचना एवं छात्र संख्या का स्पष्ट विवरण तालिका में अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए ऐसे उच्चीकरण/नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्तावों में पूर्व सृजित पदों (जो वर्तमान में मानक से अधिक हो गये हैं) को स्थानान्तरित किये जाने संबंधी विकल्प भी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

Digitally signed by Dilip Jawalkar
Date: 18-01-2026 17:07:01

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)

सचिव।

संख्या–I/362829/ XXVII(7)/E-97816/2026 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, माध्यमिक, शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Ganga Prasad
Date: 19-01-2026 14:42:58

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
ई0प0सं0–91414
संख्याः 364899 / 2026 / XXVII(9) / 02 / अधि0प्रा0 / 2024 / टी0सी0
देहरादूनः दिनांक 27 जनवरी, 2026

अधिसूचना

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थातः–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1)इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2026 है। (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
नियम 3.6.1.ii का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3.6.1.ii के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ii. इन दरों का शासन द्वारा समय –समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रतिभूति को शासन/ प्राधिकरण के नाम पर बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी (ई–बैंक गारंटी सहित) आदि के रूप में बंधक रखा जायेगा अथवा ई–बैंकिंग (यदि कोई हो) के माध्यम से जैसा भी सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तथा क्रेता के हितों	ii. इन दरों का शासन द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रतिभूति को शासन/प्राधिकरण के नाम पर बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंक गारंटी (ई–बैंक गारंटी सहित) या इंश्योरेंस सियोरिटी बॉण्ड आदि के रूप में बंधक रखा जायेगा अथवा ई–बैंकिंग (यदि कोई हो) के माध्यम से जैसा भी सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तथा क्रेता के हितों की सभी प्रकार से सुरक्षा हेतु आवश्यक हो, जमा किया जा सकेगा।

की सभी प्रकार से सुरक्षा हेतु आवश्यक हो, जमा किया जा सकेगा। सामान्यतः निविदा प्रतिभूति की वैधता निविदा की अंतिम वैध अवधि के पश्चात् 45 दिन होगी परंतु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।	सामान्यतः निविदा प्रतिभूति की वैधता निविदा की अंतिम वैध अवधि के पश्चात् 45 दिन होगी परंतु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

नियम 3.6.2.ii का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3.6.2.ii के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
ii कार्यपूर्ति प्रतिभूति वाणिज्यिक बैंक से निर्गत आदाता के नाम (एकाउंट पेई) डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी आदि, जिस स्वरूप में विभाग/सक्षम प्राधिकारी के हित सभी प्रकार से सुरक्षित करने हेतु आवश्यक हो, ली जाये एवं उसकी सत्यता को सत्यापित कर लिया जाय।	ii कार्यपूर्ति प्रतिभूति वाणिज्यिक बैंक से निर्गत आदाता के नाम (एकाउंट पेई) डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंक गारंटी या इंश्योरेंस सियोरिटी बॉण्ड आदि, जिस स्वरूप में विभाग/सक्षम प्राधिकारी के हित सभी प्रकार से सुरक्षित करने हेतु आवश्यक हो, ली जाये एवं उसकी सत्यता को सत्यापित कर लिया जाय।

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 26-01-2026
19:39:44

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–364899 (1)/2026/XXVII(9)/02/अधि0प्रा0/2024 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।

9. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली 2025 की 100 प्रतियाँ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग–9, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 27-01-2026
10:15:31

आज्ञा से,
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्याः ३६५३२९/2026/XXVII(9)/स्टाम्प–02/2024/ई–92427

प्रेषक,

गंगा प्रसाद,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक २८ जनवरी, 2026

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि सामग्री, निर्माण कार्य और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए शासनादेश सं0–47, दिनांक 13.08.2025 के द्वारा उत्तराखण्ड (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 एवं शासनादेश सं0–310161, दिनांक 30.06.2025 द्वारा मानक निविदा प्रपत्रों (Standard Bidding Document) को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किया गया है।

2– उक्त के संबंध में महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा ऑडिट के दौरान www.uktenders.gov.in पोर्टल पर अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ एवं अनियमितताएं इंगित की गयी है:–

1. निविदा की अवधि न्यूनतम 02 सप्ताह से कम रखी जा रही है।
2. कतिपय निविदाकर्ता द्वारा बार बार निविदा में प्रतिभाग किये जाने पर भी उन्हे निविदा प्रदान न किया जाना, निविदाओं में प्रॉक्सी बिडर्स की उपस्थिति को दर्शाता है।
3. ई–प्रॅक्योरमेंट सिस्टम में Input Validation का अभाव होना और विभागों का अपूर्ण संगठनात्मक ढांचा।
4. निविदाओं को गलत TIA (Tender Inviting Authorities) के साथ मैप किया जाना।
5. यूजर रजिस्ट्रेशन का लम्बित होना और बिना उचित कारणों के तकनीकी बिड्स को स्वीकार या अस्वीकार करना।
6. निविदाकर्ता द्वारा एक ही एफ.डी.आर. एवं अन्य अभिलेखों को कई निविदाओं में उपयोग मे लाया जाना।
7. ई–टेंडरिंग से बचने के लिए कार्य को छोटे–छोटे टुकड़ों में बांटना।
8. उच्च दरों पर L2 बिडर (दूसरे स्थान के निविदादाता) को अनुबंध देना।
9. अमान्य दस्तावेजों के साथ यूजर्स का पंजीकरण होना।

3– अतः महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा की गयी ऑडिट आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने नियंत्रणाधीन विभागों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 एवं मानक निविदा प्रपत्रों (Standard Bidding Document) में निहित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by Ganga Prasad
Date: 28-01-2026 10:31:35

भवदीय,
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या: 365329/2026/XXVII(9)/स्टाम्प–02/2024/ई–92427 दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Gauri Shanker Joshi
Date: 28-01-2026 10:44:15

(गौरी शंकर जोशी)
अनु सचिव।

संख्या:-7/367/34/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून: दिनांक 03 फरवरी 2026 ~~जनवरी, 2026~~

विषयः-- विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनहित याचिका संख्या-116/2018 'कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य' में, दिनॉक 12.11.2018 को हुई सुनवाई में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निम्नवत् अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैः-

(A) The state government is directed to regularise the employees sponsored through UPNL in a phased manner within a period of one year as per regularization schemes framed from time to time.

(B) The state Government is directed to ensure that the employees sponsored by UPNL get minimum of pay-scale with dearness allowance along with arrears to be paid within a period of six month from today.

(C) The respondents are directed not to deduct any GST or Service Tax from the salary of the employees sponsored by UPNL.

2. उक्त आदेश के अनुपालन हेतु, 'उत्तराखण्ड उपनल कर्मचारी संघ' द्वारा अवमानना संख्या-402/2024 योजित किया गया, जिसमें दिनॉक 20.11.2025 की सुनवाई में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निम्नवत आदेश दिये गये हैं:-

'---Learned Advocate General submits that the Government is much serious to comply with the directions of the Court. He submits that the government has taken a call on it and a sub-Committee has been formulated

in the month of November, which has been given two months' time to submit a report as to how in a phased manner the directions of the Court may be implemented. He submits that by some time mid in the month of January, a report would be received and, thereafter, decision would be taken for implementation in the matter.

The Court takes on record the statement given by learned Advocate General and learned Chief Standing Counsel.

List this matter on 12-02-2026.

On that date, the State shall inform the Court as to what action has been taken for compliance of the Court's order pursuant to the sub-Committee's report.

3. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 12.11.2018 को पारित उक्त आदेश के क्रम में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) उपनल कार्मिक, जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं, को उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महँगाई भत्ता प्रदान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 116/2018 में पारित आदेश की तिथि 12.11.2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट मानी जायेगी।

(2) राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत उपनल कर्मियों को चरणबद्ध रूप से पद के सापेक्ष वेतनमान के न्यूनतम व देय मंहगाई भत्ता प्रदान किया जायेगा।

(3) संबंधित विभागों द्वारा पात्र कार्मिकों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनके श्रेणी/पद के वेतनमान के न्यूनतम व देय मंहगाई भत्ता के योग के बराबर धनराशि नियत मानदेय के रूप में निम्नानुसार अनुमन्य होगा-

श्रेणी	अधिकतम अनुमन्य वेतन लेवल	अभ्युक्ति
1	2	3
अकुशल	01	स्तम्भ 2 में अंकित वेतन लेवल अथवा उस पद के वेतन लेवल का न्यूनतम (Entry Level) जिसके सापेक्ष उसे कार्योजित किया जायेगा, में से जो भी कम हो, का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता अनुमन्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते अनुमन्य नही होंगे।
अर्द्धकुशल	02	
कुशल	04	
उच्च कुशल	07	
अधिकारी	10	

(4) कार्मिक संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं रखता हो, अन्यथा की स्थिति में उसे उसकी शैक्षिक अर्हता के अनुसार उपलब्ध समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य करवाया जाय।

(5) संबंधित कार्मिक की प्रास्थिति, कार्मिक अनुभाग–02 के शासनादेश संख्या–111 /X X X (2)/2018–30(12)2018, दिनांक 27.04.2018 एवं शासनादेश संख्या–379 /XXX (2)/2018–30(12)2018, दिनांक 29.10.2021 के अनुसार नियमित कार्मिकों के समान नहीं होगी तथा इस संबंध में उसे जिस पद/श्रेणी के सापेक्ष नियोजित किया गया है, उस पद का प्रारम्भिक वेतनमान एवं महंगाई भत्ते को जोड़कर जो भी धनराशि आंकलित की जायेगी, उसका भुगतान संबंधित कार्मिक को मानदेय के रूप में किया जायेगा।

(6) संबंधित कार्मिक वर्तमान में जिस पद के सापेक्ष कार्य कर रहा हो, उसी पद के वेतनमान के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जायेगा, परन्तु यदि कार्मिक के कार्य की प्रकृति में परिवर्तन किया गया है तो उसी पद/श्रेणी के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जायेगा, जिस पर उसे प्रारम्भिक रूप से कार्योजित किया गया हो।

(7) यदि कोई कार्मिक स्वीकृत पद के बिना कार्य कर रहा हो तो उसे समूह 'घ' के वेतनमान का न्यूनतम या उस संवर्ग के प्रारम्भिक (सीधी भर्ती के) पद के वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर अन्य समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य करवाया जाये। पद स्वीकृति के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से भविष्य में निर्णय लिया जायेगा।

(8) कार्मिकों को संबंधित विभाग एवं संबंधित कार्मिक के मध्य अनुबन्ध के तहत मानदेय का भुगतान सीधे किया जायेगा। विभागों द्वारा पात्र कार्मिकों को सीधे अनुबन्ध पर रखे जाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा वित्त एवं न्याय विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग एवं कार्मिकों के मध्य अनुबन्ध की शर्तो का निर्धारण करते हुए अनुबन्ध का प्रारूप निर्गत किया जायेगा।

(9) विभाग द्वारा पात्र उपनल कार्मिकों की सूची तैयार की जायेगी, जिसका अनुमोदन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से प्राप्त किया जायेगा। पात्र कार्मिकों के सत्यापन एवं अनुबन्ध आदि कार्यो का निष्पादन शासनादेश निर्गत होने के दो माह के अन्दर कर लिया जायेगा।

(10) प्रथम चरण में उपनल द्वारा प्रायोजित ऐसे उपनल कर्मियों, जिनके द्वारा पत्र संख्या–1433/XVII–C–1/12(18)रिट2018/2025, दिनॉक 25.11.2025 को 10 वर्ष की निरन्तर सेवायें पूर्ण कर ली गई हों, को ही प्रारम्भिक वेतनमान एवं महँगाई भत्ते को जोड़कर, जो भी धनराशि आंकलित होगी, को मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।

(11) ऐसे पद, जिनके सापेक्ष उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार उपनल कर्मियों को रखा जायेगा, उन पदों के सापेक्ष अधियाचन भेजने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा न्यायिक एवं वित्तीय परिस्थितियों के आलोक में कार्मिक, न्याय एवं वित विभाग की पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।

(12) भविष्य में उपनल के माध्यम से मात्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास सम्बंधी कार्य सम्पादित किये जायेंगे, जो निर्धारित समय अवधि के लिए होंगे तथा नितांत अस्थायी होगें।

4. अतः कृपया विभागों में, उपनल के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के सन्दर्भ में, उपरोक्तानुसार नियमानुसार समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करने एवं कृत

कार्यवाही से समय–समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

5. यह आदेश वित्त विभाग के ई–आफिस के माध्यम से ई–जनरेट संख्या–I/365889/2026 दिनॉक 29.01.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Deependra Kumar Chaudhari
Date: 03-02-2026 12:08:30

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या:–I/367/34/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0(उपनल), देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
JYOTI SINGH
Date: 03-02-2026
12:20:33

(ज्योति सिंह)
अनुसचिव।

प्रेषक,   संख्या: 198 /XXIV-B-3/26/92169

एम0एम सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांक 09 फरवरी, 2026

विषयः– शैक्षिक सत्र 2026–27 में राज्य के समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं (सामान्य, पिछड़ी जाति, अनु0 जाति/जनजाति) को एन.सी.ई.आर.टी/एस.सी.ई.आर.टी की पाठ्य पुस्तकें (कक्षा 3 से 12 तक की विज्ञान विषयक की पाठ्य पुस्तकें द्विभाषीय (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्याः अका0/पा0पु0/9208/7(ख)1/2025–26, दिनांक 04.11.2025 तथा पत्रांक संख्या–अका0/पा0पु0/11993–94/7(ख)1/2025–26, दिनांक 16.01.2026 के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु राज्य के समस्त शासकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 12 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं हेतु वर्ष 2025–26 में चयनित L-1 फर्मों से पूर्व दरों पर पुस्तकें मुद्रण कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के प्राविधान–"सामान्य निविदा" से छूट प्रदान की जाती है। तद्नुसार शैक्षिक वर्ष 2026–27 हेतु पुस्तकों के मुद्रण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2– यह आदेश वित्त अनुभाग–9, उत्तराखण्ड शासन के परामर्श/सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 09-02-2026
15:53:20

भवदीय,

(एम0एम सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्याः 198 /XXIV-B-3/26/92169 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।

4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. वित्त अनुभाग–09, उत्तराखण्ड शासन।
8. विशेष कार्याधिकारी, महानिदेशक, सूचना, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 09-02-2026
16:30:35

आज्ञा से,

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्याः– I/373024 /XVII-C-1/2026/12(18)रिट/2018

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग　　　　देहरादूनः　　　　दिनांक 20 फरवरी, 2026

विषयः– विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को सम्बन्धित पद के न्यूनतम वेतन के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के शासनादेश संख्या– 1/367134/XVII–C–1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनॉक 03 फरवरी, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों के संबंध में जनहित याचिका संख्या–116/2018 'कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य' में, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनॉक 12.11.2018 को पारित आदेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या–1/367134/XVII–C–1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनॉक 03 फरवरी, 2026 के प्रस्तर–3 के उपप्रस्तर (10) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:–

(10) "कट ऑफ डेट दिनॉक 12.11.2018 तक निरन्तर नियोजित सभी उपनल कार्मिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा, जिसके प्रथम चरण में दिनॉक 01.01.2016 से पूर्व निरन्तर योजित उपनल कार्मिकों को तथा तदोपरान्त चरणबद्ध रूप से कट ऑफ डेट तक के निरन्तर योजित उपनल कार्मिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा।"

3. शासनादेश संख्या–1/367134/XVII–C–1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनॉक 03 फरवरी, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.2026 के अन्य प्रावधान/निर्णय यथावत रहेंगे।

4. ये आदेश वित्त विभाग के ई–ऑफिस के माध्यम से ई–जनरेट संख्या– 1/372508/2026, दिनॉक 18.02.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
Deependra Kumar Chaudhari
Date: 20-02-2026 11:26:07

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्याः– (1) /XVII-C-1/2025/12(18)रिट/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0(उपनल), देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
JYOTI SINGH
Date: 20-02-2026
11:33:24

(ज्योति सिंह)
अनुसचिव।

संख्याः 282/XX-5/26-03(18)2022

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग-5 देहरादून, दिनांकः 25 फरवरी, 2026

विषयः शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासकीय कार्यालयों में प्रायः घटित होने वाली अप्रिय/हिंसक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह की घटनाओं की रोकथाम हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त् एतद्द्वारा राजकीय कार्यस्थलों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा, बचाव एवं प्रवेश नियंत्रण हेतु तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

02- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार राजकीय कार्यस्थलों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव।

संख्या-282 (1)/XX-5/26-03(18)2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

25/2/26

(निवेदिता कुकरेती)
विशेष सचिव।

राजकीय कार्यस्थलों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा, बचाव एवं प्रवेश नियंत्रण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।

1. उद्देश्य एवं प्रयोज्यता:–

1.1. कार्यस्थल पर बाहरी आक्रामकता, अनावश्यक दबाव अथवा हिंसा से लोक सेवकों को भौतिक एवं विधिक रूप से पूर्णतः सुरक्षित रखने हेतु एक सुदृढ़ सुरक्षात्मक तंत्र स्थापित करना।

1.2. यह उत्तराखण्ड के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कार्यरत समस्त सरकारी कार्यस्थलों (निदेशालयों, जिलाधिकारी परिसरों, खंड विकास कार्यालयों, राजकीय शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों आदि) पर लागू होगी, जिस हेतु विभाग के सचिव द्वारा विभागीय आवश्यकतानुसार यथा संशोधनों सहित इसकी अधिसूचना पृथक से जारी की गई हो। जिन कार्यालयों में पूर्व से सुरक्षा की व्यवस्था विद्यमान है यथा सचिवालय/विधानसभा इत्यादि, उनमें यह मानक संचालन प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

1.3. यह सुरक्षा प्रतिबंध एवं नियम आम जनमानस, निजी ठेकेदारों, जन–प्रतिनिधियों, उनके समर्थकों तथा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों (PSO) सहित समस्त आगंतुकों पर बिना किसी अपवाद के लागू होंगे।

1.4. विभाग के सचिव सुरक्षा खतरों के आधार पर PSARA (पसारा) के अन्तर्गत पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर सकते हैं।

2. परिधि सुरक्षा एवं भौतिक प्रवेश नियंत्रण :–

2.1. समस्त स्थायी एवं संविदा कर्मचारियों के लिए मानकीकृत, टैम्पर–प्रूफ पहचान पत्र दृष्टिगोचर रूप से धारण करना अनिवार्य होगा।

2.2. कार्यालय परिसर में आम जनता के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिषिद्ध रहेगा। वी०आई०पी० अथवा दिव्यांगजनों के वाहनों को 'अंडर–व्हीकल मिरर' द्वारा सघन जाँच के उपरांत ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

2.3. **सुरक्षा जाँच (Screening) प्रक्रिया:**

2.3.1. प्रवेश द्वारों पर यथावश्यकता से स्थापित डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

2.3.2. महानुभावों/विशिष्ट व्यक्तियों के वाहन पूर्व अनुमति के साथ ही परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।

2.3.3. सुरक्षा कर्मियों द्वारा सभी व्यक्तियों की शारीरिक जाँच (Frisking) की जाए।

2.3.4. दुर्व्यवहार के दोषी व्यक्तियों (Black Listed) का परिसर में प्रवेश वर्जित करने हेतु सुरक्षा चौकी पर एक औपचारिक "नो–एंट्री" फोटो–युक्त पंजिका संधारित की जाए।

3. आगंतुक प्रबंधन प्रणाली (Visitor Management System):–

कार्यालयों में यथासंभव डिजिटल VMS प्रणाली लागू की जाए तथा जहाँ पर सम्भव न हो, तो भौतिक रजिस्टर के माध्यम से भी आगन्तुकों का विवरण रखा जाए,:

3.1. आगंतुक की उच्च–रिजॉल्यूशन फोटो एवं वैध सरकारी पहचान पत्र का सत्यापन कर वी०एम०एस० में प्रविष्टि की जाए। भौतिक रजिस्टर होने की दशा में आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र संख्या और आने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से अंकित हो।

संलग्नक 1
आगन्तुकों हेतु सामान्य दिशा–निर्देश (Do's and Dont's)

प्रवेश एवं पहचान (Access & Identification)

- कार्यालय में प्रवेश से पूर्व स्वागत कक्ष (Reception) पर अपना पंजीकरण कराएं और वैध पहचान पत्र (Aadhaar/Voter ID) दिखाए एवं साथ रखे।
- किसी भी अधिकारी से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित समय (Appointment) या आवंटित टोकन नंबर की प्रतीक्षा करें।

शिष्टाचार एवं व्यवहार (Standard of Behavior)

- सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के साथ बात करते समय शिष्ट भाषा का प्रयोग करें।
- किसी भी प्रकार का शोर–शराबा, नारेबाजी या उत्तेजक व्यवहार कार्यालय परिसर में पूर्णतः वर्जित है।
- अधिकारी के कक्ष में एक समय में केवल दो (2) व्यक्तियों (या अधिकृत प्रतिनिधि) को ही प्रवेश की अनुमति होगी। 02 से अधिक व्यक्ति किसी भी दशा में अधिकारियों के कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे।
- शारीरिक हमला या अभद्र व्यवहारः ड्यूटी पर तैनात किसी भी लोक सेवक (Public Servant) के साथ धक्का–मुक्की, मारपीट या गाली–गलौज करना एक गंभीर दंडनीय अपराध है।
- ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी और उन्हें परिसर से तुरन्त निष्कासित कर दिया जाएगा।
- यह परिसर पूर्णतः सी0सी0टी0वी0 से आच्छादित है। आपका अमर्यादित व्यवहार आपको कानूनी रूप से दण्ड का भागीदार बना सकता है।

प्रतिबंधित वस्तुएं (Prohibited Items)

- कार्यालय के भीतर ज्वलनशील पदार्थ, स्याही (Ink), लाठी–डंडा, हथियार या किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु ले जाना पूर्णतः वर्जित है।
- परिसर के भीतर वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी।

शिकायत दर्ज करने का सही तरीका (Grievance Redressal)

- यदि आप किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो अपनी बात लिखित रूप में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष या इस नम्बर.................................पर सम्पर्क कर सकते है।
- शारीरिक बल का प्रयोग आपकी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह आपको कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है।

3.2. सत्यापन के उपरांत समय–मुद्रित (Time-stamped) क्यू0आर0 / आर0एफ0आई0डी0 बैज निर्गत किया जाए, जो आगंतुक को केवल निर्दिष्ट 'मीटिंग जोन' तक ही सीमित रखे। डिजिटल पास की अनुपलब्धता की स्थिति में, हस्ताक्षरित पेपर–पास जारी किया जाए जिस पर प्रवेश और निकास का समय और स्थान जिसके लिए मान्य है, दर्ज हो।

3.3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से भेंट हेतु पूर्व से समय लेना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व–निर्धारित कार्यक्रम के उपस्थित होने वाले आगंतुकों को प्रवेश द्वार से ही वापस कर दिया जाए।

4. जन–सामान्य से भेंट एवं बैठक प्रोटोकॉलः–

4.1. विभागाध्यक्षों द्वारा जन शिकायतों की सुनवाई हेतु नियत समय निर्धारित कर प्रवेश द्वार एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।

4.2. प्रतिनिधिमंडल (Delegation) सीमा: आम जनता के प्रतिनिधिमंडल में दो (02) से अधिक व्यक्ति होने पर बैठक अधिकारी के कक्ष के स्थान पर 'कॉन्फ्रेंस रूम' में आहूत की जाए, जिसमें अनिवार्य रूप से सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा होना चाहिए। 'कॉन्फ्रेंस रूम' में एक पृथक से निकास द्वार भी होना चाहिए।

4.3. निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या तीन (03) (प्रतिनिधि सहित) तक सीमित रखी जाए। अतिरिक्त व्यक्तियों हेतु सुरक्षित प्रतीक्षालय की व्यवस्था की जाए।

4.4. वी0आई0पी0 के साथ आने वाले सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को अपने शस्त्र मुख्य रिसेप्शन पर घोषित करने होंगे तथा वे निर्दिष्ट प्रतीक्षालय में ही रुकेंगे, जब तक कि कोई विशिष्ट खतरा न हो।

4.5. प्रतिनिधिमंडल लाने वाले व्यक्ति, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख तथा इसके सभी सदस्यों का नैतिक दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि परिसर में सार्वजनिक मर्यादा एवं शिष्टाचार पूर्ण रूप से बनाए रखा जाए।

5. सुरक्षा अवसंरचना एवं निगरानी व्यवस्थाः–

5.1. प्रवेश द्वारों, गलियारों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के कक्षों में उच्च गुणवत्ता (HD) के सी0सी0टी0वी0 कैमरे (ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित) स्थापित किए जाएं। फोरेंसिक पहचान सुनिश्चित करने हेतु वीडियो फुटेज का स्थानीय सर्वर पर न्यूनतम 03 माह (90 दिन) का सुरक्षित बैकअप रखा जाए।

5.2. अधिकारियों की डेस्क के नीचे एवं रिसेप्शन पर गुप्त 'साइलेंट पैनिक अलार्म' स्थापित किए जाए।

6. घटना के उपरान्त विधिक एवं संस्थागत कार्यवाहीः–

6.1. साक्ष्यों की अखंडता (Chain of Custody) सुनिश्चित करने हेतु घटनास्थल को तत्काल सील किया जाए। सफाई कर्मचारियों को साक्ष्यों (फटे दस्तावेज, टूटे फर्नीचर) से छेड़छाड़ न करने के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।

6.2. सम्बंधित कार्यालय/आई0टी0 प्रशासक द्वारा सी0सी0टी0वी0 फुटेज की सुरक्षित प्रतिलिपि तैयार कर जाँच अधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध कराई जाए।

6.3. घायल कार्मिकों की तत्काल चिकित्सा व्यवस्था कराते हुए 'मेडिको–लीगल केस' दर्ज कराया जाए।

6.4. भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) व अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं का प्राथमिकी में अनिवार्य रूप से समावेश किया जाए।

6.5. ऐसे प्रकरणों की विवेचना अनिवार्य रूप से निरीक्षक (Inspector) स्तर के अधिकारी द्वारा ही सम्पादित की जाएगी।

6.6. यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना दो महीने के अंतर्गत समाप्त कर ली जाए।

7. विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संलग्नक–1 में अंकित जानकारी कार्यालय परिसर के सभी प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित (चस्पा) की जाए :–

7.1. आगंतुकों के लिए निर्धारित आचार संहिता (Do's and Dont's)।

7.2. सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार या कदाचार की स्थिति में की जा सकने वाली संभावित दंडात्मक कार्रवाइयों की सूची।

7.3. सभी महत्वपूर्ण संपर्क विवरण।

8. संबंधित विभागीय सचिव के अनुरोध पर सचिव, गृह विभाग यदि उचित समझें, तो महत्वपूर्ण निदेशालयों एवं उच्च–जोखिम वाले कार्यालयों का वार्षिक सुरक्षा ऑडिट (Annual Security Audit) सुनिश्चित किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय को निर्देशित करेंगे।

****

संख्या: 1540 /XXIV-B-3/26/90007

प्रेषक,

विकास कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 26 फरवरी, 2026

विषयः– शैक्षिक सत्र 2025–26 में गेम चेंजर योजनान्तर्गत राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को निःशुल्क नोटबुक (कॉपी) उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या–अका0/पा.पु/9024–25/7ख(5) नोट बुक/2025–26, दिनांक 29.10.2025, पत्रांक संख्या–अका0/पा.पु/9393–94/7ख(5) नोटबुक/2025–26, दिनांक 11.11.2025 तथा पत्रांक संख्या– अका0/पा.पु/11657 –58 /7ख(5)नोटबुक/2025–26, दिनांक 05.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–26 से राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा–1 से 12 तक अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं को निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराये जाने हेतु नोटबुक समिति गठित किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–977 दिनांक 22.09.2025 में उल्लिखित शर्त कि–"वर्तमान में न्यूनतम 25 प्रतिशत तथा भविष्य में सम्पूर्ण नोटबुक्स का मुद्रण राजकीय मुद्रणालय, रूड़की से कराया जाय" को अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रूड़की के पत्रांक/3317/ नियोजन/2025–26 दिनांक 27 अक्टूबर 2025 द्वारा उक्त 25 प्रतिशत नोटबुक्स का मुद्रण किये जाने में असमर्थता के क्रम में निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रकरण के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संपन्न व्यय वित्त समिति की बैठक (कार्यवृत्त की प्रति संलग्न) में व्यय वित्त समिति द्वारा "वर्तमान में न्यूनतम 25 प्रतिशत तथा भविष्य में सम्पूर्ण नोटबुक्स का मुद्रण राजकीय मुद्रणालय, रूड़की से कराया जाय" प्रतिबंध को विलुप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तद्नुसार व्यय वित्त समिति के निर्णय के क्रम में शेष 25 प्रतिशत नोटबुक के मुद्रण के संबंध में शासनादेश संख्या–1571/XXIV-B-3/25/73960, दिनांक 01.12.2025 में निहित प्राविधानानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 26-02-2026
11:18:39

(विकास कुमार श्रीवास्तव)

संख्या 384981 E-94611 / 09(150)2019 / XXVII(1) / 2026

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष / वित्त नियन्त्रक,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग – 1 देहरादून : दिनांक : 01 अप्रैल 2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक की मांगें स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी "विनियोग अधिनियम, 2026" के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में समस्त सुसंगत मदों में प्रावधानित धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग / बजट नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मितव्ययता सुनिश्चित करना केवल वित्त विभाग का ही नहीं वरन समस्त प्रशासनिक विभागों का भी दायित्व है। धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी प्रत्येक आदेश, चाहे वह सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग की सहमति से निर्गत किया जाए अथवा सीधे प्रशासनिक विभागों अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा, को तभी निर्गत किया जाऐगा, जब इस हेतु वित्त अनुभाग–01 के शासनादेश संख्या–183 / XXVII(1) / 2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन IFMS सॉफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करा लिया जाए। बिना इस विशिष्ट नम्बर के किसी भी आदेश के आधार पर कोई आहरण एवं व्यय नहीं किया जाऐगा।

3– समस्त प्रशासकीय विभागों द्वारा सर्वप्रथम आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि से राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाऐगी। प्रतिपूर्ति ऑनलाइन माध्यम से उसी लेखाशीर्षक / मद से सुनिश्चित की जाऐगी, जिससे राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित की गई है। आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किये जाने से पूर्व उस लेखाशीर्षक से अन्य कोई धनराशि निर्गत नही की जायेगी। राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किये जाने

का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष का होगा। यदि गत वर्षों में राज्य आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम धनराशि ली गई हो तथा जिसका अभी तक समायोजन नहीं हो पाया हो और तत्सम्बन्धी लेखाशीर्षक में वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट साहित्य में बजट उपलब्ध न हो तो प्रशासनिक विभाग, वित्त व्यय नियन्त्रण विभाग के माध्यम से बजट निदेशालय को अवश्य सूचित कर दें। ऐसे प्रकरण में अग्रेत्तर प्रावधानों के अधीन रहते हुए बजट आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जा सकती है, किन्तु अनुपूरक बजट में प्रावधान कराए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धी प्रशासकीय विभाग का होगा।

4– प्रायः यह संज्ञान में आया है कि विभागों द्वारा सामान्य प्रकृति के प्रकरणों हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जबकि "राज्य आकस्मिकता निधि नियमावली" के प्रावधानानुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन केवल अप्रत्याशित व्यय (Unforeseen Expenditure) हेतु ही स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। अतः विभाग अतिमहत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य विषयों पर ही राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करें। सामान्य प्रकृति के प्रकरणों पर नियमित बजट की सीमा के अन्दर ही धनराशि स्वीकृत की जाए।

5– राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करने से पूर्व प्रशासकीय विभागों द्वारा बजट मैनुअल, 2012 के प्रस्तर–133 व 134 के अन्तर्गत बचतों के पुनर्विनियोग की सम्भावना का उपयोग सुनिश्चित किया जाऐगा। जब उक्तानुसार पुनर्विनियोग हेतु बचतें उपलब्ध न हों, उसी स्थिति में राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित करने का प्रस्ताव निम्नवत् प्रमाण पत्र के साथ वित्त विभाग/अनुभाग–01 को प्रेषित किया जाऐगा :–

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रस्ताव राज्य आकस्मिकता निधि नियमावली, 2001 के नियम–3 एवं 4 की परिधि में आता है तथा उससे आच्छादित है एवं इस हेतु बजट मैनुअल, 2012 के प्रस्तर–133 व 134 के अनुसार पुनर्विनियोग हेतु बचतें उपलब्ध नहीं है। प्रश्नगत कार्य को कराया जाना अपरिहार्य है तथा इसके लिये मांगी जा रही धनराशि की त्वरित आवश्यकता है।

ह.............................

प्रमुख सचिव/सचिव

..............................विभाग,

उत्तराखण्ड शासन।

6– निम्नलिखित मानक मदों में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष आवश्यकता के आधार पर प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर धनराशि अवमुक्त कर सकते है :–

मानक मद 01–वेतन, 02–मजदूरी, 03–महंगाई भत्ता, 04–यात्रा व्यय, 06–अन्य भत्ते, 07–मानदेय, 08–पारिश्रमिक, 09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 10–प्रशिक्षण व्यय,

11–अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय, 12–पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवा निवृत्तिक लाभ, 13–उपार्जित अवकाश नकदीकरण, 16–पूर्व उपनल कार्मिक समान कार्य वेतन, 20–लेखन सामग्री एवं छपाई, 21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (रू. 10.00 करोड़ तक एकल कार्य या एकल अधिप्राप्ति), 22–कार्यालय व्यय, 23–किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व, 24–विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय, 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान, 26–कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व अनुरक्षण, 27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान (रू. 10.00 करोड़ तक एकल कार्य या एकल अधिप्राप्ति), 29–गाड़ियों के संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद, 30–आतिथ्य व्यय, 31–गुप्त सेवा व्यय, 40–मशीन उपकरण, सज्जा और संयंत्र (रू. 10.00 करोड़ तक एकल कार्य या एकल अधिप्राप्ति), 41–भोजन व्यय, 42–अन्य विभागीय व्यय (प्रस्तर–9(5) व 11 के अधीन), 43–औषधि तथा रसायन, 44–सामग्री एवं सम्पूर्ति, 45–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन 46–वृक्षारोपण, 51–अनुरक्षण (आवासीय, अनावासीय भवन निर्माण में रू. 05.00 करोड़ तक), 52–लघु निर्माण, 53–वृहद निर्माण (चालू कार्य), 56–सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (प्रस्तर–9(5) व 11 के अधीन), 57–सामाजिक सुरक्षा (पेंशन), 70–केन्द्रांश, 71–केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश, 72–टॉप अप (PMGSY को छोड़कर/प्रस्तर–9(2) के अधीन)।

उक्त मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाऐगा। प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाऐगा और यह सुनिश्चित किया जाऐगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट कार्य योजना बना ली जाऐगी और तदनुसार प्रत्येक मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाऐगी।

7– निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष आवश्यकता के आधार पर प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर धनराशि अवमुक्त कर सकते हैं :–

1. अनुदान संख्या–06 के लेखाशीर्षक "2053–093–04–जिलाधिकारियों के निवर्तन पर अनटाइड फण्ड" के मानक मद '42–अन्य विभागीय व्यय'।
2. अनुदान संख्या–06 के लेखाशीर्षक "2245–80–102–11–आपदा न्यूनीकरण निधि" के मानक मद '42–अन्य विभागीय व्यय'।
3. अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक "2210–06–101–99–राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन(पी0पी0पी0)" के मानक मद '56–सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन)'।
4. अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक "2210–06–101–03–06–अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना" के मानक मद '42–अन्य विभागीय व्यय'।
5. अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "2217–80–800–10–कांवड़ मेले के आयोजन हेतु अनुदान" के मानक मद '56 सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन)'।
6. अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "2215–01–101–06–चारधाम यात्रा/पर्यटन

मार्गों पर पेयजल उपलब्ध कराना" के मानक मद '56–सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन)'।

7. अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "2215–01–101–05–12–ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर/खच्चर/जनरेटर" के मानक मद '56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)'।

8. अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक "5452–80–104–04–52–चारधाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/विकास" के मानक मद '53–वृहद् निर्माण'।

9. अनुदान संख्या–27 के लेखाशीर्षक "2406–01–101–05–वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन"।

8– निम्नलिखित मानक मदों में वित्त विभाग की सहमति से धनराशि अवमुक्त की जाऐगी :–

मानक मद–21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (रू. 10.00 करोड़ से अधिक एकल कार्य या एकल अधिप्राप्ति), 27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान (रू.10.00 करोड़ से अधिक एकल कार्य या एकल अधिप्राप्ति), 28–कार्यालय के प्रयोग के लिये स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाडियों का क्रय, 40–मशीन उपकरण, सज्जा और संयंत्र (रू. 10.00 करोड़ से अधिक एकल कार्य या एकल अधिप्राप्ति), 50–सब्सिडी, 51–अनुरक्षण (आवासीय, अनावासीय भवन निर्माण में रू. 05.00 करोड़ से अधिक), 53–वृहद निर्माण (नये कार्य), 54–भूमि क्रय, 55–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, 60–निवेश, 61–ऋण, 62–ब्याज/लाभांश, 63–उचन्त, 64–बट्टा खाता/हानियां, 65–अवमूल्यन, 66–अन्तर्लेखा संक्रमण, 67–वापसी, 68–इंश्योरेंस पॉलिसी/प्रीमियम, 69–समनुदेशन (Devolution)।

9– विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में निम्नांकित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा :–

1. मानक मद–'08–पारिश्रमिक' तथा '16–पूर्व उपनल कार्मिक समान कार्य वेतन', जिसे राज्य सरकार के साथ अनुबन्धित पूर्व उपनल कार्मिकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु सृजित किया गया है, परस्पर ग्लोबल मानक मदें होंगी। मानक मद–08 से 16 में पुनर्विनियोग प्रशासकीय विभागों द्वारा उपनल कार्मिकों को "समान कार्य हेतु समान वेतन" के लिए अपने स्तर से यथावश्यकता किया जा सकेगा। मानक मद–16 से मानक मद–08 एवं अन्य मानक मदों में पुनर्विनियोग वर्जित है।
2. अनुदान सं–19 में PMGSY हेतु मानक मद–72 (टॉपअप) के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ही अवमुक्त की जाएगी।
3. अनुदान सं–22 में लोक निर्माण विभाग हेतु रिस्पना बिन्दाल परियोजना के अन्तर्गत मानक मद–54–भूमि क्रय में प्रावधानित धनराशि का पुनर्विनियोग वर्जित है।
4. राज्यपोषित योजनाओं के अन्तर्गत लेखाशीर्षकों में मानक मद–21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान तथा 40–मशीन, उपकरण, सज्जा और संयन्त्र के अन्तर्गत रू 10.00 करोड़ से अधिक की

एकल कार्य या एकल अधिप्राप्ति की नयी स्वीकृति के प्रकरणों पर वित्त विभाग की सहमति से धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

5. मानक मद–42–अन्य विभागीय व्यय तथा 56–सहायक अनुदान के अन्तर्गत कॉन्फ्रेंस/मेला/प्रदर्शनी/महोत्सव/शिविर/कार्यशाला आदि की प्रति आयोजन (Event) पर रू. 25.00 लाख से अधिक के व्यय हेतु वित्त विभाग की सहमति से धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

6. मानक मद–60–निवेश तथा 61–ऋण से सम्बन्धित धनराशि (नये अथवा चालू कार्य) सम्बन्धित वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग द्वारा परीक्षण/संस्तुति के उपरान्त वित्त बजट संसाधन अनुभाग–01 की सहमति से ही निर्गत की जाएगी।

7. पन्तनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से अधिगृहीत परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूंजीगत मद में टी.डी.सी, बायोटेक परिषद एवं पन्तनगर यूनिवर्सिटी हेतु धनराशि का प्रावधान किया गया है। यह धनराशि शासन स्तर से स्वीकृत करते हुए पूंजीगत कार्यों हेतु सम्बन्धित को कार्यवार अवमुक्त की जाएगी।

10– मानक मद–'27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' तथा अन्य सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों में वास्तुविद/आर्किटेक्ट/परामर्शी सेवाओं हेतु consultancy शुल्क का भुगतान वित्त विभाग के शासनादेश सं0–96873/XXVII(7)/E–43511/2022 दिनांक 07.02.2023 की व्यवस्थानुसार एकमुश्त आधार पर ही किया जाएगा। उक्त शासनादेश की व्यवस्था के इतर शुल्क का भुगतान वित्तीय अनियमितता माना जाएगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसे सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग द्वारा विषयगत कार्य की स्वीकृति के समय संज्ञान में लिया जाएगा।

11– मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान, 42–अन्य विभागीय व्यय तथा मानक मद–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में रू. 20 करोड़ तक के बजट प्रावधान की स्थिति में प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इस प्रतिबन्ध के साथ धनराशि निर्गत की जाऐगी कि उक्त धनराशि प्रस्तर 9(5) की व्यवस्था के अधीन रहते हुए नियमानुसार आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जाए। उक्त मानक मदों में रू. 20 करोड़ से अधिक बजट प्रावधान होने पर सम्बन्धित वित्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग की सहमति से धनराशि अवमुक्त की जाऐगी। इसमें प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धनराशि एकमुश्त (Lumpsum) अवमुक्त न करते हुऐ सम्बन्धित कार्यों/परियोजनाओं हेतु ही कार्य/मदवार अवमुक्त की जाऐगी।

परन्तु मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय तथा मानक मद 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के अन्तर्गत जिला योजना, केन्द्रपोषित योजनाओं, वाह्य सहायतित योजनाओं में प्रशासकीय विभाग नियमानुसार यथाप्रक्रिया अपने स्तर से प्रावधानित धनराशि निर्गत कर सकते हैं।

12– स्वायत्तशासी निकायों, विश्वविद्यालयों आदि ऐसे संगठन, जिनके लिए मानक मद

'05–वेतन भत्ता आदि के लिये सहायक अनुदान', '08–पारिश्रमिक', '16–पूर्व उपनल कार्मिक समान कार्य वेतन', '55–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' तथा '56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)' में बजट व्यवस्था की गयी है, उनके द्वारा उपरोक्त मानक मदवार वित्तीय वर्ष 2026–27 में नियमानुसार व्यय हेतु कोषागार से धनराशि की निकासी के सम्बन्ध में वार्षिक कैलेण्डर/प्लान तैयार कर प्रशासकीय विभाग, वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग तथा बजट निदेशालय को उपलब्ध कराया जाऐगा। उक्त वार्षिक कैलेण्डर/प्लान के अनुसार ही प्रशासकीय विभाग व वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाऐगी। मात्र पार्किंग ऑफ फण्ड, जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, हेतु धनराशि अवमुक्त नहीं की जाऐगी। स्वायत्तशासी निकायों एवं संस्थाओं को धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जाऐगी, जब उनके द्वारा वित्त विभाग की अनुमति से SNA खाता खोलते हुऐ, उसका Integration IFMS के साथ किया गया हो। परन्तु जिन स्वायत्तशासी निकायों व विश्वविद्यालयों के पी.एल.ए. खाते पूर्व से खुले हुए हैं, उनको पृथक से SNA खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं है।

"महालेखाकार कार्यालय द्वारा मानक मद–05, 55 एवं 56 के अन्तर्गत स्वीकृत/आहरित की गई धनराशियों के सम्बन्ध में नियन्त्रण प्राधिकारियों द्वारा इन अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति की स्थिति सूचित नहीं किया जाना", वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया है। यहाँ प्रशासकीय विभाग सुनिश्चित कर लें कि स्वीकृत राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुरूप महालेखाकार कार्यालय को भी प्रेषित कर दिए जाऐं।

13– मानक मद 01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता तथा 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग तथा राजस्व मद से पूंजीगत मद में और पूंजीगत मद से राजस्व मद में, भारित से मतदेय तथा मतदेय से भारित मद में पुनर्विनियोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मानक मद 01–वेतन, 03–महंगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ते, 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान में Global Budgeting की व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त मदों में प्रावधानित धनराशि प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष (HOD) के निवर्तन पर रखी जाऐगी, परन्तु विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त धनराशि आहरण–वितरण अधिकारियों को अवमुक्त नहीं की जाऐगी। Global Budgeting के अन्तर्गत मानक मद 01–वेतन, 03–महंगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ते में ग्रुपिंग व्यवस्था लागू होने के दृष्टिगत आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करने पर यदि उक्त मानक मदों के योग के अनुसार बजट उपलब्ध है और दावा सही है तो ऐसे बिलों का कोषागार द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाए, भले ही उक्त मानक मदों में से किसी मानक मद में ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित हो रहा हो। ऐसी स्थिति में पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं होगी।

14– चालू निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का सम्यक् परीक्षण कर प्राथमिकता इंगित करते हुऐ अपने स्तर से जारी की जाऐगी एवं धनावंटन कार्यदायी संस्था के साथ सम्पादित एम.ओ.यू. में वर्णित समय सारणी के आधार पर किया जाऐगा। यदि चालू निर्माण कार्यों में विभागीय बजट प्रावधान रू. 25 करोड़ से अधिक है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त धनराशि तीन समान

किस्तों में विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखी जाऐगी। द्वितीय किश्त अवमुक्त करने से पूर्व प्रथम किश्त का 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाऐगा एवं इसी प्रकार तृतीय किश्त अवमुक्त करने से पूर्व प्रथम व द्वितीय किश्त की संकलित धनराशि का 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को प्रेषित किया जाऐगा। कार्यदायी संस्था द्वारा विभिन्न विभगों की विभिन्न परियोजना के सापेक्ष बैंक में रखी धनराशियों पर अर्जित ब्याज का विवरण भी विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को प्रेषित किया जाऐगा। तदोपरान्त ही प्रशासकीय विभाग द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाऐगी। इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का होगा।

15– लघु निर्माण कार्य की सीमा (शासनादेश सं0–323/XXVII(7)/19–50(07)/ 2019 दिनाँक 20.09.2019 द्वारा निर्धारित) तक के नये कार्यों हेतु मानक मद–51–अनुरक्षण व 52–लघु निर्माण प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर (एक बार पूर्ण कार्यों के लिए प्रति कार्य रू 20 लाख की सीमा तक) रख दी जाऐगी एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा लघु निर्माण कार्यों के औचित्य एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन अपने स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाऐगी। इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा।

16– जिन अधिष्ठानों के अन्तर्गत प्रायः लघु निर्माण कार्य हेतु धनराशि की आवश्यकता होती है किन्तु सुसंगत लेखाशीर्षक में मानक मद 52–लघु निर्माण के अन्तर्गत बजट प्रावधान नहीं कराया गया हो तो ऐसे प्रशासकीय विभाग द्वारा आगामी अनुपूरक मांग के माध्यम से पूर्ण औचित्य सिद्ध करते हुए बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखा जाए।

17– मानक मद 52–लघु निर्माण में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष कम से कम 10 प्रतिशत की धनराशि दिव्यांगजनों के कल्याण व सुगम्यता सुनिश्चित किये जाने से सम्बन्धित कार्यों में व्यय किये जाऐंगे।

18– वृहद निर्माण के अन्तर्गत सभी नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति कार्य के औचित्य, नियमानुसार तकनीकी परीक्षणोपरान्त अनुमोदित आगणन एवं सुसंगत वित्तीय नियमों/प्रक्रिया के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जाऐगी। रू0 एक करोड़ से ऊपर के नये कार्यों की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा तभी दी जाऐगी जब उस पर गतिशक्ति पोर्टल से जनरेटेड यूनिक आई0डी0 का उल्लेख होगा।

19– बजट मैनुअल के प्रस्तर–80 में यह व्यवस्था है कि आय–व्ययक में अन्तिम रूप से सम्मिलित एकमुश्त व्यवस्थाओं हेतु वित्त विभाग के परामर्श से ब्यौरे तत्काल तैयार किए जाएं व उपरोक्त प्रस्तर में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत उनमें सम्बन्धित मा0 मंत्री, मा0 वित्त मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री महोदय से आदेश प्राप्त किए जाएं।

वर्तमान में प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने नियन्त्रणाधीन आवंटित बजट प्रावधान का अधिकांश भाग वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में अवमुक्त/व्यय किये जाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है जिससे सम्बन्धित बजट प्रावधान लक्षित वर्ग/कार्य तक यथासमय नहीं पहुंच पाता है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के राजकोषीय प्रबन्धन तथा तरलता की स्थिति भी

प्रभावित होती है। अतएव सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग योजनावार विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट तथा त्रैमासिक व्यय कार्ययोजना दिनांक 30 अप्रैल संलग्न निर्धारित प्रारूप–3 पर वित्त व्यय नियंत्रण विभाग को प्रस्तुत करेंगे तथा वित्त व्यय नियंत्रण विभाग द्वारा उक्त कार्य योजना के अनुरूप प्रशासकीय विभागों के वास्तविक व्यय का अनुश्रवण किया जाएगा।

20– समय व लागत आधिक्य बचाने के लिए बजट मैनुअल के प्रस्तर–182 (छ)(2) में व्यवस्था है कि विभाग द्वारा पूंजीगत कार्यों के लिए आवंटित बजट का न्यूनतम 80 प्रतिशत चालू परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग किया जाएगा तथा 20 प्रतिशत नई परियोजनाओं /योजनाओं को आरम्भ करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

यदि किसी विभाग को विशेष व अपरिहार्य परिस्थितियों में नवीन कार्यों पर 20 प्रतिशत की उक्त सीमा से अधिक धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता होती है तो संबंधित प्रशासकीय विभाग तत्संबंधी औचित्य से अवगत कराते हुए अपने वित्त व्यय नियंत्रण विभाग के माध्यम से वित्त अनुभाग–01 की पूर्वानुमति प्राप्त कर ऐसा कर सकते हैं।

21– किसी परियोजना हेतु चरणबद्ध रूप से धनराशि स्वीकृत/निर्गत करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–67149/2022 दिनांक 29.09.2022 के अनुसार कार्यवाही की जाऐगी। उक्त शासनादेश के अनुसार निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित है:–

(1) रू.50 लाख से कम लागत की परियोजनाओं/कार्यों हेतु धनराशि एकमुश्त अवमुक्त कर दी जाए।

(2) रू.50 लाख से रू. 2.00 करोड़ तक लागत की परियोजनाओं/कार्यों हेतु धनराशि दो किश्तों (प्रथम किश्त परियोजना लागत का 60 प्रतिशत एवं द्वितीय किश्त परियोजना लागत का 40 प्रतिशत) में अवमुक्त की जाए।

(3) रू.2.00 करोड़ की लागत से अधिक धनराशि की परियोजनाओं हेतु 40–40–20 प्रतिशत के आधार पर तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जाए।

22– प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रस्तर–182(छ)(3) के आलोक में नई परियोजना प्रारम्भ करने की अपेक्षा चालू योजनाओं को पूरा करने को वरीयता दी जाए। दूसरी व इससे आगे की किश्तें वित्तीय व भौतिक प्रगति विवरण प्राप्त होने के बाद जारी की जाऐं। यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा किन्हीं कारणवश योजना हेतु निर्धारित किश्त से कम धनराशि निर्गत किया जाना आवश्यक हो तो प्रशासकीय विभाग के सचिव की ओर से इस सम्बन्ध मे अपरिहार्यता प्रमाण पत्र पत्रावली पर रखते हुए वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्तुत की जाऐं। साधारणतः (वाह्य सहायतित एवं केन्द्रपोषित ऐसी योजनाऐं जहाँ निधियाँ व्ययगत हो रही हों को छोड़कर) पूंजीगत कार्यों की किसी नई वित्तीय स्वीकृति को वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में अनुमति न दी जाए। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग के साथ–साथ सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण विभाग का होगा।

उक्त के कम में पूर्व स्वीकृत प्रत्येक निर्माण कार्य का नियमित एवं सघन अनुश्रवण

व समीक्षा की जाए और जो कार्य किन्हीं कारणवश प्रारम्भ नही हुए हैं, उनकी स्वीकृति निरस्त करते हुए आवश्यकतानुसार उन कार्यों के सम्बन्ध में नये आगणन के आधार पर बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति पर नये सिरे से विचार किया जाए। निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रपत्र–1 व 2 पर निर्माण से सम्बन्धित संकलित सूचना सम्बन्धित वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाऐगी। इन सूचनाओं को बी.एम.–80 के अन्तर्गत उच्चानुमोदन हेतु भी प्रस्तुत किया जाए।

23– निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत मे पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करा लिया जाऐगा कि प्रत्येक निर्माणाधीन कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के आदेश सं0–475/XXVII(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. किया गया है। यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो तो भी समयसारणी अनुसार कार्य पूर्ण कराने की दृष्टि से निर्धारित प्रारूप पर एम.ओ.यू. किया जाए। अतएव सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि उसी स्थिति में अवमुक्त की जाएगी, जबकि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के साथ सम्पादित MOU उपलब्ध करा दिया गया हो।

24– चालू कार्यों मे सर्वप्रथम धनराशि उन परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जाऐगी, जहाँ भौतिक एव वित्तीय प्रगति की स्थिति अच्छी हो। उदाहरणार्थ, यदि किसी परियोजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 80 से 90 प्रतिशत के बीच में है तो प्रशासकीय विभाग सर्वप्रथम उस परियोजना को पूर्ण करने हेतु धन अवमुक्त करेंगे, न कि अन्य किन्ही ऐसी परियोजनाओं हेतु, जिनकी वित्तीय एव भौतिक प्रगति की स्थिति संतोषजनक न हो।

25– रू. 50 करोड से अधिक धनराशि के निर्माण कार्य यथासम्भव चरणबद्ध (Phasewise) ढंग से स्वतन्त्र रूप से DPR बनाते हुए सम्पादित कराए जाऐंगे। व्यय वित्त समिति की बैठकों के दौरान रू. 50 करोड से अधिक धनराशि के निर्माण कार्य चरणबद्ध (Phasewise) रूप से सम्पादित कराए जाने तथा इस हेतु विभाग के पास पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता होने के आधार पर भी परीक्षण किया जाएगा। रू. 50 करोड से अधिक लागत के कार्यों/परियोजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर अनिवार्य रूप से निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा विशेष लेखा परीक्षा कराया जाऐगा। विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के क्रम में विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाऐगी। ऐसे मामलों में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाऐगा कि योजना/निर्माण कार्यों की अनुमोदित कुल लागत की सीमा के अधीन ही धनराशि निर्गत की गयी है तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति अनुसार कियान्वयन की प्रगति सुनिश्चित की गयी है।

26– गत वित्तीय वर्ष से केन्द्रपोषित योजनाओं की धनराशि/स्वीकृति राज्य सरकार को

निम्नवत् प्रकार से प्राप्त हो रही हैः–

(1) एस.एन.ए. योजनाऐं – इन योजनाओं में धनराशि राज्य की समेकित निधि में भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है तथा इसकी पुष्टि बजट निदेशालय द्वारा की जाती है। यदि किसी केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत राज्य कार्मिकों का वेतन एवं वाह्य स्रोत्र से तैनात कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वित्त विभाग की सहमति से केन्द्रांश की प्रत्याशा में धनराशि अवमुक्त की जा सकती है। भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रांश की प्रत्याशा में अवमुक्त धनराशि का समायोजन कर लिया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त केन्द्रांश की प्रत्याशा में धनराशि निर्गत नहीं की जाऐगी।

(2) एस.एन.ए. स्पर्श योजनाऐं – इन योजनाओं का बजट भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य की समेकित निधि में प्राप्त नहीं होता अपितु भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा मदर सैंक्शन के रूप में स्वीकृत दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त स्वीकृति की पुष्टि बजट निदेशालय द्वारा नहीं की जाती है।

उक्त दोनों ही प्रकार से धनराशि/स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के पश्चात् आवंटित बजट की सीमा तक प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से स्वीकृति निर्गत कर सकते हैं। केन्द्रांश की धनराशि के साथ–साथ अनुपातिक रूप में राज्यांश की धनराशि भी प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से निर्गत कर सकते हैं। प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यांश के शेयरिंग पैटर्न का अनुपालन किया गया है।

27 केन्द्रपोषित योजनाओं से किसी राज्य योजना में पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है। केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि को यथावश्यकता समान अथवा अन्य केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों में पुनर्विनियोग किया जा सकता है। केन्द्रपोषित योजनाओं से सम्बन्धित लेखाशीर्षकों/मानक मदों में, प्रस्तर–13 में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी भी अन्य मानक मद से पुनर्विनियोग किया जा सकता है परन्तु मानक मद–70, 71 व 14 से राज्य सेक्टर की योजनाओं में पुनर्विनियोग वर्जित होगा। साथ ही मानक मद–70 से मानक मद–71 में पुनर्विनियोग सामान्यतया अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

SNA Sparsh के कियान्वयन हेतु किसी केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सभी मानक मदों से उसी केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत मानक मद 70 व 71 में पुनर्विनियोग प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने स्तर से किया जा सकता है।

28– केन्द्र पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा पी.एफ.एम.एस. एवं एस.एन.ए. से संबंधित गाइडलाइन्स/आदेशों एवं समय–समय पर वित्त विभाग के स्तर से निर्गत दिशानिर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

29– कैम्पा के अन्तर्गत आय–व्ययक में सम्बन्धित मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त

समिति/संचालन समिति की संस्तुति के पश्चात प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से धनराशि निर्गत कर सकता है।

30— वाह्य सहायतित योजनाओं (E.A.P) के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025—26 में अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (Reimbursment) भारत सरकार से प्राप्त किया जा चुका है तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं. 218524 दिनांक 18.6.2024 की व्यवस्थानुसार SNA खाते की मैपिंग IFMS के साथ कर ली गयी हो। तदोपरान्त सम्बन्धित परियोजना निदेशक द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त बजट की सीमा के अन्तर्गत चालू योजनाओं की धनराशि प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं अवमुक्त की जाऐगी। नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश सं0—86/XXVII(7)36/2010—11/2019 दिनाँक 08 मार्च 2019 के प्रावधानानुसार निर्गत की जाऐगी। रू. 50.00 करोड़ से अधिक EAP को दो समान किश्तो में अवमुक्त किया जाऐगा। वाह्य सहायतित योजनाओं (E.A.P) हेतु बजट प्रावधान की धनराशि को अन्य योजनाओं हेतु पुनर्विनियोग वर्जित होगा।

31— SASCI (Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment) के अन्तर्गत विभागों से अपेक्षा की जाती है कि जिन चालू अथवा नई राज्यपोषित परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष में रू0 2.00 करोड़ से अधिक की धनराशि का व्यय सम्भावित हो, उसे यथासम्भव SASCI में प्रस्तावित किया जाए किन्तु रू 05 करोड़ से अधिक के राज्य सेक्टर से चालू कार्यों में धनराशि अनिवार्यतः SASCI के अन्तर्गत ही अवमुक्त की जाएगी। यदि किसी तात्कालिकता/अनिवार्यता के क्रम में उक्त चालू कार्य हेतु धनराशि राज्य सेक्टर ही अवमुक्त करनी हो तो उस दशा में वित्त विभाग का पुर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा। प्रशासनिक विभागों को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि ऐसी प्रत्येक पूंजीगत योजना, जिस पर राज्य सेक्टर से ही रू0 2.00 करोड़ से अधिक का व्यय सम्भावित है, उसे अपने Unique Project ID के साथ उन्नति पोर्टल (पूर्व में गतिशक्ति) पर अपलोड कर लें। यदि किसी कारणवश धनराशि राज्य सेक्टर से निर्गत करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक विभाग उसका स्पष्ट औचित्य अपनी नोटशीट/शासनादेश में अनिवार्य रूप से अंकित कर लें।

32— SASCI के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों द्वारा सम्बन्धित दिशानिर्देशों के अधीन सभी औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए प्रस्ताव नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाऐंगे तथा इस सम्बन्ध में उन्हीं कार्यों/परियोजनाओं को चिन्हित किया जाए, जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 के अन्त (दिनांक 31.03.2027) तक भारत सरकार को प्रेषित किये जा सके। इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभागों द्वारा SASCI के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्यक् कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु नियोजन विभाग द्वारा नामित संस्थाओं से तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण जांच भी सुनिश्चित कर जांच रिपोर्ट अपने व्यय नियंत्रण

अनुभाग को उपलब्ध कराई जाएगी एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुपालनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

33– नाबार्ड वित्तपोषित RIDF तथा राष्ट्रीय आवास बैंक वित्तपोषित UIDF के अन्तर्गत वर्ष 2026–27 हेतु परियोजनाओं की स्वीकृति एवं लक्ष्य एच.पी.सी. द्वारा निर्धारित किये जायेगें। इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभागों द्वारा विभागीय लक्ष्यों के अनुसार राज्य सेक्टर से पूर्व में स्वीकृत चालू कार्य अथवा नये कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर समस्त वित्तीय/प्रशासकीय औपचारिकताऐं/प्रक्रियाऐं पूर्ण कर वित्तपोषण हेतु प्रस्ताव यथासमय वित्त विभाग को उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनको अनुमोदनोपरान्त ससमय स्वीकृत कराया जा सके। प्रशासकीय विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(6) के प्रावधानानुसार नाबार्ड/राष्ट्रीय आवास बैंक से स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु धनराशि निर्गत किए जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

सम्बन्धित योजना हेतु नाबार्ड/राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अवमुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम धनराशि वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जाने के उपरान्त चालू निर्माण कार्य के दृष्टिगत प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर बजट प्रावधान की सीमा के अन्तर्गत धनराशि अपने स्तर से निर्गत करेंगे एवं व्यय की गई धनराशि के बीजक ससमय नाबार्ड/राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा योजनान्तर्गत अधिकतम तीन चरणों में योजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर कार्य को परियोजना अवधि के भीतर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाऐगा।

34– केन्द्रपोषित योजनाओं/वाह्य सहायतित योजनाओं में निर्धारित बजट आवंटन से अधिक धनराशि कदापि व्यय न की जाए। प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी धनराशि, वाह्य सहायतित एवं राज्य सैक्टर योजनाओं की धनराशि के सापेक्ष सम्भावित व्यय के अनुरूप ही धनराशि उनके स्तर से विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखी जाए। उक्त योजनाओं में निर्धारित बजट से अधिक आवंटन होने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का होगा। केन्द्रपोषित/केन्द्रपुरोनिधानित, वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेट प्लान तथा अनुसूचित जनजाति के लिये ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत बजट प्रावधान/आवंटित धनराशि किसी भी दशा में अन्य योजनाओं हेतु व्यावर्तित न किया जाए।

35– इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के संज्ञान में आया है कि प्रशासकीय विभागो द्वारा जिन मदों में आवश्यकता न हो, उनमें भी औचित्य देते हुए मूल बजट या अनुपूरक बजट मे प्रावधान कराया जाता है तथा उस प्रावधान को अन्य मदों में व्यावर्तित करते हुए पुनर्विनियोग की मांग की जाती है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्विनियोग प्रशासकीय विभागों को प्रदान किया हुआ मूल वित्तीय अधिकार नही है अपितु किसी अप्रत्याशित स्थिति हेतु मात्र विकल्प है। अतः प्रशासकीय विभाग बजट में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत धनराशि के व्यय का नियोजन करेंगे। यदि कोई ऐसा व्यय, जिसकी

देयता केवल उसी वर्ष पूर्ण की जानी है किन्तु पर्याप्त धनराशि प्रावधानित नहीं है तो पुनर्विनियोग की पत्रावली ससमय वित्त विभाग की अनुमति हेतु प्रस्तुत की जाएगी। वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय आधिक्य के कारण होने वाली पुनर्विनियोग मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

36– वित्त विभाग के संज्ञान में यह भी आया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा रू 10 करोड़ से ऊपर के QCBS अधिप्राप्ति के प्रकरण तथा राजस्व पक्ष की रू 10 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं (कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों को छोड़कर) एवं सेवाओं के प्रस्ताव व्यय वित्त समिति (EFC) के विचारार्थ सन्दर्भित नहीं किए जा रहे हैं जो कि तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या 126032/XXVII(I)/2023 दिनांक 01.06.2023 की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है। अतएव रू 10 करोड़ से अधिक लागत के उपरोक्त प्रस्ताव भी अनिवार्यतः व्यय वित्त समिति (EFC) के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

37– अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां सही अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत की जाएं। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाएं, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाए। बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी.एम. –10 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजिका (Budget Control Register) में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण–वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जाऐगा।

38– जैसा कि बजट मैनुअल के प्रस्तर–75 में इंगित किया गया है, बजट नियंत्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो एवं सचिवालय के सम्बन्धित विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होगें कि विभागीय सचिवों/प्रमुख सचिवों के स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो, तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए। आई.एफ.एम.एस. के माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी.एम.–8 पर प्राप्त करते हुए व्यय की नियमित समीक्षा की जाए। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचनाऐं समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना प्रशासनिक विभाग का उत्तरदायित्व है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रशासनिक/ बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्रावधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखाजोखा रखा जाए एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाए। उक्त सम्बन्ध में समस्त विभाग महालेखाकार द्वारा ऑडिट पैरा में इंगित आपत्तियों

का तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

39– प्रशासकीय विभागों द्वारा यदि किसी योजनाओं में धनराशि पी.एल.ए. खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाए। तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत आय–व्ययक में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जाए। सी.एस.एस., ई.ए.पी., नाबार्ड एवं जिलायोजना को छोड़कर पी.एल.ए. खाते में जमा धनराशि वित्त विभाग की सहमति से ही आहरित की जाऐगी। इस सम्बन्ध में पी.एल.ए. नियमावली के संगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाऐगा।

40– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न : प्रपत्र।

भवदीय,

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 31-03-2026
19:49:02

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या–384289/E-94611/09(150) 2019/XXVII(1)/2026 एवं तददिनांकित
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार IFMS सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
10. अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. शासन के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
ई0प0सं0–91414
संख्याः 396294/2026/XXVII(9)/02/अधि0प्रा0/2024/टी0सी0
देहरादून : दिनांक 15 मई, 2026

अधिसूचना

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थात्:–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

नियम 4.1 का संशोधन। 2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–4.1 के खण्ड iv के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
iv. सुसंगत वर्ग (Category) में विभिन्न मौद्रिक सीमाओं के संविदा आदेशों को क्रियान्वित करने की क्षमता के आधार पर फर्मों का निम्नलिखित श्रेणियों में सूचीकरण किया जाए–	iv. सुसंगत वर्ग (Category) में विभिन्न मौद्रिक सीमाओं के संविदा आदेशों को क्रियान्वित करने की क्षमता के आधार पर फर्मों का निम्नलिखित श्रेणियों में सूचीकरण किया जाए–
श्रेणी — निविदा की सीमा	श्रेणी — निविदा की सीमा
श्रेणी–ए — कोई सीमा नहीं	श्रेणी–ए — कोई सीमा नहीं
श्रेणी–बी — 5 करोड़ रूपए तक	श्रेणी–बी — 5 करोड़ रूपए तक
श्रेणी–सी — 3 करोड़ रूपए तक	श्रेणी–सी — 3 करोड़ रूपए तक
श्रेणी–डी — 1 करोड़ रूपए तक	श्रेणी–डी — 1.50 करोड़ रूपए तक
श्रेणी–ई — 50 लाख रूपए तक	श्रेणी–ई — 50 लाख रूपए तक

संविदाकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया एवं अन्य युक्तियुक्त नियम, इस नियमावली के नियम–3.1 के अनुरूप होंगे, यदि वह इस अध्याय में उल्लिखित किसी भी बात से असंगत नहीं है।	संविदाकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया एवं अन्य युक्तियुक्त नियम, इस नियमावली के नियम–3.1 के अनुरूप होंगे, यदि वह इस अध्याय में उल्लिखित किसी भी बात से असंगत नहीं है।

Digitally signed by
Vadivel Shanmugam
Date: 14-05-2026
18:23:47

(डॉ० वी० षणमुगम)
सचिव।

संख्या–396294 (1)/2026/XXVII(9)/02/अधि०प्रा०/2024 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।
9. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली की 100 प्रतियाँ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग–9, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 15-05-2026
10:34:14

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या– 406307 /XXIV-A-1/2026-92540

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक: 18 जून, 2026

विषय: प्राथमिक (I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) आयोजित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 163/XXIV(1)/2016-15/2011, दिनांक 04.03.2016 के माध्यम से प्राथमिक (I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) आयोजित किये जाने की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1385/2025 अन्जुमन ईशात–ए–तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01–09–2025 को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) की अनिवार्यता विषयक पारित निर्णयादेश एवं उक्त निर्णयादेश के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर पुनर्विचार याचिका (सिविल) डायरी संख्या 53434/2025 उत्तर प्रदेश बनाम अन्जुमन ईशात–ए–तालीम ट्रस्ट व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29.05.2026 को पारित निर्णयादेश के अनुपालन में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र संख्या प्रा0शि0–दो(2)/268(ii)–2017/10423–26/2025–26, दिनांक 09.01.2026 एवं पत्र संख्या प्रा0शि0–02(02)/2538/887–2025/2026–27, दिनांक 15.06.2026 द्वारा राज्यान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 04.03.2016 को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया गया है।

3– अतः निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 04.03.2016 द्वारा निर्गत व्यवस्था/प्राविधान में निम्न नवीन प्रावधान सम्मिलित किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्रमशः 2.

शासनादेश दिनांक 04.03.2016 का बिन्दु	शासनादेश दिनांक 04.03.2016 में वर्णित प्राविधान के साथ–साथ समाहित निम्नानुसार नवीन प्रावधानः–
1 पात्रता परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता	(A) अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) (UTET-I) प्राथमिक शिक्षकों हेतु (i), (ii) एवं (iii) में उल्लिखित नियम के उपरान्त नवीन नियम का प्रस्तर उल्लिखित किया जाना:– कक्षा 01–05 तक अध्यापन कराने वाले ऐसे समस्त प्रकार के विद्यालय, जिन्हें डायस कोड आवंटित है, में सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) एवं सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक) के पद पर नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक (in-service teachers)।
1 (B)(i)	(B) अध्यापक पात्रता परीक्षा (VI-VIII) (UTET-II) उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु (i) में उल्लिखित नियम के उपरान्त नवीन नियम का प्रस्तर उल्लिखित किया जाना:– कक्षा 06–08 तक अध्यापन कराने वाले ऐसे समस्त प्रकार के विद्यालय, जिन्हें डायस कोड आवंटित है, में सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक (एल0टी0) के पद पर नियमित रूप से नियुक्ति शिक्षक (in-service teachers)।

4– उक्तानुसार सम्मिलित किये गये प्रावधानों के साथ–साथ शासनादेश संख्या 163/XXIV(1)/2016-15/2011, दिनांक 04.03.2016 में निर्धारित व्यवस्था/प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 18-06-2026
14:54:23

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः 1/409688 /XVII-C-1/12(18) /2018 रिट ई-94784/2026)

प्रेषक,

युगल किशोर पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग   देहरादूनः दिनांकः 01 जुलाई, 2026

विषयः- विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस विभाग के शासनादेश संख्या- I/367134/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 TC, दिनांक 03 फरवरी, 2026 यथासंशोधित शासनादेश संख्या- I/373024/XVII-C-1/2026/12(18)/2016 रिट /2018, दिनांक 20 फरवरी, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को जनहित याचिका संख्या-116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 के द्वारा निर्धारित पात्रता की कट आफ डेट 12.11.2018 को संशोधित कर दिनांक 15.10.2024 निर्धारित किया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2026 में जहाँ भी कट ऑफ डेट 12.11.2018 उल्लिखित है को कट ऑफ डेट 15 अक्टूबर, 2024 पढ़ा जाए।

3- अर्ह उपनल कार्मिकों को दिनांक 01 मार्च, 2026 से समान कार्य के लिये समान वेतन का लाभ प्रदान किया जायेगा।

4- उपनल कार्मिकों से सम्बन्धित अन्य विषयों अथवा भविष्य में उत्पन्न होने वाले संबंधित मुददों पर मंत्रिमण्डलीय उपसमिति द्वारा विचार करते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही एवं संस्तुतियां की जायेंगी।

5- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 के अन्य प्रावधान/निर्णय यथावत लागू रहेंगे।

6- यह आदेश वित्त विभाग के ई ऑफिस के माध्यम से ई-कम्प्यूटर जेनेरेट

संख्या–1/409650/2026 दिनांक 01 जुलाई 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

Digitally signed by
Yugal Kishore Pant
Date: 01-07-2026
17:39:29

भवदीय,

(युगल किशोर पन्त)
सचिव

संख्या:1/409688/XVII-C-1/12(18)/2018 रिट ई–94784/2026)(1) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यंमत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
5 मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6– निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7– निदेशक, विभागीय लेखा, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– प्रभारी मीडिया सेन्टर सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

(युगल किशोर पन्त)
सचिव

संख्याः [illegible]/2026/XXVII(9)/स्टाम्प–52/2024/ई0–74575

प्रेषक,

गंगा प्रसाद,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक [illegible] अगस्त, 2026

विषयः जेम पोर्टल पर **Verifying Authority (VA)** नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत ही है कि शासनादेश सं0–103/XXXVII(7)32/2007/T.C-1, दिनांक 21 जुलाई, 2022 द्वारा राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में अधिक से अधिक सामग्री एवं सेवाओं के उपार्जन मे ई–मार्केट प्लेस (GeM) का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गयें है। इसके अतिरिक्त अधिसूचना सं0–47/XXXVII(7)32/(1)2025 दिनांक 13 अगस्त, 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के नियम 3.7 में जो वस्तुऐं एवं सेवाऐं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जायेंगे, का प्रावधान किया गया है।

2– उपरोक्त के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं0–DO/122-CEO-GeM/2026, दिनांक 21 मई, 2026 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि वर्तमान जेम पोर्टल में उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और अधिक सुग्राम बनाने एवं नवीन सुविधाओं के समावेशन हेतु जेम पोर्टल का नवीन संस्करण (जेम 2.0) लागू किये जाने की योजना है। इस नवीन संस्करण पर Registering Authority (GRA) एवं Verifying Authority (VA) को नामित किया जाना है ताकि संस्थागत अभिलेखों की शुद्वता, उपयोगकर्ताओं की जवाबदेही तथा जेम पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करते हुए नियंत्रित एवं लेखा परीक्षण योग्य User Onboarding प्रक्रिया स्थापित की जा सके। इसके लिए बेहतर समन्वय हेतु अपर निदेशक, कोषागार पैंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को GeM Registering Authority (GRA) नामित किया गया है तथा सभी क्रेता विभागों के स्तर पर Verifying Authority (VA) नामित किया जाना है।

3– अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र सं0–DO/122-CEO-GeM/2026, दिनांक 21 मई, 2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों को जेम

पोर्टल पर Verifying Authority (VA) नामित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 19-08-2026
15:50:10

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।

संख्याः 424749/2026/XXVII(9)/स्टाम्प–52/2024/ई–74575 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम पोर्टल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)

उप सचिव।

संख्या : 426820/XXIV-B-1/2026/02(06)/2013 टी0सी0

प्रेषक,

ज्योति यादव,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 25 अगस्त, 2026

विषयः राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत तालिका "A" के स्तम्भ–04 में वर्णित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) एवं तालिका "B" के स्तम्भ–04 में वर्णित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

तालिका "A"

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) स्तर पर उच्चीकरण

कम	जनपद	विधानसभा	विद्यालय का नाम
1	2	3	4
01	उधमसिंह नगर	रूद्रपुर	रा0उ0प्रा0वि0 पत्थरचट्टा
02	उधमसिंह नगर	गदरपुर	रा0उ0प्रा0वि0 धीमरी ब्लाक
03	उत्तरकाशी	पुरोला	रा0उ0प्रा0वि0 लिवाड़ी
04	बागेश्वर	बागेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 भगरतोला
05	बागेश्वर	कपकोट	रा0उ0प्रा0वि0 वाछम
06	बागेश्वर	कपकोट	रा0उ0प्रा0वि0 धन्यारी
07	चम्पावत	लोहाघाट	रा0उ0प्रा0वि0 धासम

तालिका "B"

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण

कम	जनपद	विधानसभा	विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	उधमसिंह नगर	काशीपुर	रा0उ0मा0वि0 मानपुर
2	उधमसिंह नगर	काशीपुर	रा0उ0मा0वि0 शिवलालपुर, अमरझण्डा
3	टिहरी	घनसाली	रा0उ0मा0वि0 मेड़, भिलंगना, टिहरी
4	उत्तरकाशी	पुरोला	रा0उ0मा0वि0 कफनौल
5	चम्पावत	चम्पावत	रा0उ0मा0वि0 सल्ली

6	चम्पावत	चम्पावत	रा0उ0मा0वि0 पल्सों
7	चम्पावत	लोहाघाट	रा0उ0मा0वि0 बुंगरालेटी
8	नैनीताल	भीमताल	रा0उ0मा0वि0 बडौन
9	नैनीताल	भीमताल	रा0उ0मा0वि0 कैड़ागांव
10	अल्मोड़ा	जागेश्वर	रा0उ0मा0वि0 धाकर
11	अल्मोड़ा	जागेश्वर	रा0उ0मा0वि0नगेठी
12	पौड़ी	श्रीनगर	रा0उ0मा0वि0 कुलसाल
13	पौड़ी	श्रीनगर	रा0उ0मा0वि0 नौफाखाल
14	रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	श0हे0क0रि0नि0रा0उ0मा0वि0 बाड़व
15	रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	शहीद राजेन्द्र सिंह रा0उ0मा0वि0 कालीमठ
16	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 किरोड़ा
17	चमोली	थराली	रा0उ0मा0वि0 कनोल
18	चमोली	थराली	रा0उ0मा0वि0 मानमती
19	ऊधमसिंह नगर	सितारगंज	रा0उ0मा0वि0 सिसौना
20	ऊधमसिंह नगर	सितारगंज	रा0उ0मा0वि0 शहदौरा
21	बागेश्वर	बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0 जखेड़ा
22	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0उ0मा0वि0 पोखरी
23	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0उ0मा0वि0 हिमतड़
24	टिहरी	धनोल्टी	रा0क0उ0मा0वि0 थान
25	टिहरी	धनोल्टी	रा0उ0मा0वि0 कौशल
26	टिहरी	नरेन्द्रनगर	रा0उ0मा0वि0 पर्जगांव
27	पौड़ी	यमकेश्वर	रा0उ0मा0वि0 तिलधारखाल
28	पौड़ी	यमकेश्वर	रा0उ0मा0वि0 माला
29	देहरादून	सहसपुर	रा0उ0मा0वि0 कंडीवाला
30	देहरादून	सहसपुर	रा0उ0मा0वि0 बिरसनी
31	चमोली	कर्णप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 विजयसैण
32	चमोली	कर्णप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 पिण्डवाली
33	नैनीताल	नैनीताल	रा0उ0मा0वि0 नाईसेला
34	नैनीताल	नैनीताल	रा0उ0मा0वि0 कूल रामगढ़
35	अल्मोड़ा	सोमेश्वर	रा0उ0मा0वि0 कांटली

02— उपरोक्त के कम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त तालिका "A" के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) पर उच्चीकृत होने वाले 07 विद्यालयों एवं तालिका "B" के अनुसार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (हाईस्कूल) से इण्टर स्तर पर उच्चीकृत होने वाले 35 विद्यालयों हेतु निम्नवत तालिकानुसार अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में शासनादेश के दिनांक या नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2027 तक, बशर्ते कि ये पद इससे पहले बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिए जाए, सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

<u>राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल स्तर)</u>   <u>कुल विद्यालयों की संख्या—07</u>

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	6
1	प्रधानाध्यापक	वेतनमान 56100—177500 (लैवल—10)	7 (प्रति विद्यालय 1)	जूनियर हाईस्कूल हेतु पूर्व सृजित 07 पदों को समर्पित मानते हुए प्रधानाध्यापक लैवल—10 के 07 पद सृजित माने जायेंगे।

2	स0अ0एल0टी0 हिन्दी	वेतनमान 44900–142400 (लेवल–7)	07 (प्रति विद्यालय 1)	स0अ0एल0टी0 के सरप्लस पदों के समायोजन के द्वारा
3	स0अ0एल0टी0,एक आधुनिक भारतीय भाषा (उर्दू, पंजाबी, बंगाली, आदि) अथवा अंग्रेजी अथवा संस्कृत	वेतनमान 44900–142400 (लेवल–7)	07 (प्रति विद्यालय 1)	स0अ0एल0टी0 के सरप्लस पदों के समायोजन के द्वारा
4	स0अ0एल0टी0 गणित/गृह विज्ञान	वेतनमान 44900– 142400 (लेवल–7)	14 (प्रति विद्यालय 1) (गणित–7 पद, गृह विज्ञान–7 पद)	स0अ0एल0टी0 के सरप्लस पदों के समायोजन के द्वारा
5	स0अ0एल0टी0 विज्ञान	वेतनमान 44900–142400 (लेवल–7)	07 (प्रति विद्यालय 1)	स0अ0एल0टी0 के सरप्लस पदों के समायोजन के द्वारा
6	स0अ0एल0टी0 सामाजिक विज्ञान	वेतनमान 44900–142400 (लेवल–7)	07 (प्रति विद्यालय 1)	स0अ0एल0टी0के सरप्लस पदों के समायोजन के द्वारा
7	स0अ0एल0टी0 कला शिक्षा	वेतनमान 44900–142400 (लेवल–7)	07 (प्रति विद्यालय 1)	स0अ0एल0टी0 के सरप्लस पदों के समायोजन के द्वारा
8	स0अ0एल0टी0. एक आधुनिक भारतीय भाषा जो अनिवार्य विषय के रूप में क्र0सं0 02 के रूप में नहीं लिया गया हो अथवा ऐसा विषय जिसे अधिक से अधिक छात्र–छात्रा लेने के इच्छुक हों, छात्र संख्या के आधार पर।	वेतनमान 44900–142400 (लेवल–7)	07 (प्रति विद्यालय 1)	स0अ0एल0टी0 के सरप्लस पदों के समायोजन के द्वारा
	कुल पदों की संख्या–		63	

<u>राजकीय इण्टर कालेज</u>

<u>कुल विद्यालयों की संख्या–35</u>

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रधानाचार्य	वेतनमान 78800–209200 (लेवल–12)	35 (प्रति विद्यालय 1)	प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 वेतनमान 56100–177500 लेवल–10 के पूर्व सृजित 35 पदों को समर्पित मानते हुए 35 नवीन पद प्रधानाचार्य के लेवल–12 मे सृजित हो जायेंगे।
2	प्रवक्ता	वेतनमान 47600–151100 (लेवल–8)	350 (प्रति विद्यालय 10)	शासनादेश संख्या–2133, दिनांक 09.12.2024 द्वारा निर्धारित मानकानुसार
	कुल पदों की संख्या–		385	

03– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) में उच्चीकृत होने वाले विद्यालयों में पूर्व से सृजित समस्त पद समर्पित समझे जायेंगे एवं उन पदों पर कार्यरत प्रधानाध्यापक/शिक्षक शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 03 माह के भीतर अन्यत्र समायोजित किये जायेंगे। हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट में उच्चीकृत होने वाले विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 03 माह के

भीतर अन्यत्र समायोजित किये जायेंगे। हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट में उच्चीकृत विद्यालयों में पूर्व से सृजित वरिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी के पद समायोजित माने जायेंगे।

04– उपरोक्तानुसार सृजित होने वाले पदों के पदधारकों को शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देयक होंगे।

05– सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्तियां सेवा नियमों, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

06– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय– 00–05–नये राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना तथा 00–91–राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

07– यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनित संख्या–426761/2026/XXVII(7)/2026–27, दिनांक 25 अगस्त, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
Jyoti Yadav
Date: 25-08-2026
19:22:45
(ज्योति यादव)
सचिव।

संख्या–426820 (1)/XXIV–B–1/26/02(06)/2013 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ, द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
5. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
8. अपर शिक्षा निदेशक, कुमांऊ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
9. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
10. प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालाय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Ashutosh Shukla
Date: 25-08-2026
19:28:00

(आशुतोष शुक्ल)
उप सचिव।

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एव प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड

SIEMAT

वतेषु जागृहि